मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, ''मेट्रो प्लाजा'', ई–5, अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016

याचिका क्रमांक 06/2013

उपस्थित :

राकेश साहनी, अध्यक्ष

ए. बी. बाजपेयी, सदस्य

आलोक गुप्ता, सदस्य

विषयः– मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 तथा 86(1) (क) के अन्तर्गत नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय 2015–16 हेतु दाखिल किये गये आवेदन पर आधारित पारेषण टैरिफ का अवधारण

मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी, जबलपुर — **याचिकाकर्ता**

विरूद्ध

1	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर	प्रतिवादीगण
2	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल	
3	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इंदौर	
4	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (विशेष आर्थिक परिक्षेत्र) इंदौर	

आदेश (Order)

(आज दिनांक 2 अप्रैल, 2013 को पारित किया गया)

1. मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (जिसे एतद् पश्चात् ''आयोग'' कहा गया है) द्वारा नवीन नियंत्रण अवधि, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2012 {जी–28(II), वर्ष 2012)} (जिन्हें एतद पश्चात् ''विनियम'' कहा गया है) जारी किये गये हैं। ये विनियम म.प्र. राजपत्र में दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को अधिसूचित किये गये।

2. मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 की नियंत्रण अवधि हेतु पारेषण टैरिफ संबंधी प्रस्ताव दिनांक 19 जनवरी, 2013 को दाखिल किये गये। आयोग ने मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (जिसे एतद् पश्चात् ''एमपीपीटीसीएल'' या ''पारेषण कम्पनी'' या ''याचिकाकर्ता'' संबोधित किया गया है) द्वारा दाखिल की गई याचिका का मप्रविनिआ (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2012 में निर्दिष्ट किये गये सिद्धांतों, क्रियाविधि तथा मानदण्डों के आधार पर सूक्ष्म परीक्षण किया गया।

3. याचिका के संबंध में समावेदन सुनवाई (motion hearing) दिनांक 5 फरवरी, 2013 को आयोजित की गई। आयोग के दैनिक आदेश दिनांक 7 फरवरी, 2013 के अनुसार याचिका को स्वीकार कर लिया गया तथा याचिकाकर्ता को समस्त प्रतिवादियों को याचिका की एक प्रति तामील किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये। याचिकाकर्ता को याचिका का आगे सूक्ष्म परीक्षण करने के उद्देश्य से स्थाई परिसम्पत्तियों (Fixed Assets), प्रचालन एवं संधारण व्ययों (Operation and Maintenance Expenses), सेवान्त प्रसुविधा व्ययों (Terminal Benefit Expenses) अवमूल्यन/ अवक्षयण (Depreciation), ब्याज तथा वित्त प्रभार (Interest and Finance Charges), निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP), पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity) आदि के संबंध में विशिष्ट अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश दिये गये। एमपीपीटीसीएल द्वारा अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण उनके पत्र क्रमांक 1326 दिनांक 20.2.2013 द्वारा दाखिल किये गये।

4. आयोग के पत्र दिनांक 382 दिनांक 11.2.2013 के माध्यम से याचिकाकर्ता को विभिन्न हितधारकों की टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किये जाने बाबत आयोग द्वारा अनुमोदित की गई सार्वजनिक सूचना के अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये। प्रकरण में जन सुनवाई की तिथि 12 मार्च, 2013 निर्धारित की गई।

5. याचिकाकर्ता के पत्र क्रमांक 1809 दिनांक 7 मार्च, 2013 द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि उनके द्वारा दिनांक 7 मार्च, 2013 तक विषयान्तर्गत कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं की गई। प्रकरण में सुनवाई दिनांक 12 मार्च, 2013 को आयोजित की गई। जन सुनवाई में केवल याचिकाकर्ता के प्रतिनिधि ही उपस्थित हुए। जन सुनवाई के दौरान किसी भी जनप्रतिनिधि/प्रतिवादी द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की गई।

6. एमपीपीटीसीएल ने अपनी याचिका के अन्तर्गत राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 29.3.2012 द्वारा अधिसूचित उपलब्ध उत्पादन क्षमता के आवंटन के आधार पर अपेक्षित पारेषण प्रणाली क्षमता

की गणना की गई तथा इसे दीर्घ अवधि क्रेताओं के मध्य आवंटित किया गया है। इस बीच, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक 2260–एफ–3–24–2009–तेरह–दिनांक 19–3–2013 द्वारा उक्त तिथि को उपलब्ध विद्युत उत्पादन क्षमता के आधार पर राज्य की तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों को उपलब्ध उत्पादन क्षमता को पुनर्आवंटित किया गया। उपरोक्त उल्लेखित आधार पर, एमपीपीटीसीएल द्वारा अपनी पारेषण प्रणाली के संबंध में मेगावाट क्षमता प्रस्तुत की गई तथा इसे नियंत्रण अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष के अन्तर्गत अपने दीर्घ अवधि उपभोक्ताओं को आवंटित किया गया जिसे इस आदेश में माना गया है।

7. आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 तक के पारेषण टैरिफ के सत्यापन आदेश जारी किये जा चुके हैं तथा एमपीपीटीसीएल के वित्तीय वर्ष 2011–12 तक के अंकेक्षित लेखे भी वर्तमान में आयोग के पास उपलब्ध हैं। अतएव, इस आदेश के अन्तर्गत वार्षिक स्थाई लागत के अधिकांश आंकड़े वित्तीय वर्ष 2010–11 के अन्तिम सत्यापन के अन्तर्गत स्वीकृत अन्तिम आंकड़ों पर आधारित हैं। वित्तीय वर्ष 2012–13 के संबंध में विभिन्न लागत घटकों के सही आकलन की प्राप्ति के संबंध में इस आदेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 संबंधी अंकेक्षित लेखों के कुछ आंकड़ों पर विचार किया गया है क्योंकि 2012–13 के पारेषण आदेश को पारित करते समय उपरोक्त उल्लेखित अंकेक्षित लेखे उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

8. वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 की नियंत्रण अवधि के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई वार्षिक राजस्व आवश्यकता को निम्न तालिका में सारबद्ध किया गया है :

तालिका : 1 याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई वार्षिक राजस्व आवश्यकता

(करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष हेतु, वार्षिक राजस्व आवश्यकता		
		वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2015–16
1	2	3	4	5
1	प्रचालन एवं संधारण व्यय (O&M Expenses)	321.52	366.48	414.46
2	**सेवांत प्रसुविधायें (Terminal Benefits)**			
2(i)	चालू दायित्वों के विरूद्ध	760.86	886.87	1000.87
2(ii)	प्रावधान	70.08	76.68	82.96
2(iii)	भवन निधि हेतु	909.62	909.62	909.62
2	**कुल सेवान्त प्रसुविधाएं**	**1740.56**	**1873.17**	**1993.45**
3	अवमूल्यन (Depreciation)	270.71	311.79	346.78
4	ब्याज तथा वित्त प्रभार (Interest & Finance Charges)	118.20	134.81	144.09
5	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (Interest on Working Capital)	75.23	86.10	97.50
6	पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity)	357.64	408.80	462.56
7	वेतन पुनरीक्षण संबंधी बकाया राशि भुगतान हेतु प्रावधान	15.24	1.00	1.00
8	मप्रविनिआ शुल्क	1.04	1.15	1.27
9	**योग**	**2900.13**	**3183.3**	**3461.11**
10	घटायें गैर–टैरिफ आय	(-) 6.97	(-) 6.47	(-) 6.98
	शुद्ध वार्षिक राजस्व आवश्यकता	**2893.17**	**3176.83**	**3454.13**

9. आयोग द्वारा अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों तथा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2260–एफ–3–24–2009–तेरह दिनांक 19 मार्च, 2013 द्वारा तत्संबंधी तिथि को उपलब्ध विद्युत उत्पादन क्षमता के पुनर्आवंटन पर विचार किया गया है।

10. वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 की नियंत्रण अवधि के संबंध में आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता को निम्न तालिका में सारबद्ध किया गया है :

तालिका : 2 आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष हेतु, वार्षिक राजस्व आवश्यकता		
		वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2015–16
1	2	3	4	5
1	प्रचालन एवं संधारण व्यय (O&M Expenses)	318.00	353.49	390.09
2	**सीमांत प्रसुविधायें (Terminal Benefits)**			
	चालू दायित्वों के विरूद्ध	677.00	677.00	677.00
3	अवमूल्यन (Depreciation)	261.35	282.87	297.16
4	ब्याज तथा वित्त प्रभार (Interest & Finance Charges)	102.91	100.62	92.92
5	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (Interest on Working Capital)	46.97	49.95	52.69
6	पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity)	265.19	285.38	305.57
7	मप्रविनिआ शुल्क (MPERC's Fee)	1.04	1.15	1.27
8	**योग**	**1672.46**	**1750.46**	**1816.70**
9	घटायें – गैर टैरिफ आय {Less Non-Tariff Income} (-)	-29.97	-25.47	-20.98
10	**शुद्ध वार्षिक राजस्व आवश्यकता (NET ARR)**	**1642.49**	**1724.99**	**1795.72**

11. आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 64 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्देश देता है कि इस आदेश के अन्तर्गत अवधारित विद्युत पारेषण विद्युत–दर (टैरिफ) दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से लागू होगी तथा बहुवर्षीय सिद्धांतों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 2016 तक प्रचालन में रहेगी। याचिकाकर्ता को इस आदेश के कार्यान्वयन हेतु मप्रविनिआ (टैरिफ अवधारण के लिये उत्पादन कम्पनियों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति और उसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 तथा इसमें किये संशोधनों के अनुसार कंडिका 1.30 के अनुसार सार्वजनिक सूचना जारी कर उचित कदम उठाने होंगे तथा इस आदेश का परिपालन किये जाने संबंधी जानकारी आयोग को प्रस्तुत करनी होगी।

12. उपरोक्तानुसार संलग्न कारणों तथा आधार के साथ पढ़ा गया तथा आदेशित किया गया।

हस्ताक्षरित/–	हस्ताक्षरित/–	हस्ताक्षरित
(आलोक गुप्ता)	(ए.बी. बाजपेयी)	(राकेश साहनी)
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

दिनांक : 2 अप्रैल, 2013
स्थान : भोपाल

विषय–सूची		
		पृष्ठ क्रमांक
अध्याय–1		
	आदेश की पृष्ठभूमि	6
अध्याय–2		
	एमपीपीटीसीएल की वर्तमान स्थिति एवं कार्य निष्पादन	7
अध्याय–3		
	पूंजीगत लागत, पूंजीगत संरचना, तथा ऋण–पूंजी अनुपात	16
	प्रचालन तथा संधारण व्यय	30
	सेवान्त प्रसुविधा व्यय	38
	अवमूल्यन / अवक्षयण	48
	ब्याज तथा वित्त प्रभार	56
	पूंजी पर प्रतिलाभ	67
	कर, अभिकर तथा शुल्क	73
	गैर–टैरिफ आय	75
	बहुवर्षीय टैरिफ अवधि हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता	77

अध्याय–1

आदेश की पृष्ठभूमि (Background of the Order)

1.1 यह आदेश मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर द्वारा दायर की गई याचिका क्रमांक 06, वर्ष 2013 के संबंध में वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 की नियंत्रण अवधि हेतु पारेषण बहुवर्षीय टैरिफ के अवधारण से संबद्ध है। एमपीपीटीसीएल वर्तमान में तत्कालीन मप्र राज्य विद्युत मण्डल के स्वामित्व वाले नेटवर्क का स्वामित्व धारित कर रही है। एमपीपीजीसीएल द्वारा अपना कार्य संचालन दिनांक 1 जून, 2005 से स्वतंत्र रूप प्रारंभ किया गया है।

प्रक्रियात्मक इतिहास (Procedural History)

1.2 सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन दिनांक 14.2.2013 को निम्न समाचार पत्रों में किया गया।

(i)	दैनिक पत्रिका, इन्दौर	:	हिन्दी
(ii)	दैनिक राज एक्सप्रेस, भोपाल	:	हिन्दी
(iii)	दैनिक नई दुनिया, ग्वालियर	:	हिन्दी
(iv)	दैनिक हरि भूमि, जबलपुर	:	हिन्दी
(v)	दैनिक जागरण, रीवा	:	हिन्दी
(vi)	सेंट्रल क्रॉनिकल, भोपाल	:	अंग्रेजी

टिप्पणी/सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित करने की अन्तिम तिथि दिनांक 2.3.2013 निर्धारित की गई थी। पत्र क्रमांक 1809 दिनांक 7.3.2013 के अनुसार एमपीपीटीसीएल द्वारा सूचित किया कि उनके द्वारा दिनांक 7 मार्च, 2013 तक कोई भी टिप्पणी/सुझाव प्राप्त नहीं किया गया था।

1.3 आयोग के कार्यालय में विषय वस्तु से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 12 मार्च, 2013 को आयोजित की गई। याचिकाकर्ता के प्रतिनिधि जन सुनवाई में उपस्थित हुए। हितधारकों/आम जनता/प्रतिवादियों की ओर से कोई भी प्रतिनिधि जनसुनवाई में उपस्थित नहीं हुए।

अध्याय–2

एमपीपीटीसीएल की वर्तमान स्थिति एवं कार्य निष्पादन

(Status and Performance of MPPTCL)

2.1 याचिकाकर्ता द्वारा एमपी पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर के संबंध में मोटे तौर पर वस्तुस्थिति निम्नानुसार प्रस्तुत की गई है :

2.1.1 ''आवेदक कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक पंजीकृत कम्पनी है जिसकी स्थापना 22.11.2001 को की गई तथा इसका मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। कम्पनी का उद्देश्य मध्य प्रदेश राज्य में राज्यान्तरिक पारेषण गतिविधियों का निष्पादन करना है। राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 31 मई, 2005 द्वारा कम्पनियों के दिनांक 31.5.2005 की स्थिति में प्रावधिक ''प्रारंभिक तुलन–पत्र (Provisional Opening Balance Sheets)'' अधिसूचित किये गये। इस व्यवस्था के अंतर्गत मप्रराविमं (MPSEB) तथा कम्पनियों के मध्य प्रचालन प्रबन्धन अनुबन्ध (Operation Management Agreement) समाप्त घोषित कर दिया गया तथा कम्पनियों द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक अपना कार्य निष्पादन दिनांक 1.6.2005 से नगद–प्रवाह क्रियाविधि (Cash Flow Mechanism) व्यवस्था के अन्तर्गत प्रारंभ कर दिया गया। दिनांक 31.5.2005 की स्थिति में अन्तिम प्रारंभिक तुलन–पत्र को तत्पश्चात् 12 जून, 2008 को अधिसूचित किया जा चुका है। याचिकाकर्ता द्वारा अन्तिम प्रारंभिक तुलन–पत्र के आधार पर अपने लेखों तथा सत्यापनों की पूर्व में ही समीक्षा कर ली गई है। इस प्रकार, प्रावधिक प्रारंभिक तुलन–पत्र की अब कोई भी प्रासंगिकता शेष नहीं रह गई है।

2.1.2 राज्य सरकार के आदेश दिनांक 31.5.2005 के अनुसरण में, मप्रराविमं द्वारा अनुमोदित तथा राज्य सरकार को अग्रेषित प्रारूप के अनुसार पांच कम्पनियों तथा मप्रराविमं के मध्य एक पारेषण अनुबन्ध का निष्पादन 17 जून, 2005 को किया गया। पारेषण सेवा अनुबंध (Transmission Service Agreement) दिनांक 17 जून, 2005 में प्रावधान किया गया है कि ''ट्रांसमिशन कम्पनी द्वारा पारेषण सेवाओं के संबंध में प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं की निबन्धन तथा शर्तें राज्य आयोग द्वारा समय–समय पर अवधारित विद्युत–दर (टैरिफ) के अनुसार होंगी।'' एमपीपीटीसीएल ने तद्नुसार दिनांक 1.6.2005 से देयक आयोग द्वारा समय–समय पर अवधारित टैरिफ के अनुसार ही जारी किये हैं। माननीय आयोग द्वारा ट्रांसमिशन कम्पनी को दीर्घ–अवधि पारेषण सेवा अनुबन्ध सम्पादित किये जाने संबंधी निर्देश प्रसारित किये गये। तदनुसार, याचिकाकर्ता एमपीपीटीसीएल द्वारा निम्न दर्शाई गई तिथियों को तीन विद्युत वितरण कम्पनियों से अनुबन्ध निष्पादित किये गये :

(i)	*पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी*	*–*	*20.11.2006*
(ii)	*मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी*	*–*	*17.11.2006*
(iii)	*पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी*	*–*	*17.11.2006*

मप्र राज्य विद्युत मण्डल तथा मप्र औद्योगिक केन्द्र निगम (मप्रऔकेविनि) के मध्य विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (SEZ), पीथमपुर हेतु एक अनुबंध पर दिनांक 29.1.2005 को हस्ताक्षर किये गये थे जो वर्तमान में अन्तरण योजना के अन्तर्गत एमपीपीटीसीएल तथा मप्रऔकेविनि के मध्य प्रचलित है। मप्रऔकेविनि, एमपीपीटीसीएल के लिये इन्दौर के निकट धार जिले में

स्थित पीथमपुर के लिये विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (SEZ) परिसर हेतु दीर्घ अवधि खुली पहुंच क्रेता है।

2.1.3 *माननीय आयोग द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को अधिसूचित मप्रविनिआ (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2012 {आर जी–28(II), वर्ष 2012} के अंतर्गत नियन्त्रण अवधि 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये बहुवर्षीय पारेषण टैरिफ याचिका तैयार करने की निबन्धन तथा शर्तें निर्दिष्ट की गई हैं। प्रस्तुत की गई याचिका इन विनियम पर आधारित है।''*

याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत एमपीपीटीसीएल का निष्पादन संबंधी विवरण मोटे तौर पर निम्न परिच्छेदों में प्रस्तुत किया गया है :

राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली (Intra-State Transmission System)

2.2 *एमपीपीटीसीएल की राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न वोल्टेजों से युक्त अति उच्च वोल्टेज (EHV) तन्तुपथों (लाईनों) तथा उप–केन्द्रों को शामिल किया गया है। दिनांक 31.3.11 तथा दिनांक 31.3.12 की स्थिति निम्न तालिका में प्रदर्शित की गई है :*

तालिका : 3

सरल क्रमांक	*वोल्टेज स्तर*	*दिनांक 31.3.11 की स्थिति में*			*दिनांक 31.3.12 की स्थिति में*		
		अति उच्च वोल्टेज लाईनें	*अति उच्च वोल्टेज उप केन्द्र*		*अति उच्च वोल्टेज लाईनें*	*अति उच्च वोल्टेज उप केन्द्र*	
		सर्किट किलो मीटर में	*संख्या*	*एमवीए क्षमता*	*सर्किट किलो मीटर में*	*संख्या*	*एमवीए क्षमता*
1	*400 केवी*	*2343*	*5*	*4515*	*2343*	*5*	*4515*
2	*220 केवी*	*10857*	*53*	*14350*	*11086*	*55*	*15110*
3	*132 केवी*	*13208*	*183*	*15347*	*13629*	*187*	*15919*
4	*66 केवी*	*61*	*1*	*20*	*61*	*1*	*20*
	योग	***26469***	***242***	***34232***	***27119***	***248***	***35564***

पारेषण प्रणाली क्षमता (Transmission System Capacity)

2.3 *एमपीपीटीसीएल के राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली क्षमता को दीर्घ–अवधि खुली पहुंच क्रेताओं को वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को शामिल करते हुए आवंटित किया गया है। अतएव पारेषण प्रणाली क्षमता का अवधारण मप्रविनिआ (मध्य प्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2005 के अनुसार किया जाता है। राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली की औसत क्षमता को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :*

''औसत क्षमता का तात्पर्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की राज्यान्तरिक विद्युत पारेषण प्रणाली द्वारा पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान सेवाकृत की गई औसत क्षमता से है तथा यह पारेषण प्रणाली से संयोजित विद्युत उत्पादक क्षमताओं तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली द्वारा प्रबन्धित अन्य दीर्घ–अवधि संव्यवहारों की अनुबंधित क्षमताओं का योग होगा।''

2.4 पारेषण प्रणाली को राज्यान्तरिक विद्युत उत्पादक क्षमता से सुसंबद्ध ऊर्जा इस मात्रा में से सहायक खपत (auxiliary consumption) को घटाकर उपलब्ध कराई जाती है। इसी प्रकार अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य की सीमा (Periphery) पर केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की उपलब्धि सहायक खपत (auxiliary consumption) तथा हानियों (losses) को घटा कर की जाती है। वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2011–12 की पूर्व नियंत्रण अवधि के लिये पारेषण प्रणाली क्षमता का अवधारण करते समय उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखा गया था। विनियमों में प्रावधान किया गया है कि किसी वर्ष के दौरान औसत क्षमता को पूर्व वर्ष के दौरान सेवाकृत किये गये अनुसार लिया जाएगा। अतएव, वर्ष के दौरान पारेषण क्षमता के आंकड़ों को तत्कालीन वर्ष की एक अप्रैल को प्रचलित अनुसार माना गया है।

2.5 राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य उपलब्ध विद्युत उत्पादक क्षमता का आवंटन किया जाता है। इस संबंध में अन्तिम आदेश दिनांक 29 मार्च, 2012 को जारी किया गया है। नियंत्रण अवधि की तीन वर्षों की पारेषण क्षमता की गणना हेतु इस आंकड़े को आधार माना गया है।

क्षमता आवंटन के संबंध में राज्य सरकार का आदेश (State Government Order for Capacity Allocation)

2.6 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक 4353–एफ–3–24–2009–तेरह दिनांक 18.5.2011 द्वारा कुल उपलब्ध उत्पादन क्षमता को आवंटित किया गया था। तत्पश्चात्, नई क्षमताओं के आवंटन हेतु उसके द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना को नवीन अधिसूचना दिनांक 29–3–2012 द्वारा निष्प्रभावी (Supersede) कर दिया गया।

2.7 राज्य शासन के आदेश दिनांक 29.3.2012 के आधार पर कुल उत्पादन क्षमता को निम्न तालिका में सारबद्ध किया गया है :

तालिका : 4

सरल क्रमांक	स्त्रोत जहां से मध्यप्रदेश राज्य का विद्युत अंशदान प्राप्त किया जाना है	स्थापित क्षमता (मेगावाट में)	मप्र सरकार का अंशदान
1.	केन्द्रीय क्षेत्र–पश्चिमी क्षेत्र (WR)	9,139.59	2,075.85
2.	केन्द्रीय क्षेत्र–पूर्वी क्षेत्र (ER)	1,500.00	74.98
3.	दामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी)	500.00	200.00
4.	इन्दिरा सागर परियोजना	1,000.00	1,000.00
5.	सरदार सरोवर परियोजना	1,450.00	826.50
6.	ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना	520.00	520.00
7.	अन्तर्राज्यीय जल विद्युत	591.00	322.17
8.	जनरेशन कम्पनी ताप विद्युत	2,932.00	2,807.51

9.	*जनरेशन कम्पनी जल विद्युत*	*605.00*	*605.00*
	योग	***18,292.09***	***8,432.01***

2.9 *इसके अलावा भी, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिये 200 मेगावाट का विशिष्ट आवंटन भी उपलब्ध कराया गया है जिससे कुल क्षमता 8632.01 मेगावाट हो गई है।*

2.10 *उपरोक्त उल्लेखित क्षमता को वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु दिनांक 1.4.2012 की स्थिति में माना जा सकता है। राज्य शासन के आदेश दिनांक 29.3.2012 के पैरा–6 में 2145 मेगावाट की क्षमता को नवीन विद्युत उत्पादक स्टेशनों द्वारा एमपी ट्रेडको को आवंटित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु पारेषण विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण करते समय इसी क्षमता को माना गया है। तथापि, इस तथ्य को भी संज्ञान में लिया गया है कि कई विद्युत इकाईयों को क्रियाशील नहीं किया जा सका है। अतएव, इस बहुवर्षीय टैरिफ याचिका के अन्तर्गत की गई किसी वृद्धि को क्रियाशील की गई इकाईयों तथा राज्य योजना प्रकोष्ठ द्वारा बारहवीं योजना के आगामी वर्षों के दौरान क्रियाशील किये जाने हेतु नियोजन के आधार पर प्रक्षेपित किया गया है।*

वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु दाखिल की गई पारेषण क्षमता (Transmission Capacity for FY 2013-2014 to FY 2015-2016 as filed in the petition)

2.11 उपलब्ध उत्पादन क्षमता के उपरोक्त आवंटन तथा अन्य प्रत्याशित उत्पादन क्षमता जो नियंत्रण अवधि के तीन वर्षों के दौरान जोड़ी जाएगी, के आधार पर याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा सहायक खपत तथा अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियों को घटाकर निम्न अतिरिक्त क्षमता को प्रक्षेपित किया है :

वित्तीय वर्ष 2013–14 – 10634 मेगावाट
वित्तीय वर्ष 2014–15 – 13146 मेगावाट
वित्तीय वर्ष 201–16 – 14477 मेगावाट

विद्युत वितरण कम्पनियों तथा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के मध्य पारेषण क्षमता आवंटन (Transmission Capacity Allocation among Discoms & SEZ)

2.12 याचिकाकर्ता द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों को क्षमता आवंटन निम्न आधार पर प्रस्तावित किया गया है :

"(i) किसी विशिष्ट वर्ष के संबंध में कुल पारेषण क्षमता (मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिये 200 मेगावाट के विशिष्ट आवंटन को सम्मिलित कर) को प्रतिशत अनुपात में विभाजित किया गया है जैसा कि इसका उल्लेख राज्य शासन के आदेश दिनांक 29.3.2012 में किया गया है। विशेष आर्थिक परिक्षेत्र संबंधी आवंटन को अतिरिक्त माना गया है।

(ii) वर्ष के दौरान क्षमता को एक अप्रैल को, अर्थात् वर्ष के प्रारंभ की स्थिति में लिया गया है।

(iii) चूंकि विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (SEZ) द्वारा खुली पहुंच के अन्तर्गत अतिरिक्त विद्युत की मात्रा एनटीपीसी से प्राप्त की गई है तथा इसे मप्र राज्य की सीमा पर 12 मेगावाट के रूप में माना गया है, अतएव इसी मात्रा पर ही विचार किया गया है।

(iv) आंशिक (fractional) आवंटन की गणना पूर्णांक के रूप में की गई है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवंटित पारेषण क्षमता की निम्न तालिका के अनुसार प्रस्तावित किया गया है :

तालिका : 11

सरल क्रमांक	*वितरण अनुज्ञप्तिधारी*	*प्रतिशत आवंटन*	*वित्तीय वर्ष हेतु क्षमता आवंटन (मेगावाट में)*		
			2013–14	*2014–15*	*2015–16*
1	*मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, जबलपुर*	*29.89%*	*3315*	*4066*	*4464*
2	*मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, भोपाल*	*31.84%*	*3318*	*4118*	*4542*
3	*मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, इन्दौर*	*38.27%*	*3988*	*4950*	*5459*
4	***विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु योग***	***100.00%***	***10622***	***13134***	***14465***
5	*विशेष आर्थिक परिक्षेत्र, पीथमपुर (धार)*	*-*	*12*	*12*	*12*
6	***महायोग***	*-*	***10634***	***13146***	***14477***

पारेषण टैरिफ विनियमों के अनुसार, विद्युत वितरण कम्पनियों तथा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र द्वारा पारेषण प्रभारों को उन्हें आवंटित की गई क्षमता के अनुपात में विभाजित किया जाएगा।''

आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

2.13 याचिका में उपरोक्त प्रक्षेपित पारेषण क्षमता के अवलोकन पश्चात् याचिकाकर्ता को वित्तीय वर्ष 2013–14 में विशेष रूप से सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन तथा सिंगाजी ताप विद्युत स्टेशन हेतु प्रत्याशित अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का मिलान किये जाने के बारे में निर्देश दिये गये।

2.14 एमपीपीटीसीएल ने पत्र क्रमांक 1326 दिनांक 20.2.2013 ने निम्नानुसार निवेदन किया है :

''पारेषण क्षमता की गणना राज्य सरकार के आदेश दिनांक 29.3.2012 के आधार पर की गयी है तथा प्रत्येक वर्ष के बारे में वृद्धि योजना शाखा के पास तत्समय उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गयी है। तथापि, चाहे गये अनुसार विद्युत उत्पादन कम्पनी की बहुवर्षीय टैरिफ याचिका के साथ वांछित मिलान की गणना निम्नानुसार की गई है :

(अ) सतपुड़ा विद्युत स्टेशन –

जनरेशन कम्पनी की याचिका के पैरा 5.4.1 (i) के अनुसार 250 मेगावाट क्षमता की इकाई क्रमांक 10 माह फरवरी 2013 में क्रियाशील किया जाना प्रस्तावित है जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 के प्रारंभ में इसकी क्षमता में वृद्धि होगी। 62.5 मेगावाट क्षमता की

एक पुरानी इकाई को बन्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार शुद्ध उपलब्ध क्षमता निम्नानुसार होगी :

= 250.0 – 62.5 = 187.5 मेगावाट

(ब) सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना चरण–1 (2 x 600 मेगावाट)

जनरेशन कम्पनी की याचिका के पैरा 5.4.1 (ii) के अनुसार 600 मेगावाट की प्रथम इकाई मार्च, 2013 में क्रियाशील किया जाना प्रत्याशित है। अतएव, इस क्षमता पर विचार किया गया है।

तथापि, यह उल्लेख किया जाना उचित होगा कि उपरोक्त आंकड़े इस स्थिति में मात्र पूर्वानुमान ही हैं। परियोजना में किसी प्रकार के विचलन (deviation) अथवा अप्राप्ति (slippage) को बाद में 'सत्यापन' प्रक्रिया के दौरान विचार किया जाएगा।''

2.15 एमपीपीटीसीएल द्वारा अपेक्षित पारेषण प्रणाली क्षमता की गणना की गई तथा इसे दीर्घ–अवधि क्रेताओं के मध्य राज्य सरकार द्वारा इसकी अधिसूचना दिनांक 29.3.2013 के आधार पर अधिसूचित किया गया। इस बीच, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक 2260–एफ–3–24–2009–तेरह दिनांक 19.3.2013 द्वारा उक्त दिनांक को उपलब्ध विद्युत उत्पादन क्षमता को राज्य की तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों को उत्पादन क्षमता के आधार पर पुर्नावंटित किया गया। उपरोक्त कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में, याचिकाकर्ता को वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु पारेषण क्षमता की पुनर्गणना हेतु निर्देश दिये गये। एमपीपीटीसीएल ने प्रत्युत्तर में अपने पत्र क्रमांक 2397 दिनांक 26. 3.2003 द्वारा पुनर्गणना की गई तथा अपनी पारेषण प्रणाली के संबंध में पुनरीक्षित मेगावाट क्षमता प्रस्तुत की गई तथा इसे नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु अपने दीर्घ–अवधि क्रेताओं को आवंटित किया गया। एमपीपीटीसीएल ने उसके द्वारा प्रबन्धित की जाने वाली ऊर्जा को भी पुनरीक्षित किया गया। एमपपीटीसीएल द्वारा अपने पुनरीक्षित परिशिष्ट–(iii) (ए) (बी) (सी) के साथ निम्न क्षमता आवंटन प्रस्तुत किया गया :

तालिका : 12 एमपीपीटीसीएल द्वारा दाखिल किया गया पुनरीक्षित क्षमता आवंटन

स.क्रं	*वितरण अनुज्ञप्तिधारी*	*प्रतिशत आवंटन*	*वित्तीय वर्ष हेतु क्षमता आवंटन (मेगावाट में)*		
			2013–14	*2014–15*	*2015–16*
1	*मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, जबलपुर*	29.87%	3141	3884	4339
2	*मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, भोपाल*	31.81%	3346	4137	4622
3	*मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, इन्दौर*	38.32%	4030	4983	5567
4	***विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु योग***	**100.00%**	**10518**	**13003**	**14528**
5	*विशेष आर्थिक परिक्षेत्र, पीथमपुर (धार)*	-	12	12	12
6	***महायोग***	-	**10530**	**13015**	**14540**

2.16 वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु आयोग द्वारा दिनांक 23.3.2013 को जारी खुदरा विद्युत–दर आदेश (Retail Tariff Order) के अन्तर्गत दी गई मान्यता के आधार पर, एमपीपीटीसीएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान इसकी पारेषण प्रणाली द्वारा प्रत्यक्ष प्रबन्धित की

जाने वाली अपेक्षित ऊर्जा की मात्रा को पुनरीक्षित किया गया है। एमपीपीटीसीएल द्वारा राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली में कुल ऊर्जा की मात्रा की गणना करते समय 33 केवी स्तर पर प्रत्यक्ष अन्तःक्षेपण (direct injection) के माध्यम से प्राप्त ऊर्जा तथा अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियों को शामिल नहीं किया गया है। तद्नुसार, एमपीपीटीसीएल ने प्रबन्धित की जाने वाली ऊर्जा की

मात्रा को निम्न तालिका में दर्शायेनुसार दाखिल किया है :

तालिका : 13 वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु पारेषण प्रणाली द्वारा प्रबन्धित की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा **(मिलियन यूनिट में)**

संदर्भ	विषय	पूर्वी परिक्षेत्र	पश्चिमी परिक्षेत्र	मध्य परिक्षेत्र	वित्तीय वर्ष 13–14	वित्तीय वर्ष 14–15	वित्तीय वर्ष 15–16
वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु खुदरा टैरिफ आदेश पृष्ठ 36	वितरण अन्तर्मुख पर आहरण (मिलियन यूनिट में)	15906	22024	17069	**55000**	-	-
उपरोक्त मात्रा में से 0.63 प्रतिशत # की कटौती के बाद	वितरण अन्तर्मुख पर आहरण (मिलियन यूनिट में)	15806	21886	16962	**54653**	-	-
वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु खुदरा टैरिफ आदेश पृष्ठ 36	पारेषण हानि (प्रतिशत में)	3.16%	3.16%	3.16%	**3.16%**	-	-
विद्युत वितरण कम्पनी के अन्तःक्षेप बिन्दु पर आहरण (1-%L)	**पारेषण आहरण**	**16322**	**22600**	**17515**	**56437**	**62543**	**69310**
वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु खुदरा टैरिफ आदेश पृष्ठ 37 / एमपीपीटीसीएल वृद्धि दर	उत्पादन पारेशण अन्तर्मुख पर कुल ऊर्जा का आहरण कुल ऊर्जा की आवश्यकता	-	-	-	**56795** **58084**	10.82%	10.82%

 # एमआईएस 2011–12 : विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रत्येक अन्तक्षेपण हेतु 0.63 प्रतिशत की दर से कटौती की गई है।

2.17 इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता द्वारा पारेषण हानियों, पारेषण प्रणाली उपलब्धता, ट्रांसफार्मर की विफलता तथा अन्तर्मुख बिन्दुओं पर मीटरीकरण के संबंध में निम्न वस्तुस्थिति प्रस्तुत की गई है :

''पारेषण हानियां :–

पिछले कुछ वर्षों के दौरान पूंजीगत योजना के निष्पादन के कारण राज्यान्तरिक पारेषण हानियां क्रमिक तौर पर कम हुई हैं। इन्हें निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

तालिका : 14 राज्यान्तरिक पारेषण हानियां

विवरण	*वित्तीय वर्ष–03*	*वित्तीय वर्ष–04*	*वित्तीय वर्ष–05*	*वित्तीय वर्ष–06*	*वित्तीय वर्ष–07*	*वित्तीय वर्ष–08*	*वित्तीय वर्ष–09*	*वित्तीय वर्ष–10*	*वित्तीय वर्ष–11*	*वित्तीय वर्ष–12*
प्रणाली में प्राप्त की गई ऊर्जा (मिलियन यूनिट में)	*27083*	*27555*	*29531*	*31306*	*32594*	*35148*	*34280*	*34346*	*37680*	*42175*
प्रणाली से प्रेषित की गई ऊर्जा (मिलियन यूनिट में)	*24935*	*25870*	*27871*	*29669*	*30963*	*33710*	*32878*	*32908*	*36271*	*40692*
ऊर्जा की हानि (मिलियन यूनिट में)	*2148*	*1685*	*1660*	*1637*	*1631*	*1438*	*1402*	*1438*	*1409*	*1482*

पारेषण हानि (प्रतिशत में)	7.93	6.12	5.62	5.23	5.00	4.09	4.09	4.19	3.74	3.51
हानि में कमी (प्रतिशत में)	-	1.81	0.50	0.39	0.23	0.91	0.00	-0.10	0.45	0.23
मप्रविनिआ द्वारा निर्धारित लक्ष्य	-	-	-	5.22%	5.00%	4.90%	4.90%	*	*	*

*टीप–नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2010 से वित्तीय वर्ष 2012 हेतु हानियों के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है

2.18 आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार, एमपीपीटीसीएल द्वारा वोल्टेजवार पारेषण हानियों की गणना की गई है। वर्षवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका : 15 वोल्टेजवार पारेषण हानियां

सरल क्रमांक	प्रणाली वोल्टेज	पारेषण हानियां प्रतिशत में						
		2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12
1	400 किलोवोल्ट	1.40%	1.26%	1.21%	1.20%	1.19%	1.18%	1.18%
2	220 किलोवोल्ट	3.26%	3.41%	2.55%	2.51%	2.86%	2.56%	2.39%
3	132 किलोवोल्ट	1.60%	1.29%	1.15%	1.17%	1.03%	0.86%	0.89%
4	**प्रणाली हेतु योग**	**5.23%**	**5.00%**	**4.09%**	**4.09%**	**4.19%**	**3.74%**	**3.51%**

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि तीनों वोल्टेज श्रेणियों में हानियों की कमी परिलक्षित हुई जो समस्त वोल्टेज स्तरों पर सुदृढ़ीकरण को निरूपित करता है।

पारेषण प्रणाली उपलब्धता (Transmission System Availability)

2.19 आयोग ने पारेषण प्रणाली उपलब्धता के संबंध में बहुवर्षीय टैरिफ विनियमों में 98 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछली नियंत्रण अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान प्राप्त की गई पारेषण प्रणाली उपलब्ध निर्धारित लक्ष्य से अधिक थी जो तन्तुपथों तथा उपकेन्द्रों के उचित संधारण के साथ–साथ तत्परतापूर्वक विद्युत–विच्छेद प्रबन्धन (Outage management) किया जाना प्रदर्शित करता है। तत्संबंधी उपलब्धियों निम्न तालिका में प्रदर्शित की गई है :

तालिका : 16

प्राप्त की गई पारेषण प्रणाली उपलब्धता प्रतिशत में		
2009-10	**2010-11**	**2011-12**
98.82%	**99.13%**	**99.23%**

ट्रांसफार्मर विफलता (Transformer Failure)

2.20 एमपीपीटीसीएल द्वारा ट्रांसफार्मरों का संधारण निर्धारित समय–सारणी के अनुसार नियतकालिक रूप से किया जा रहा है। इस पद्धति के अपनाए जाने के फलस्वरूप ट्रांसफार्मरों की विफलता को नियंत्रित किया गया है। वर्षवार विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित किये गये हैं :

तालिका : 17

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2009–10		वित्तीय वर्ष 2010–11		वित्तीय वर्ष 2011–12	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	ऑटो–ट्रान्सफार्मर	0	0	0	0	0	0
2	पावर–ट्रान्सफार्मर	1	0.23%	6	1.02%	4	0.86%

अन्तर्मुख बिन्दु (Interface Points)

2.21 एमपीपीटीसीएल की प्रणाली (नेटवर्क) को अन्तर्राज्यीय विद्युत उत्पादक तथा वितरण प्रणाली से 672 अन्तर्मुख बिन्दुओं के माध्यम से संयोजित किया गया है। इसके विवरण निम्नानुसार तालिकाबद्ध किये गये हैं :

तालिका : 18

मीटरीकरण की स्थिति	2009–10	2010–11	2011–12
जेनको–ट्रांसको (उत्पादन–पारेषण)	43	48	51
केन्द्रीय विद्युत स्टेशन/एनएचपीसी/एनटीपीसी	35	36	61
अन्य राज्य–ट्रांसको	12	12	14
खुली पहुंच (विशेष आर्थिक परिक्षेत्र)	1	1	1
ट्रांसको–विद्युत वितरण कम्पनी (पूर्व परिक्षेत्र)	148	151	161
ट्रांसको–विद्युत वितरण कम्पनी (मध्य परिक्षेत्र)	155	164	170
ट्रांसको–विद्युत वितरण कम्पनी (पश्चिम परिक्षेत्र)	198	211	214
योग	**592**	**623**	**672**

राज्यान्तरिक उपलब्धता आधारित टैरिफ के क्रियान्वयन हेतु उपलब्धता आधारित टैरिफ अनुपालन मापयंत्र (ABT Compliant Metres) अन्तर्मुख बिन्दुओं पर स्थापित किये गये हैं।

अध्याय–3

पूंजीगत लागत, पूंजीगत संरचना तथा ऋण–पूंजी अनुपात

(Capital Cost, Capital Structure and Debt Equity Ratio)

याचिकाकर्ता ने मोटे तौर पर निम्नानुसार निवेदन किया है :

''पूर्व योजना के अन्तर्गत उपलब्धियां (ग्यारहवीं योजना) {Achievments Against Earlier Plan (Eleventh Plan)}

3.1 *अवधि 2007–08 से 2011–12 हेतु रू. 5200.00 करोड़ राशि की पारेषण योजना तैयार की गई थी जिसे वर्ष–दर–वर्ष उत्तरोत्तर विद्युत उत्पादक क्षमता में ह्रास (Slippage) के कारण इसमें कमी कर दी गई। अन्ततः, दिनांक 31.3.2012 तक की उपलब्धियां निम्न तालिकाओं में दर्शाई गई है :*

(अ) भौतिक

तालिका : 19

सरल क्रमांक	*विवरण*	*वर्ष के दौरान उपलब्धि*					*योग*
		वास्तविक 2007–08	*वास्तविक 2008–09*	*वास्तविक 2009–10*	*वास्तविक 2010–11*	*वास्तविक 2011–12*	
ए	***पारेषण तन्तुपथ (Transmission Lines) (सर्किट किलोमीटर में)***						
1	*400 किलोवोल्ट*	*0*	*29*	*0*	*0*	*0*	*29*
2	*220 किलोवोल्ट*	*465*	*871*	*762*	*1049*	*342*	*3489*
3	*132 किलोवोल्ट*	*253*	*396*	*897*	*797*	*410*	*2753*
	योग	***718***	***1296***	***1659***	***1846***	***752***	***6271***
बी	***अति उच्च वोल्टेज उपकेन्द्र (EHV Sub Stations) (एमवीए में)***						
4	*400 किलोवोल्ट*	*0*	*0*	*0*	*630*	*0*	***630***
5	*220 किलोवोल्ट*	*580*	*1740*	*1640*	*740*	*320*	***5020***
6	*132 किलोवोल्ट*	*580*	*1323*	*1352*	*823*	*686*	***4764***
	योग	***1160***	***3063***	***2992***	***2193***	***1006***	***10414***

(ब) वित्तीय

तालिका : 20 (राशि लाख रूपये में)

सरल क्रमांक	विवरण	वर्ष के दौरान उपलब्धि					योग
		वास्तविक 2007–08	वास्तविक 2008–09	वास्तविक 2009–10	वास्तविक 2010–11	वास्तविक 2011–12	
ए	पारेषण तन्तुपथ (Transmission Lines)						
1	400 किलोवोल्ट	1052	253	0	104	13500	14909
2	220 किलोवोल्ट	18792	19547	17203	9638	7871	73051
3	132 किलोवोल्ट	5198	14900	18622	9024	8362	56106
	योग (तन्तुपथ)	**25042**	**34700**	**35825**	**18766**	**29733**	**144066**
बी.	अति उच्च वोल्टेज उपकेन्द्र (EHV Sub Stations)						
4	400 किलोवोल्ट	0	2477	2767	2093	7000	**14337**
5	220 किलोवोल्ट	11157	20399	20405	6678	5266	**63905**
6	132 किलोवोल्ट	10441	30826	18152	11413	13942	**84774**
7	विविध कार्य	520	1231	394	700	5561	**8406**
	योग (उपकेन्द्र)	**22118**	**54933**	**41718**	**20884**	**31769**	**171422**
	महायोग	**47160**	**89633**	**77543**	**39650**	**61502**	**315488**

वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु पारेषण योजना (बारहवीं योजना)

3.2 उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा भार में वृद्धि के बारे में निष्क्रमण प्रणालियों (Evacuation Systems) तथा अनुप्रवाह प्रणाली सुदृढ़ीकरण (Downstream System Strengthening) के समायोजन हेतु एमपीपीटीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु मांग आधारित पारेषण योजना तैयार की है तथा इसे आयोग के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया है।

3.3 अति उच्च दाब तन्तुपथों में 10667 सर्किट किलोमीटर में वृद्धि तथा 19698 एमवीए क्षमता वृद्धि के साथ योजना की कुल योजना राशि रू. 7370.22 करोड़ प्रस्तावित की गई है। वर्षवार भौतिक तथा वित्तीय विवरण निम्नानुसार तालिकाबद्ध किये गये हैं :

तालिका : 21 (अ) वित्तीय वर्ष 2013 से वित्तीय वर्ष 2017 हेतु भौतिक योजना

सरल क्रमांक	विवरण	वर्षवार वार्षिक कार्यक्रम (वर्ष 2013 से 2017)					योग बारहवीं योजना (वर्ष 2013–17
		2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	
ए.	अति उच्च वोल्टेज तन्तुपथ (लाईनें) (सर्किट किलोमीटर में)						
1	400 किलोवोल्ट तन्तुपथ	790	490	90	1100	370	**2840**
2	220 किलोवोल्ट तन्तुपथ	436	412.1	243	468	650	**2209.1**
3	132 किलोवोल्ट तन्तुपथ	876.2	1515	1803	566	858	**5618.2**
कुल सर्किट किलोमीटर		**2102.2**	**2417.1**	**2136**	**2134**	**1878**	**10667.3**
बी.	अति उच्च वोल्टेज उपकेन्द्र (एमवीए)						
1	400 किलोवोल्ट उपकेन्द्र	1575	1260	945	2205	0	**5985**
2	220 किलोवोल्ट उपकेन्द्र	1120	1600	2720	1280	960	**7680**
3	132 किलोवोल्ट उपकेन्द्र	649	1717	2152	723	792	**6033**
कुल एमवीए		**3344**	**4577**	**5817**	**4208**	**1752**	**19698**
सी	अति उच्च वोल्टेज उपकेन्द्र (संख्या)						
1	400 किलोवोल्ट उपकेन्द्र	4	0	2	4	0	**10**
2	220 किलोवोल्ट उपकेन्द्र	1	6	4	6	0	**17**
3	132 किलोवोल्ट उपकेन्द्र	9	22	32	1	3	**67**
योग (संख्या)		**14**	**28**	**38**	**11**	**3**	**94**

तालिका : 22 (ब) वित्तीय वर्ष 2013 से वित्तीय वर्ष 2017 हेतु वित्तीय योजना (राशि लाख रूपये में)

सरल क्रमांक	विवरण	बारहवीं योजना में वर्षवार पूंजी निवेश (2013–2017)					बारहवीं योजना के लिये योजना (2013–17)
		2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	
1	400 किलोवोल्ट उपकेन्द्र	41324	25500	39288	67190	35270	**208572**
2	220 किलोवोल्ट उपकेन्द्र	12328	5710	10814	17057	19740	**65649**
3	132 किलोवोल्ट उपकेन्द्र	19762	27415	37096	22794	22011	**129078**
योग (तन्तुपथ)		**73414**	**58625**	**87198**	**107041**	**77021**	**403299**
4	400 किलोवोल्ट उपकेन्द्र	23044	4680	31004	46800	7600	**113128**
5	220 किलोवोल्ट उपकेन्द्र	14919	13272	24511	20185	8760	**81647**
6	132 किलोवोल्ट उपकेन्द्र	22505	30200	25346	18209	20490	**116750**
7	विविध कार्य	2074	5658	5558	4658	4250	**22198**
योग (उप–केन्द्र)		**62542**	**53810**	**86419**	**89852**	**41100**	**333723**
योग (पारेषण)		**135956**	**112435**	**173617**	**196893**	**118121**	**737022**

उपरोक्त उल्लेखित योजना को आयोग के पत्र क्रमांक एमपीपीईआरसी/डी(टी)/ 2329 दिनांक 31.7.2012 (आदेश दिनांक 30.7.2012 के अनुसार) द्वारा सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

योजना हेतु वित्तीय संयोजन (*Financial Linkage for Plan*)

3.4 *पारेषण योजना का वित्तीय संयोजन एक निरन्तर चालू प्रक्रिया (ongoing process) है। योजना के प्रारंभिक वर्षों में पूर्ण किये जाने वाले कार्यों के संबंध में संयोजन (linkage) उपलब्ध रहते हैं जबकि वित्तीय संयोजन के संबंध में योजना के बाद के वर्षों के लिए जारी रखा जाता है। पूर्व में स्वीकृत की गई योजनाएं एडीबी–2323, एडीबी–2346, पीएफसी–II तथा जेआईसीए हैं। एशियाई विकास बैंक से तृतीय ऋण से संबंधित तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) व पीएफसी ऋण प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा चुके हैं जिन पर कार्यवाही प्रगति पर है। प्राथमिकता वाली योजनाओं के लिये कुछ वित्तीय प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। शेष कार्यों के लिए योजनाओं की प्रस्तुति बाह्य सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत की जाएगी। रू. 700 करोड़ की राशि के कार्यों के लिये आवंटन जन–निजी भागीदारी (Private Public Participation-PPP) के अन्तर्गत आवंटित किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए निधि की व्यवस्था निजी क्षेत्र से संबद्ध कर्ताओं (players) के माध्यम से की जाएगी। बारहवीं योजना के लिये संभावित वित्तीय संयोजन को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है।*

तालिका : 23

बारहवीं योजना (वर्ष 2013–17) तथा उसके बाद के लिये विद्युत पारेषण कार्यक्रम

संक्षिप्त वित्तीय विवरण–पत्र **(राशि लाख रूपये में)**

सरल क्रमांक	विवरण	अनुमानित लागत	व्यय	बारहवीं योजना (2013–17)					बारहवीं योजना (2013–17)
			माह 3/2012 तक	वर्ष 2012–13 (प्रत्याशित)	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
भाग–ए	एडीबी द्वितीय ऋण (नवीन + बचत)	16463	5416	10444	603	0	0	0	11047
भाग–बी	पीएफसी द्वारा वित्तीय प्रबंधित कार्य (पीएफसी–II)	162341	39417	59623	48432	14869	0	0	122924
भाग–सी	जेआईसीए द्वारा वित्तीय प्रबंधित कार्य (जापान)	140464	0	11700	44041	51077	33646	0	140464
भाग–डी	प्राथमिकता वाले पारेषण कार्य (मुमं कार्य, एसएसी, सिंहस्थ) (प्रथम–प्राथमिकता)	9682	0	5216	4466	0	0	0	9682
भाग–ई	प्राथमिकता प्रकार के पारेषण कार्य (द्वितीय–प्राथमिकता)	11971	2126	4377	5072	396	0	0	9845
भाग–एफ	ट्रांसको हेतु एसएसटीडी योजना (अनिधित) (आरईसी/पीएफसी को प्रस्तुत)	57223	0	300	13200	24242	19481	0	57223
भाग–जी	ट्रांसको हेतु एसएसटीडी योजनाएं (अनिधित)	191104	0	0	10000	68000	73300	39804	191104

	(एडीबी के तृतीय ऋण के लिये प्रस्तुत)								
भाग–एच	विद्यमान प्रणाली हेतु प्रणाली सुदृढीकरण कार्य (अनिधित) (प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित)	58006	0	0	0	7176	14770	16380	38326
भाग–आई	विद्यमान प्रणाली हेतु प्रणाली सुदृढीकरण कार्य (अनिधित) (ईएपी हेतु प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित)	259634	0	0	0	0	0	79385	79385
एमपी ट्रांसको द्वारा प्रस्तावित किया गया कुल पूंजी निवेश (पीपीपी को छोड़कर)		906888	46959	91660	125814	165760	141197	135569	660000
जन–निजी भागीदारी (पीपीपी) संबंधी परियोजनाएं									
भाग–जे	जन–निजी भागीदारी (पीपीपी) हेतु प्रस्तावित पारेषण कार्य	70000	0	0	15000	35000	20000	0	70000
प्रस्तावित पूंजी निवेश का योग (जन निजी भागीदारी को सम्मिलित करते हुए)		976888	46959	91660	140814	200760	161197	135569	730000

नियंत्रण अवधि में प्रत्याशित पूंजीकरण (Expected Capitalization in Control Period)

3.5 *याचिकाकर्ता द्वारा योजना के अनुसार कार्यों को पूर्ण किये जाने संबंधी संभव प्रयास किये जा रहे हैं। तथापि पूर्व काल के दौरान यह अनुभव भी किया गया है कि उत्पादन इकाईयों के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार क्रियाशील संभव न होने के कारण (Slippage) कतिपय कार्यों को अनुवर्ती वर्षों में अन्तरित किया जाना आवश्यक हो जाता है ताकि पारेषण परिसम्पत्तियों को निष्क्रिय रखे जाने से बचाया जा सके। कतिपय लक्ष्यों की अप्राप्ति युक्तिसंगत ब्याज दरों पर वित्तीय संसाधनों के उपलब्ध न होने तथा कतिपय कार्यों को संविदा कार्यकाल में पूर्ण किये जाने हेतु प्रशिक्षित विशेषज्ञ ठेकेदारों की कमी के कारण भी हो सकती है। अतएव, इस स्थिति में टैरिफ के प्रयोजन से योजना को पूर्ण किये जाने के लिये एक नियत प्रतिशत की अवधारणा की जा सकती है जो सत्यापन प्रक्रिया के दौरान वास्तविक उपलब्धियों के सत्यापन के अध्यधीन होगी।*

3.6 *यह देखा जा सकता है कि रू. 5200 करोड़ की योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति रू. 3154.88 करोड़ प्राप्त की जा सकी है।*

इसे प्रतिशत के रूप में (3154.88/5200.00) x 100=60.7% माना जा सकता है। अतएव, टैरिफ के प्रयोजन हेतु हम अपने प्रक्षेपणों को योजना के प्रावधान का 60 प्रतिशत मान सकते हैं।

3.7 *हमारे द्वारा उपरोक्त राशि में रू. 700 करोड़ की पीपीपी योजना से संबंधित कार्यों को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इन कार्यों का वित्तीय प्रबन्धन निजी क्षेत्र के कर्ताओं द्वारा किया जाएगा तथा उनके लिये पृथक विद्युत–दर (टैरिफ) की गणना की जाएगी।*

3.8 उपरोक्त अवधारण के आधार पर, वर्षवार निधि की आवश्यकता की गणना तथा इसके संभावित संसाधनों को केवल नियंत्रण अवधि के लिये ही तालिकाबद्ध किया गया है। अपेक्षा की जाती है कि कुछ कार्यों को अनुवर्ती वर्षों में अन्तरण किये जाने के कारण इन्हें वित्तीय वर्ष 2012–13 से नियंत्रण अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कराना होगा।

तालिका : .24

(राशि करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष के दौरान (अपेक्षित) निधि की प्राप्ति			नियंत्रण अवधि हेतु योग
		2013–14	2014–15	2015–16	
1	एडीबी–2323 (बंधित)	21.50	0.00	0.00	21.50
2	एडीबी–2346 (बंधित)	22.42	0.00	0.00	22.42
3	पीएफसी–II (बंधित)	230.00	108.50	50.00	388.50
4	जेआईसीए (बंधित)	244.50	400.00	300.00	944.50
5	राज्य शासन से सहायता (बंधित)	10.00	20.00	25.00	55.00
6	एडीबी–तृतीय (बंधित किया जाना अपेक्षित)	0.00	100.00	70.00	170.00
7	ग्राविनि (REC)/पीएफसी (बंधित किया जाना अपेक्षित)	0.00	67.70	148.02	215.72
8	अन्य बाह्य सहायता परियोजना (बंधित किया जाना अपेक्षित)	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण से राशि की प्राप्ति		528.42	696.20	593.02	1817.64
पूंजी राशि की प्राप्ति		226.46	298.36	254.16	778.98
कुल राशि		**754.88**	**994.56**	**847.18**	**2596.62**

तद्नुसार भौतिक उपलब्धियों का आकलन भी योजना के 60 प्रतिशत के आधार पर तालिकाबद्ध किया गया है :

तालिका : .25

सरल क्रमांक	विवरण	आकलित प्रगति				योग
		इकाई	2013–14	2014–15	2015–16	
1	400 किलोवोल्ट तन्तुपथ	सर्किट किलोमीटर में	294	54	660	1008
2	220 किलोवोल्ट तन्तुपथ	सर्किट किलो मीटर	248	146	281	675
3	132 किलोवोल्ट तन्तुपथ	सर्किट किलो मीटर	909	1082	340	2331
नवीन उपकेन्द्र						
1	400 किलोवोल्ट उपकेन्द्र	संख्या	0	1	3	4
2	220 किलोवोल्ट उपकेन्द्र	संख्या	4	3	4	11
3	132 किलोवोल्ट उपकेन्द्र	संख्या	14	19	1	34
अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों की संख्या						
1	400 किलोवोल्ट उपकेन्द्र	संख्या	1	2	2	5
2	220 किलोवोल्ट उपकेन्द्र	संख्या	2	4	3	9
3	132 किलोवोल्ट उपकेन्द्र	संख्या	6	5	1	12

जोड़े गये अतिरिक्त बे की संख्या						
1	400 किलोवोल्ट उपकेन्द्र	संख्या	1	2	2	5
2	220 किलोवोल्ट उपकेन्द्र	संख्या	2	4	3	9
3	132 किलोवोल्ट उपकेन्द्र	संख्या	6	5	1	12

3.9 उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान पूर्ण किये जाने वाले कार्यों से संबंधित वांछित निधि बंधित (tied up) की गई है। यह पूंजी राज्य सरकार द्वारा निवेश की जाना प्रत्याशित है। वित्तीय वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 के लिए भी निधि का मुख्य भाग बंधित किया जा चुका है। उस समय तक अपेक्षा की जाती है कि बहुवर्षीय टैरिफ के लिये विचार की गई एडीबी के तृतीय ऋण की योजनाओं तथा ग्राविनि (REC)/पीएफसी की योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी तथा बहुवर्षीय टैरिफ के लिये माने गये लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये निधि उपलब्ध कर दी जाएगी।

भौतिक परिसम्पत्तियों का प्रक्षेपण (Projections of Physical Assets)

3.10 पैरा 4.4 तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 (वास्तविक) हेतु सत्यापन याचिका के आधार पर नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष की संचयी परिसम्पत्तियों को निम्न तालिका में प्रक्षेपित किया गया है :

तालिका : .26

स. क्र.	विवरण	इकाई	दिनांक 1.4.12 की स्थिति में सत्यापन याचिका के अनुसार वास्तविक	वित्तीय वर्ष 2012–13 में अपेक्षित वृद्धि	दिनांक 1.4.13 की स्थिति में	वित्तीय वर्ष 2013–14 में अपेक्षित वृद्धि	दिनांक 1.4.14 की स्थिति में	वित्तीय वर्ष 2014–15 में अपेक्षित वृद्धि	दिनांक 1.4.15 की स्थिति में	वित्तीय वर्ष 2015–16 में अपेक्षित वृद्धि	दिनांक 1.4.16 की स्थिति में
1	400 किलोवोल्ट तन्तुपथ	सर्किट किलोमीटर	2343	459	2802	294	3096	54	3150	660	3810
2	220 किलोवोल्ट तन्तुपथ	सर्किट किलोमीटर	11086	249	11335	248	11583	146	11729	281	12010
3	132 किलोवोल्ट तन्तुपथ	सर्किट किलोमीटर	13690	592	14282	909	15191	1082	16273	340	16613
4	400 किलोवोल्ट बे	संख्या	70	19	89	1	90	8	98	21	119
5	220 किलोवोल्ट बे	संख्या	462	29	491	22	513	26	539	40	579
6	132 किलोवोल्ट बे	संख्या	1475	57	1532	84	1616	100	1716	28	1744

3.11 अगले परिच्छेदों के अन्तर्गत प्रचालन तथा संधारण, अवमूल्यन, ब्याज के दावे तथा पूंजी पर प्रतिलाभ हेतु प्रक्षेपण उपरोक्त दर्शाये गये प्रक्षेपण पर बारहवीं पारेषण योजना के आधार पर संतुलित किये गये अनुसार किये गये हैं।

विनियमों से संबंधित प्रावधान (Provisions of Regulations)

3.12 मप्रविनिआ (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन एवं शर्तें) (पुनरीक्षित द्वितीय) विनियम, 2012 {जी–28 (II), वर्ष 2012}के विनियम 17 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

17.1 किसी परियोजना की पूंजीगत लागत में निम्न सम्मिलित होंगे :

(अ) कार्य के मूल प्रावधान के अनुसार किया गया व्यय अथवा वह जिसे व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया है, जिसमें निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज तथा वित्तीय प्रबन्धन प्रभार, निर्माणाधीन अवधि के दौरान ऋण पर विदेश विनिमय दर परिवर्तन के कारण कोई लाभ अथवा हानि, जो परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक, जैसा कि आयोग द्वारा स्वीकार किया गया है, निम्नानुसार होगा–(i) लगाई गई 70 प्रतिशत निधि के बराबर, ऐसे प्रकरणों में जहां वास्तविक पूंजी, लगाई गई निधि से 30 प्रतिशत अधिक हो, आधिक्य पूंजी को मानदण्डीय ऋण, माना जाएगा, अथवा (ii) लगाई गई निधि के 30 प्रतिशत से कम लगाई गई निधि के प्रकरण में, ऋण की वास्तविक राशि के बराबर जैसा कि आयोग द्वारा युक्तियुक्त जांच–पड़ताल के उपरान्त इसे स्वीकार किया गया हो, टैरिफ अवधारण का आधार बनेगा।

(ब) प्रारंभिक कलपुर्जों की पूंजीगत राशि निम्न शीर्षस्थ मानदण्डों के अध्यधीन होगी :

(i) पारेषण–तन्तुपथ (Transmission Line) मूल परियोजना लागत का 0.75 प्रतिशत

(ii) पारेषण–उपकेन्द्र (Transmission Substation) मूल परियोजना लागत का 2.5 प्रतिशत

(iii) श्रृंखलाबद्ध क्षतिपूर्ति उपकरण (Series Compensation devices) मूल परियोजना लागत का 3.5 प्रतिशत

(स) विनियम 18 के अंतर्गत अवधारित किया गया अतिरिक्त पूंजीगत व्यय

परन्तु परिसम्पत्तियां जो परियोजना का भाग बनती है, परन्तु उपयोग में न हों, उन्हें पूंजीगत लागत से पृथक रखा जाएगा।

17.2 आयोग द्वारा युक्तियुक्त जांच–पड़ताल उपरान्त स्वीकृत की गई पूंजीगत लागत विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण का आधार बनेगी :

परंतु आयोग द्वारा किसी वैयक्तिक पारेषण परियोजना के प्रकरण में, पूंजीगत लागत की युक्तियुक्त जांच केन्द्रीय आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किये गये मार्गदर्शी मानदण्डों पर आधारित की जा सकेगी।

परंतु यह भी कि जहां केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट मार्गदर्शी मानदण्डों का अनुप्रयोग नहीं किया जाता हो, युक्तियुक्त जांच–पड़ताल में पूंजीगत व्यय, वित्त–प्रबंधन योजना, निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज, दक्ष प्रोद्यौगिकी का प्रयोग, आधिक्य लागत तथा अन्य ऐसे विषय जैसे कि ये आयोग द्वारा टैरिफ के अवधारण हेतु समुचित हों, समझे जाएं :

परंतु यह भी कि जहां पारेषण सेवा अनुबंध वास्तविक व्यय की कोई उच्चतम सीमा का प्रावधान करता हो, वहां आयोग द्वारा टैरिफ के अवधारण बाबत् अनुज्ञेय पूंजीगत व्यय के अंतर्गत ऐसी उच्चतम सीमा पर विचार किया जाएगा :

परंतु यह भी कि विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरण में, आयोग द्वारा दिनांक 1.4.2013 से पूर्व स्वीकार की गई पूंजीगत लागत तथा टैरिफ अवधि 2013–16 के तत्संबंधी वर्ष हेतु प्रक्षेपित किया गया अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, जैसा कि इसे आयोग द्वारा स्वीकार किया जाए, टैरिफ के अवधारण का आधार बनेगा।

17.3 आयोग द्वारा लागत अनुमानों का सूक्ष्म परीक्षण पूंजीगत लागत, वित्त प्रबंध योजना, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज राशि, प्रौद्योगिकी के दक्ष प्रयोग तथा इसी प्रकार की अन्य मदों के संबंध में इनके युक्तियुक्त होने के संबंध में किया जाएगा। आयोग इस संबंध में, जैसा कि वह उचित समझे, विशेष परामर्श भी प्राप्त कर सकेगा।

17.4 पूंजी (इक्विटी) एक ऋण के आनुपातिक अंशदान के संबंध में पूंजीगत लागत की पुनर्संरचना को टैरिफ अवधि के दौरान अनुज्ञेय किया जा सकेगा, यदि ऐसा टैरिफ को विपरीतात्मक प्रभावित न करे। इस प्रकार की गई किसी पुनर्संरचना द्वारा प्राप्त कतिपय लाभ को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के दीर्घ–अवधि राज्यान्तरिक खुली पहुंच क्रेताओं को ऐसे अनुपात में, जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए अन्तरित किया जाएगा।''

3.13 इसके अतिरिक्त, मप्रविनिआ (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2012 {जी–28 (II), वर्ष 2012}के विनियम 20 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

ऋण–पूंजी अनुपात (Debt-Equity Ratio)

''20.1 किसी परियोजना हेतु जिसे दिनांक 1.4.20013 अथवा इसके उपरान्त वाणिज्यिक प्रचालन हेतु घोषित किया गया हो, यदि वास्तविक रूप से लगाई गई पूंजी, पूंजीगत लागत से 30 प्रतिशत अधिक हो तो 30 प्रतिशत से अधिक पूंजी को मानदण्डीय ऋण माना जाएगा :

परन्तु जहां वास्तविक रूप से लगाई गई पूंजी पूंजीगत लागत से 30 प्रतिशत कम हो, वहां ऐसे प्रकरण में टैरिफ अवधारण हेतु वास्तविक रूप से लगाई गई पूंजी को ही मान्य किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि विदेशी मुद्रा में निवेशित की गई पूंजी को प्रत्येक निवेश की तिथि को भारतीय रूपयों में नामोदिष्ट (Designated) किया जाएगा।

***व्याख्या** : पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परियोजना के वित्तीय पोषण हेतु उसकी मुक्त संचिति (Free reserve) में से सृजित आन्तरिक स्त्रोतों की अंशपूंजी तथा पूंजी निवेश जारी करते समय अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि, यदि कोई हो, को पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना हेतु चुकाई गई पूंजी के रूप में गणना की जाएगी इस प्रतिबंध के अंतर्गत कि ऐसी अधिमूल्य राशि तथा आन्तरिक स्त्रोतों को पारेषण प्रणाली को पूंजीगत व्यय की आपूर्ति हेतु वास्तविक उपयोग में लाया जाएगा।*

20.2 ऐसे प्रकरण में जहां पारेषण प्रणाली को दिनांक 1.4.2013 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया गया हो, आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2013 को समाप्त होने वाली

अवधि के अन्तर्गत टैरिफ के अवधारण हेतु अनुज्ञेय किया गया ऋण–पूंजी (इक्विटी) अनुपात मान्य किया जाएगा।

20.3 ऐसा कोई व्यय जो दिनांक 1.4.2013 को अथवा उसके उपरांत किया गया अथवा किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो, जैसा कि आयोग द्वारा इसे अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के रूप में टैरिफ के अवधारण हेतु स्वीकार किया गया हो एवं जीवनकाल की वृद्धि हेतु नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण व्यय को विनियम 20.1 में विनिर्दिष्ट विधि के अनुसार सेवाकृत किया जाएगा।

आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

3.14 याचिका के प्रारंभिक परीक्षण के दौरान आयोग द्वारा यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु पूर्व की पारेषण योजना (Transmission Plan) के अन्तर्गत भौतिक प्रगति के आंकड़े वित्तीय वर्ष 2011–12 में सत्यापन याचिका तथा प्रतिपालन के प्रतिवेदक (Reporter of Compliance) द्वारा प्रतिवेदित क्षमता परिवर्धनों (Capacity additions) में प्रतिवेदित आंकड़ों से मेल नहीं खाते। अतएव, याचिकाकर्ता से इस विसंगति के बारे में स्पष्टीकरण चाहा गया।

3.15 प्रत्युत्तर में एमपीपीटीसीएल ने पत्र क्रमांक 1326 दिनांक दिनांक 20.2.13 द्वारा निम्न स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया :

''पारेषण योजना (Transmission Plan) से संबंधित तालिका में वित्तीय वर्ष 2011–12 संबंधी उपलब्धियां प्राक्कलित आंकड़े थे जिन्हें त्रुटिवश वास्तविक आंकड़ों के रूप में टंकित किया गया जबकि वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु सत्यापन याचिका में प्रतिवेदित आंकड़े तथा प्रतिपालन के प्रतिवेदक के प्रतिवेदन के आंकड़े वास्तविक उपलब्धियां हैं। उपरोक्त कारणों से आंकड़ों में यह अन्तर परिलक्षित हुआ है, चूंकि वास्तविक उपलब्धियों की जानकारी अब उपलब्ध है। अतएव, तालिका को निम्नानुसार संशोधित किया जा रहा है :

तालिका : 27 (अ) भौतिक

सरल क्रमांक	*विवरण*	*इकाई*	*परिवर्धित क्षमता*				
			2007–08	***2008–09***	***2009–10***	***2010–11***	***2011–12***
1	*400 केवी*	*सर्किट किलोमीटर*	*0*	*29*	*0*	*0*	*0*
2	*220 केवी*	*सर्किट किलोमीटर*	*465*	*872*	*765*	*1049*	*228.92*
3	*132 केवी*	*सर्किट किलोमीटर*	*253*	*396*	*897*	*798*	*420.83*
कुल अति उच्च वोल्टेज तन्तुपथ			***718***	***1297***	***1662***	***1847***	***650***
4	*400 केवी*	*एमवीए*	*0*	*0*	*0*	*630*	*0*
5	*220 केवी*	*एमवीए*	*580*	*1740*	*1640*	*740*	*760*
6	*132 केवी*	*एमवीए*	*580*	*1323*	*1352*	*823*	*572*
कुल उप केन्द्रों की संख्या			***1160***	***3063***	***2992***	***2193***	***1332***

तथापि यह निवेदन किया जाना उचित होगा कि बहुवर्षीय टैरिफ याचिका के पैरा 4.5 की तालिका, जो प्रगति को आगे बढ़ाती है (Carry Forward) तथा बहुवर्षीय याचिका में प्रचालन तथा संधारण

व्ययों की गणना के बारे में पैरा 5.3 के आंकड़े वास्तविकता पर आधारित हैं तथा ये वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु सत्यापन याचिका के पैरा 6.4 की तालिका से 31.3.2012 की स्थिति में परिसम्पत्तियों से मेल खाते हैं। अतएव, उपरोक्त उल्लेखित संशोधित तालिकाएं प्रचालन एवं संधारण व्ययों के दावों तथा अन्य किसी टैरिफ दावे को प्रभावित नहीं करतीं।''

3.16 याचिका के उप–परिच्छेद 4.5 में, एमपीपीटीसीएल द्वारा भौतिक परिसम्पत्तियों का प्रक्षेपण बारहवीं पारेषण योजना (वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2016–17) के आधार पर किया गया है जिसके अनुसार योजना की केवल 60 प्रतिशत वास्तविक उपलब्धि का प्रावधान किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान प्रत्याशित उपलब्धि का उल्लेख भी किया गया। उपरोक्त कथन को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 31 जनवरी, 2013 की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2012–13 में बारहवीं योजना की वास्तविक उपलब्धियां चाही गईं ताकि सही प्रक्षेपणों का आकलन किया जा सके।

3.17 प्रत्युत्तर में एमपीपीटीसीएल द्वारा निम्न जानकारी प्रस्तुत की गई :

''दिनांक 31.1.2013 की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान वास्तविक उपलब्धियां निम्न तालिका में दर्शाई गई हैं। चूंकि वर्ष के अन्त में निर्माणाधीन कार्य लगभग समाप्त हो चुके हैं, यह आवश्यक नहीं है कि माह अप्रैल, 2012 से माह जनवरी, 2013 तक की प्रगति का आकलन पिछली योजना के पांच वर्ष की प्रगति का प्रतिनिधित्व करे। तथापि, इसका चित्रण और अधिक स्पष्ट किये जाने की दृष्टि से, वे कार्य जिनक माह फरवरी, तथा मार्च, 2013 के दौरान पूर्ण होने की संभावना है, निम्न तालिका में प्रदर्शित किये गये हैं :

तालिका : 28

सरल क्रमांक	*वोल्टेज (केवी)*	*दिनांक 31.3.2012 की स्थिति में संचयी*			*दिनांक 31.3.2013 की स्थिति में संचयी*			*वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान (दिनांक 31.1.2013 की स्थिति में)*		
		पारेषण लाईनें (सर्किट किलोमीटर में)	*अति उच्च वोल्टेज उपकेन्द्र*		*पारेषण लाईनें (सर्किट किलोमीटर में)*	*अति उच्च वोल्टेज उपकेन्द्र*		*पारेषण लाईनें (सर्किट किलोमीटर में)*	*अति उच्च वोल्टेज उपकेन्द्र*	
			उपकेन्द्र (संख्या)	*एमवीए क्षमता*		*उपकेन्द्र (संख्या)*	*एमवीए क्षमता*		*उपकेन्द्र (संख्या)*	*एमवीए क्षमता*
ए	*अति उच्च वोल्टेज प्रणाली (EHV System)*									
1	*400 केवी*	*2343.01*	*5*	*4515*	*2448.13*	*6*	*4830*	*105.12*	*1.00*	*315.00*
2	*220 केवी*	*11085.41*	*55*	*15110*	*11332.97*	*56*	*15750*	*247.56*	*1.00*	*640.00*
3	*132 केवी, 66 केवी सम्मिलित*	*13690.23*	*188*	*15939*	*13991.24*	*192*	*16325*	*301.01*	*4.00*	*386.00*
4	***योग***	***27118.65***	***248***	***35564***	***27772.34***	***254***	***36905***	***653.69***	***6.00***	***1341***
बी	***अति उच्च वोल्टेज प्रणाली : कार्य प्रगति पर, जिनकी दिनांक 31.3.2013 तक पूर्ण होने की संभावना है***									
1	*400 केवी*	-	-	-	-	-	-	*399.70*	*2.00*	*1260.00*
2	*220 केवी*	-	-	-	-	-	-	*8.82*	*1.00*	*160.00*
3	*132 केवी 66 केवी सम्मिलित*	-	-	-	-	-	-	*312.32*	*5.00*	*263.00*
4	***योग***	-	-	-	-	-	-	***720.84***	***8.00***	***1683***

सरल क्रमांक	वोल्टेज (केवी)	दिनांक 31.3.2012 की स्थिति में संचयी			दिनांक 31.3.2013 की स्थिति में संचयी			वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान (दिनांक 31.1.2013 की स्थिति में)		
		पारेषण लाईनें (सर्किट किलोमीटर में)	अति उच्च वोल्टेज उपकेन्द्र		पारेषण लाईनें (सर्किट किलोमीटर में)	अति उच्च वोल्टेज उपकेन्द्र		पारेषण लाईनें (सर्किट किलोमीटर में)	अति उच्च वोल्टेज उपकेन्द्र	
			उपकेन्द्र (संख्या)	एमवीए क्षमता		उपकेन्द्र (संख्या)	एमवीए क्षमता		उपकेन्द्र (संख्या)	एमवीए क्षमता
सी	अति उच्च वोल्टेज प्रणाली : कार्य प्रगति पर, जिनकी दिनांक 31.3.2013 तक पूर्ण होने की संभावना है									
1	400 केवी	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
2	220 केवी	-	-	-	-	-	-	4.28	-	-
3	132 केवी, 66 केवी सम्मिलित	-	-	-	-	-	-	64.40	-	-
4	**योग**	-	-	-	-	-	-	**68.68**	-	-
डी	अति उच्च वोल्टेज प्रणाली : कार्य प्रगति पर, दिनांक 31.3.2013 तक की प्रगति (ए+बी+सी+डी)									
1	400 केवी	-	-	-	-	-	-	504.82	3.00	1575.00
2	220 केवी	-	-	-	-	-	-	260.66	2.00	800.00
3	132 केवी, 66 केवी सम्मिलित	-	-	-	-	-	-	677.73	9.00	649.00
4	**योग**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1443.21**	**14.00**	**3024.0**

3.18 याचिका के अन्तर्गत नियन्त्रण अवधि के समस्त तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 तक) हेतु दाखिल किये गये आंकड़ों का अवलोकन करने पर आयोग द्वारा पिछली नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2011–12 तक) हेतु पूर्व बहुवर्षीय याचिका में एमपीपीटीसी द्वारा प्रक्षेपित आकड़ों की तुलना में याचिका क्रमांक 26/2009 में पिछले बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 11.1.2010 के अन्तर्गत अनुमोदित सकल स्थाई परिसम्पत्तियों (GFA)में परिवर्धन के संबंध में प्रस्तुत आंकड़ों का पुर्नावलोकन किया गया। उपरोक्त आंकड़े को अवलोकन पश्चात निम्न अभ्युक्ति की जाती है :

(i) एमपीपीटीसीएल ने अपनी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को रू. 6804.46 करोड़ से घटा कर रू. 5200.00 करोड़ कर दिया गया है जैसा कि इसका उल्लेख पिछले बहुवर्षीय टैरिफ आदेश के पैरा 2.9 में किया गया है, जिसे निम्नानुसार उद्धरित किया जा रहा है :

तालिका : 29 *(राशि करोड़ रूपये में)*

विवरण	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पारेषण कार्यक्रम के लिये निधि की आवश्यकता (वर्ष 2007–08 से वर्ष 2011–12)	
	माह जुलाई 07 में तैयार किये गये अनुसार	माह अप्रैल 08 में तैयार किये गये अनुसार
2007-08	715.79	471.60
2008-09	1274.40	863.00
2009-10	1525.07	1280.00
2010-11	1704.51	1300.00
2011-12	1584.69	1285.40
ग्यारहवीं योजना हेतु योग	**6804.46**	**5200.00**

(ii) एमपीपीटीसीएल द्वारा केवल पुनरीक्षित ग्यारहवीं योजना के 60 प्रतिशत की दर से सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि का ही दावा किया गया, जिसमें कतिपय विचलनों (Slippages), प्रत्याशित पूंजीकरण निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) के अन्तर्गत कतिपय निधि पर निम्नानुसार विचार किया गया है :

तालिका : 30 *(राशि करोड़ रूपये में)*

सरल क्रमांक	*वर्ष*	*सकल स्थाई परिसम्पत्तियां*		
		वर्ष के प्रारंभ में	*वर्ष के दौरान की गई वृद्धि*	*वर्ष के अंत में*
1	*2009-10*	*3954.13*	***768.00***	*4722.13*
2	*2010-11*	*4722.13*	***780.00***	*5502.13*
3	*2011-12*	*5502.13*	***771.00***	*6237.13*

3.19 इसी क्रियाविधि का अनुसरण करते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में वृद्धि तथा विद्युत प्रणाली की लम्बाई (network length) में वृद्धि आयोग द्वारा अनुमोदित बारहवीं पंचवर्षीय पारेषण योजना की 60 प्रतिशत सीमा के अन्तर्गत की गयी है।

3.20 वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वष 2011–12 हेतु पिछले बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में, आयोग द्वारा एमपीपीटीसीएल द्वारा नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु दाखिल की गई सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि के संबंध में प्रक्षेपण उक्त आदेश में उल्लेखित किये गये विभिन्न कारणों से उल्लेखनीय रूप से कम दिये गये थे।

3.21 सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में वृद्धि तथा नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु नेटवर्क की लम्बाई के संबंध में सही प्रक्षेपणों के आकलन के उद्देश्य से आयोग ने पिछली नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये याचिकाकर्ता के अंकेक्षित तुलन–पत्र से वास्तविक सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में वृद्धि की समीक्षा की है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता की वास्तविक क्षमता उसकी स्वयं की तथा इसे लेखा पुस्तकों में पूंजीकृत किये जाने के प्रयोजन से भी प्रस्तावित योजना के निष्पादन हेतु प्राप्त की गई है। उपरोक्त अभ्यास वास्तविक तथा आगामी नियंत्रण अवधि में प्राप्तियोग्य सकल स्थाई परिसम्पत्ति के प्रक्षेपणों की प्राप्ति हेतु भी किया गया है। आयोग द्वारा अद्यतन स्थिति निम्नानुसार पाई गई है :

तालिका : 31 **(राशि करोड़ रूपये में)**

वर्ष	**सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में वृद्धि के विवरण**		
	जैसा कि एमपीपीटीसीएल द्वारा पिछले बहुवर्षीय टैरिफ याचिका में दावा किया गया	**जैसा कि आयोग द्वारा पिछले बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में माना गया**	**अंकेक्षित तुलन–पत्रों के अनुसार वास्तविक सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि**
वित्तीय वर्ष 2009–10	768	503	590.48
वित्तीय 2010–11	780	413	482.21
वित्तीय वर्ष 2011–12	771	366	229.90
योग	2319	1282	1302.59
वास्तविक सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि का प्रतिशत	**178%**	**98%**	

3.22 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु पारेषण टैरिफ आदेश दिनांक 17 अप्रैल, 2012 को जारी किया गया। उपरोक्त उल्लेखित आदेश के पैरा 2.18 में, अंकेक्षित लेखों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010–11 के अन्त तक की सकल स्थाई सम्पत्ति पर तथा याचिका में वित्तीय वर्ष 2011–12 के प्रक्षेपणों पर विचार किया गया। वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि के बारे में उक्त आदेश के पैरा 2.19 में उल्लेखित विवरणों के आधार पर विचार किया गया।

3.23 आयोग को वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अंकेक्षित लेखे आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के पारेषण टैरिफ आदेश पारित किये जाने के काफी बाद में उपलब्ध कराये गये। आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु पारेषण आदेश का सत्यापन आदेश दिनांक 4.2.2013 को जारी किया गया। उपरोक्त आदेश के पैरा 4.38 में, ऋण तथा पूंजी पर विचार सकल स्थाई परिसम्पत्ति में परिवर्धन (उपभोक्ता अंशदान के सकल के बराबर) के आधार पर किया गया। इस आदेश के अन्तर्गत इन्हीं आंकड़ों पर वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु रू. 482.21 करोड़ हेतु विचार किया गया है।

3.24 वर्तमान आदेश में भी आयोग ने पूर्व में अपनाई गई क्रियाविधि टैरिफ अवधारण के प्रयोजन हेतु पूर्व के तीन वर्षों के सकल स्थाई सम्पत्ति पर विचार किये जाने बाबत (अपेक्षित अंशदान के सकल के बराबर) आगामी नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रक्षेपित वृद्धि के रूप में इसके सत्यापन के अध्यधीन अपनाई गई। सकल स्थाई परिसम्पत्ति परिवर्धन (रू. 489.98 करोड़ के बतौर) जैसा कि इसे आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के पारेषण टैरिफ आदेश में माना गया था, इस आदेश के लिये भी अपनाया गया है।

3.25 वित्तीय वर्ष 2010–11 के पारेषण सत्यापन आदेश में, आयोग द्वारा रू. 5045.91 करोड़ की सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA), रू. 19.10 करोड़ के उपभोक्ता अंशदान को सम्मिलित करते हुए, स्वीकार की गयी थी। अतएव आयोग ने रू. 5026.81 करोड़ की राशि को शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति (उपभोक्ता अंशदान को छोड़कर) टैरिफ के प्रयोजन हेतु माना गया है। वित्तीय वर्ष 2011–12 के अंकेक्षित तुलन–पत्र की टीप 12 में दर्शाया गया है कि सकल स्थाई परिसम्पत्ति (नवीन तथा विद्यमान परिसम्पत्तियों पर उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध राशि के रूप में) की राशि दिनांक 31.3.2012 की स्थिति में अब बढ़कर रू. 5256.71 करोड़ हो गई है। गणना के प्रयोजन हेतु इस आदेश में भी इस राशि को माना गया है।

3.26 उपरोक्त चर्चा के आधार पर, सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि (नवीन तथा विद्यमान परिसम्पत्तियों पर उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध राशि के रूप में) जैसा कि आयोग द्वारा इसे वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु इस आदेश में माना गया है, को निम्नानुसार सारबद्ध किया गया है :

तालिका : 32 सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि (पिछले वास्तविक रूझानों के आधार पर किये गये प्रक्षेपण के अनुसार) **(राशि करोड़ रूपये में)**

एमपीपीटीसीएल का अंकेक्षित वित्तीय विवरण पत्र/प्रक्षेपण			
वर्ष/तिथि	**सकल स्थाई परिसम्पत्ति**	**वर्ष के दौरान की गयी सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि**	**अभ्युक्ति**
31/3/2009	3954.12		अंकेक्षित तुलन–पत्र/सत्यापन आदेश के अनुसार वास्तविक सकल स्थाई परिसम्पत्ति
31/3/2010	4544.60	590.48	
31/3/2011	5026.81	482.21	
31/3/2012	5256.71	229.90	

31/3/2013	5746.69	489.98	सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि टैरिफ आदेश दिनांक 17.4.2012 के पैरा 2.19 के अनुसार
31/3/2014	**6180.89**	**434.20**	**सकल स्थाई परिसम्पत्ति में प्रक्षेपित वृद्धि तीन वर्षों के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में औसत वृद्धि पर आधारित है**
31/3/2015	**6615.09**	**434.20**	
31/3/2016	**7049-29**	**434.20**	

3.27 विनियमों के अन्तर्गत किये गये प्रावधानों के अनुसार आयोग द्वारा निधीयन के स्त्रोत को 70 प्रतिशत ऋण तथा 30 प्रतिशत पूंजी माना गया है। तद्नुसार, ऋण तथा पूंजी घटकों को निम्न तालिका में दर्शायेनुसार माना गया है :

तालिका : 33 **(राशि करोड़ रूपये में)**

	ऋण	पूंजी	कुल सकल स्थाई परिसम्पत्ति
वित्तीय वर्ष 2011–12*	160.93	68.97	229.90
वित्तीय वर्ष 2012–13*	342.99	146.99	489.98
वित्तीय वर्ष 2013–14	303.94	130.26	434.20
वित्तीय वर्ष 2014–15	303.94	130.26	434.20
वित्तीय वर्ष 2015–16	303.94	130.26	434.20

*(*टीप : वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 के आंकड़े केवल प्रपत्र गणना (Proforma Calculation) के प्रयोजन हेतु ही प्रदर्शित किये गये है, न कि उक्त वर्षों के दौरान टैरिफ के अनुमोदन हेतु)*

3.28 दिनांक 31.3.2013 तक की पारेषण विद्युत–दर (टैरिफ) को आयोग द्वारा पूर्व में अवधारित कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 की वर्तमान नियंत्रण अवधि हेतु आंकड़े इस आदेश में दिये गये अनुसार ही टैरिफ प्रयोजन हेतु ही माने गये हैं। वास्तविक पूंजीकरण अंकेक्षित वित्तीय विवरण पत्रों के अनुसार समुचित रूप से तत्संबंधी वर्ष हेतु सत्यापन अभ्यास का निष्पादन करते समय विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

प्रचालन तथा संधारण व्यय (O&M Expenses)

याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण (Petitioner's Submission)

याचिकाकर्ता ने मोटे तौर पर निम्नानुसार निवेदन किया है :

3.29 *''प्रचालन तथा संधारण व्ययों में कर्मचारी लागत (Employee Expenses) मरम्मत तथा अनुरक्षण (Repairs & Maintenance-R&M) लागत और प्रशासनिक तथा सामान्य (Administrative & General - A&G) लागत को शामिल किया जाता है। प्रचालन तथा संधारण व्यय के मानदण्ड पारेषण तन्तुपथ (transmission lines) के सर्किट किलोमीटर तथा उप–स्टेशन में बे की संख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है। इन मानदण्डों में पेंशन, सेवान्त प्रसुविधाओं (Terminal Benefits), कर्मचारियों को भुगतान किये जाने वाले प्रोत्साहन तथा बकाया राशि, शासन को देय करों तथा मप्रविनिआ को देय शुल्क को शामिल नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा शासन को*

देय करों, मप्रविनिआ को भुगतान किये गये शुल्क तथा कर्मचारियों को भुगतान किये जाने वाली बकाया राशि का दावा पृथक से किया जाएगा। प्रचालन तथा संधारण व्ययों के बारे में प्रति 100 सर्किट किलोमीटर तथा प्रति बे मानदण्डों का विनियमों के पैरा 37.1 में निम्नानुसार निर्दिष्ट किया है :

तालिका : 34 प्रचालन एवं संधारण व्ययों के मानदण्ड प्रति 100 सर्किट किलोमीटर एवं प्रति बे :

सरल क्रमांक	विवरण	2013–14	2014–15	2015–16
	तन्तुपथ (लाईनें)	लाख रूपये/100 सर्किट किलोमीटर/वर्ष		
1	400 केवी तन्तुपथ	33.6	36.2	39.1
2	220 केवी तन्तुपथ	27.0	29.2	31.5
3	132 केवी तन्तुपथ	25.4	27.4	29.6
	बे	लाख रूपये /बे/वर्ष		
1	400 केवी बे	15.5	16.7	18.0
2	220 केवी बे	11.5	12.5	13.5
3	132 केवी बे	10.9	11.8	12.7

3.30 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हेतु कुल स्वीकारयोग्य प्रचालन एवं संधारण व्ययों की गणना वर्ष हेतु औसत बे संख्या तथा 100 सर्किट किलोमीटर तन्तुपथ लम्बाई (line length) को प्रचालन एवं संधारण व्ययों के क्रमशः प्रति बे तथा प्रति 100 सर्किट किलोमीटर के गुणनफल द्वारा किया जाएगा।

अति उच्च वोल्टेज लाईनों तथा उप स्टेशनों का प्रक्षेपण (Projection of EHV Lines & Substations)

3.31 अति उच्च वोल्टेज तन्तुपथों तथा उप–केन्द्रों में वृद्धि के बारे में प्रक्षेपण पारेषण योजना (Transmission Plan) के पैरा 4.5 के अन्तर्गत किये गये हैं। याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु 'सत्यापन याचिका' दाखिल की गई है जिसके अन्तर्गत वास्तविक अति उच्च वोल्टेज तन्तुपथों तथा उपकेन्द्रों को दिनांक 31.3.2012 की स्थिति में प्रदर्शित किया गया है जिन्हें दिनांक 1.4.2012 की स्थिति में वास्तविक परिसम्पत्तियां माना गया है। याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु पारेषण प्रभारों के अवधारण हेतु याचिका 15.2.2012 को प्रस्तुत की गई जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु प्रक्षेपण किये गये थे। आयोग ने अपने आदेश दिनांक 17.4.2012 में वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु प्रचालन एवं संधारण व्यय एक निश्चित प्रक्षेपण के आधार पर अनुज्ञेय किये हैं।

3.32 याचिका को प्रस्तुत करते समय हमारे पास माह सितम्बर 2012 तक तथा निर्माणाधीन कार्य, जिन्हें दिनांक 31.3.2013 तक क्रियाशील किये जाने की अपेक्षा की जाती है, की प्रगति के आंकड़े उपलब्ध हैं। पारेषण योजना के पैरा 4.5 के अन्तर्गत दर्शाई गई तालिका में उपलब्ध अति उच्च वोल्टेज तन्तुपथों तथा अति उच्च वोल्टेज उपकेन्द्रों में बे की संख्या के प्रक्षेपणों को तद्नुसार उपरोक्त आधार पर वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु संशोधित किया गया है। तत्पश्चात्, इन वर्षों के लिये प्रक्षेपण योजना में किये गये प्रावधानों के 60 प्रतिशत पर आधार लिये गये हैं।

नियंत्रण अवधि के दौरान परिसम्पत्तियां (Assets during Control Period)

3.33 पारेषण योजना के पैरा 4.5 में दी गई, तालिका के आधार पर नियंत्रण अवधि के दौरान विद्यमान तन्तुपथों की औसत लम्बाई तथा बे की औसत संख्या निम्न तालिका में दर्शाए हैं :

तालिका : 35

वोल्टेज	दर्शाई गई तिथि को तन्तुपथ की लम्बाई					दर्शाये गये तन्तुपथ की औसत लम्बाई		
	1.4.12	1.4.13	1.4.14	1.4.15	1.4.16	2013-14 (3+4)/2	2014-15 (4+5)/2	2015-16 (5+6)/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400 केवी	2343	2802	3096	3150	3810	2949	3123	3480
220 केवी	11086	11335	11583	11729	12010	11459	11656	11869
132 केवी + 66 केवी	13690	14282	15191	16273	16613	14737	15732	16443
योग	**27119**	**28419**	**29870**	**31152**	**32433**	**29145**	**30511**	**31792**

वोल्टेज	दर्शाई गई तिथि को बे संख्या					दर्शाये गये वर्षों के दौरान बे संख्या		
	1.4.12	1.4.13	1.4.14	1.4.15	1.4.16	2013-14 (3+4)/2	2014-15 (4+5)/2	2015-16 (5+6)/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400 केवी	70	89	90	98	119	90	94	109
220 केवी	462	491	513	539	579	502	526	559
132 केवी + 66 केवी	1475	1532	1616	1716	1744	1574	1666	1730
योग	**2007**	**2112**	**2219**	**2353**	**2442**	**2166**	**2286**	**2398**

नियंत्रण अवधि हेतु प्रचालन एवं संधारण दावा (O&M Claim for Control Period)

3.34 उपरोक्त उल्लेखित पैरा 5.1 में प्रचालन एवं संधारण मानदण्डों तथा नियंत्रण अवधि के तीन वर्षों के दौरान अति उच्च वोल्टेज तन्तुपथों की औसत लम्बाई तथा बे संख्या के आधार पर प्रचालन तथा संधारण व्यय दावे को निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

तालिका : 36 (राशि लाख रूपये में)

स. क्रं	वोल्टेज	2013–14			2014–15			2015–16		
		मात्रा (सर्किट कि.मी)	प्रति 100 कि. मी. मानदण्ड	राशि (3x4) /100	मात्रा (सर्किट कि.मी)	प्रति 100 कि.मी. मानदण्ड	राशि (6x7) /100	मात्रा (सर्किट कि.मी)	प्रति 100 कि. मी. मानदण्ड	राशि (9x10) /100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400 केवी तंतुपथ	2949	33.6	991	3123	36.2	1131	3480	39.1	1361
2	220 केवी तंतुपथ	11459	27.0	3094	11656	29.2	3403	11869	31.5	3739
3	132 केवी +	14737	25.4	3743	15732	27.4	4311	16443	29.6	4867

स. क्रं	वोल्टेज	2013–14			2014–15			2015–16		
		मात्रा (सर्किट कि.मी)	प्रति 100 कि. मी. मानदण्ड	राशि (3x4) /100	मात्रा (सर्किट कि.मी)	प्रति 100 कि.मी. मानदण्ड	राशि (6x7) /100	मात्रा (सर्किट कि.मी)	प्रति 100 कि. मी. मानदण्ड	राशि (9x10) /100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	66 केवी तंतुपथ									
ए	योग	29144	-	7828	30511	-	8845	31792	-	9967
स. क्रं	वोल्टेज	2013–14			2014–15			2015–16		
		मात्रा (संख्या)	प्रति बे मानदण्ड	राशि (3x4)	मात्रा (संख्या)	प्रति बे मानदण्ड	राशि (6x7)	मात्रा (संख्या)	प्रति बे मानदण्ड	राशि (9x10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400 केवी बे	90	15.5	1395	94	16.7	1570	109	18.0	1962
2	220 केवी बे	502	11.5	5773	526	12.5	6575	559	13.5	7547
3	132 केवी + 66 केवी बे	1574	10.9	17157	1666	11.8	19659	1730	12.7	21971
बी	योग	2166	-	24325	2286	-	27804	2398	-	31480
	महायोग (ए+बी)	-	-	32152	-	-	36648	-	-	41446

3.35 *निवेदन किया गया कि नियंत्रण अवधि के लिये संचालन एवं संधारण व्यय निम्नानुसार स्वीकृत किये जाएं :*

(i) वित्तीय वर्ष 2013-14 - रू. 321.52 करोड़
(ii) वित्तीय वर्ष 2014-15 - रू. 366.48 करोड़
(iii) वित्तीय वर्ष 2015-16 - रू. 414.46 करोड़

अन्य मदें (Other Items)

3.36 *प्रचालन तथा संधारण में शामिल की गई मदों में सेवान्त प्रसुविधाएं, पुनरीक्षित वेतन संबंधी बकाया राशि, शुल्क, करों, आदि को शामिल नहीं किया गया है। इनका दावा याचिका के अनुवर्ती परिच्छेदों में किया गया है।*

विनियम संबंधी प्रावधान (Provisions of Regulations)

3.37 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2012 {जी–28(II), वर्ष 2012)} के विनियम 27 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

"27.1 टैरिफ अवधि हेतु प्रचालन तथा संधारण व्यय का अवधारण आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मानकीकृत प्रचालन एवं संधारण व्ययों के आधार पर किया जाएगा।

27.2 टैरिफ अवधि के प्रारंभ में, राज्य पारेषण इकाई द्वारास छठवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार कर्मचारियों के वेतनमान के पुनरीक्षण के कारण, कर्मचारियों को देय बकाया राशि को छोड़कर मानकीकृत प्रचालन तथा संधारण व्ययों में अभिवृद्धि, थोक विक्रय मूल्य

सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल सूचकांक के भारित औसत पर 60 : 40 के अनुपात में विचार करते हुए 7.93 प्रतिशत दर पर की गई है।

27.3 मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीटीसीएल) से एकत्रित किये गये विवरण का परीक्षण किये जाने पर यह पाया गया कि पिछली नियंत्रण अवधि के दौरान मानदण्डीय व्ययों की गणना के संबंध में पारेषण तंत्र के मानकों (parameters), जिन पर विचार किया जा रहा है तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु वास्तविक व्यय तथा एमपीपीटीसीएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अनुमानित किये गये व्यय (वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अंकेक्षित तुलन–पत्र के उपलब्ध न होने के कारण) जो कर्मचारी व्ययों, मरम्मत तथा अनुरक्षण एवं प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों से संबद्ध है, मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्यय, एमपीपीटीसीएल द्वारा उपगत व्ययों से अधिक थे। वास्तविक प्रचालन एवं संधारण व्यय मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्ययों का 89.6 प्रतिशत थे। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु वास्तविक व्ययों को आधार आंकड़े माना है, इन्हें मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्ययों की गणना हेतु उपयोग किये गये मानकों से संबद्ध किया है, इन्हें वित्तीय वर्ष 2012–13 (पिछली नियंत्रण अवधि) तक 6.14 प्रतिशत के वार्षिक वृद्धि कारक (escalation factor) तथा तत्पश्चात् इन्हें 7.93 प्रतिशत से गुणा किया है जिसके अनुसार वर्तमान नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण मानदण्ड प्राप्त किये गये हैं।

27.4 आयोग द्वारा मप्रविनिआ (मण्डल तथा उत्तराधिकारी इकाईयों के कार्मिकों को पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों की स्वीकृति हेतु निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2012 (जी–38, वर्ष 2012) 20 अप्रैल, 2012 को अधिसूचित किये गये हैं। पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं के संबंध में व्यय उपरोक्त विनियमों के उपबन्धों के अनुसार किये जाएंगे।

27.5 युद्ध, विद्रोह अथवा कानून में कतिपय परिवर्तनों अथवा ऐसी समतुल्य परिस्थितियों के कारण संचालन तथा संधारण व्यय में अभिवृद्धि के संबंध में, जहां आयोग का यह अभिमत हो कि उक्त वृद्धि न्यायोचित है, पर आयोग इसे विनिर्दिष्ट अवधि हेतु लागू करने पर विचार कर सकेगा।

27.6 किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी वर्ष में अर्जित कतिपय बचत को उसे स्वयं के पास रोके जाने की अनुमति दी जा सकेगी। किसी वर्ष में लक्ष्य संचालन व संधारण व्ययों से आधिक्य के कारण होने वाली हानि को अनुज्ञप्तिधारी के वहन करना होगा।''

3.38 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2012 {जी–28(II), वर्ष 2012)} के विनियम 37 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

''37.1 प्रचालन तथा साधारण व्ययों में कर्मियों पर व्यय, मरम्मत एवं संधारण (आर एण्ड एम) व्यय और प्रशासनिक तथा सामान्य (ए एण्ड जी) लागत शामिल होंगे। प्रचालन तथा संधारण व्ययों के मानदण्ड पारेषण लाईनों के सर्किट किलोमीटर तथा उपकेन्द्र पर 'बे' की संख्या के अनुसार निर्धारित किये गये हैं। इन मानदण्डों में पेंशन, कर्मियों को देय सेवान्त प्रसुविधाएं कर्मचारियों को भुगतान योग्य प्रोत्साहन तथा बकाया राशि, शासन को देय कर

तथा म.प्र. विद्युत नियामक आयोग को देय शुल्क शामिल नहीं हैं। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी शासन को देय करों की राशि तथा म.प्र. विद्युत नियामक आयोग को भुगतान किये जाने वाले शुल्क तथा कर्मचारियों को भुगतान की गई बकाया राशि का दावा वास्तविक आंकड़ों के आधार पर पृथक से करेगा। पेंशन तथा टर्मिनल प्रसुविधाओं का दावा विनियम 27.4 के अनुसार किया जाएगा। प्रचालन तथा संधारण मानदण्ड प्रति 100 सर्किट–किलोमीटर एवं प्रति 'बे' निम्नानुसार होंगें।

तालिका : 37 प्रचालन एवं संधारण व्ययों के मानदण्ड प्रति 100 सर्किट किलोमीटर एवं प्रति बे :

सरल क्रमांक	*विवरण*	*वित्तीय वर्ष 2013–14*	*वित्तीय वर्ष 2014–15*	*वित्तीय वर्ष 2013–14*
	तन्तुपथ (लाईने)	*लाख रूपये/100 सर्किट किलोमीटर/वर्ष*		
1	*400 केवी तन्तुपथ*	*33.6*	*36.2*	*39.1*
2	*220 केवी तन्तुपथ*	*27.0*	*29.2*	*31.5*
3	*132 केवी तन्तुपथ*	*25.4*	*27.4*	*29.6*
	बे	*लाख रूपये/बे/प्रति वर्ष*		
1	*400 केवी बे*	*15.5*	*16.7*	*18.0*
2	*220 केवी बे*	*11.5*	*12.5*	*13.5*
3	*132 केवी बे*	*10.9*	*11.8*	*12.7*

''37.2 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हेतु कुल अनुज्ञेय प्रचालन तथा संधारण व्ययों की गणना 'बे' की संख्या तथा लाईन की 100 सर्किट किलोमीटर लंबाई क्रमशः संचालन एवं संधारण व्यय प्रति बे तथा प्रति 100 सर्किट–किलोमीटर के गुणनफल से प्राप्त द्वारा की जाएगी। अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के समक्ष टैरिफ अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु, जैसा लागू हो, अनुज्ञेय–योग्य प्रचालन तथा संधारण व्ययों के समर्थन में, वास्तविक अथवा प्रक्षेपित (प्रोजेक्टेड) लाईनों की लंबाई के सर्किट किलोमीटरों का विवरण तथा प्रत्येक वोल्टेज स्तर हेतु 'बे' की संख्या पृथक–पृथक प्रस्तुत करेगा।''

''37.3 सेवान्त प्रसुविधाओं का भुगतान पृथक से विनियम 27.4 में किये गये प्रावधान अनुसार किया जाएगा।

आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

3.39 दिनांक 1.4.2012 की स्थिति में तन्तुपथों (Lines) तथा बे के संबंध में वास्तविक जानकारी एमपीपीटीसीएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु पारेषण टैरिफ सत्यापन याचिका के माध्यम से दाखिल किये गये विवरणों तथा एमपीपीटीसीएल के परिपालन के प्रतिवेदक (Reporter of Compliance) द्वारा दाखिल किये गये प्रतिवेदन से सत्यापित कर ली गई है।

3.40 यह पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु किये गये प्रक्षेपण सितम्बर 2012 तक वास्तविक प्रगति तथा वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के अन्तर्गत अपेक्षित प्रगति पर आधारित हैं। वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु प्रक्षेपण बारहवीं योजना के प्रावधानों के 60 प्रतिशत आधार

पर किये गये हैं।

3.41 जैसा कि पूंजीगत लागत तथा पूंजीगत संरचना के अध्याय में उल्लेख किया गया है, आयोग द्वारा सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि अंकेक्षित तुलन–पत्रों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान वास्तविक सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि को औसत पर आधारित किया गया है। आयोग के इस आदेश अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष के लिये सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि की दावा की गई सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि के प्रतिशत के रूप में नीचे दी गई तालिका में अवलोकन किया जा सकता है :

तालिका : 38

वर्ष	सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि के विवरण		
	एमपीपीटीसीएल द्वारा दावा की गई राशि (अ)	जैसा कि इसे इस आदेश के अन्तर्गत माना गया है (ब)	(ब), (अ) के प्रतिशत के रूप में
वित्तीय वर्ष 2013–14	754.88	434.20	57.52
वित्तीय वर्ष 2014–15	994.56	434.20	43.66
वित्तीय वर्ष 2015–16	847.18	434.20	51.25
योग	**2596.62**	**1302.60**	**50.17**

3.42 याचिका में अनुसरण की गई समरूप क्रियाविधि से संरेखित, आयोग ने तन्तुपथों तथा बे में वृद्धि को प्राक्कलित करने के प्रयोजन से, प्रचालन तथा संधारण व्ययों को अनुज्ञेय किये जाने के संबंध में एमपीपीटीसीएल द्वारा दाखिल की गई प्रक्षेपित भौतिक वृद्धि में उपरोक्त प्रतिशत का अनुप्रयोग किया गया है। इसके विवरण निम्न तालिकाओं में प्रदर्शित किये गये हैं :

तालिका : 39

स.क्रं	विवरण	इकाई	दिनांक 1.4.12 की स्थिति में वास्तविक सत्यापन याचिका के अनुसार	वित्तीय वर्ष के दौरान अपेक्षित वृद्धि 2012-13	दिनांक 1.4.13 की स्थिति में	वित्तीय वर्ष के दौरान अपेक्षित वृद्धि 2013-14	दिनांक 1.4.14 की स्थिति में	वित्तीय वर्ष के दौरान अपेक्षित वृद्धि 2014-15	दिनांक 1.4.15 की स्थिति में	वित्तीय वर्ष के दौरान अपेक्षित वृद्धि 2015-16	दिनांक 1.4.16 की स्थिति में
1	400 केवी तन्तुपथ	सर्किट कि.मी.	2343	459	2802	169	2971	24	2995	338	3333
2	220 केवी तन्तुपथ	सर्किट कि.मी.	11086	249	11335	143	11478	64	11541	144	11685
3	132 केवी तन्तुपथ	सर्किट कि.मी.	13690	592	14282	523	14805	472	15277	174	15451
4	400 केवी बे	संख्या	70	19	89	1	90	3	93	11	104
5	220 केवी बे	संख्या	462	29	491	13	504	11	515	21	536
6	132 केवी बे	संख्या	1475	57	1532	48	1580	44	1624	14	1638

औसत तन्तुपथ लम्बाई निम्नानुसार है :

तालिका : 40

वोल्टेज	निम्न दर्शाई गई तिथि को तन्तुपथ की लम्बाई (सर्किट किलोमीटर में)					निम्न वर्ष के दौरान तन्तुपथ की औसत लम्बाई		
						2013-14	2014-15	2015-16
	1.4.12	1.4.13	1.4.14	1.4.15	1.4.16	(3+4)/2	(4+5)/2	(5+6)/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400 केवी	2343	2802	2971	2995	3333	2887	2983	3164
220 केवी	11086	11335	11478	11541	11685	11406	11510	11613
132 केवी+ 66 केवी	13690	14282	14805	15277	15451	14543	15041	15364
योग	**27119**	**28419**	**29254**	**29813**	**30470**	**28836**	**29533**	**30142**

औसत बे संख्या निम्नानुसार है :

तालिका : 41

वोल्टेज	निम्न दर्शाई गई तिथि को बे संख्या					निम्न वर्ष के दौरान बे की औसत संख्या		
						2013-14	2014-15	2015-16
	1.4.12	1.4.13	1.4.14	1.4.15	1.4.16	(3+4)/2	(4+5)/2	(5+6)/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400 केवी	70	89	90	93	104	89	91	98
220 केवी	462	491	504	515	536	497	509	525
132 केवी+ 66 केवी	1475	1532	1580	1624	1638	1556	1602	1631
योग	**2007**	**2112**	**2174**	**2232**	**2278**	**2143**	**2203**	**2255**

(टीप : वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 के आंकड़े केवल प्रपत्र गणना (Proforma Calculation) हेतु ही प्रदर्शित किये गये है, न कि उक्त वर्षों के दौरान टैरिफ के अनुमोदन हेतु)

3.43 विनियमों में प्रचालन एवं संधारण के मानदण्डों के आधार पर, प्रचालन तथा संधारण व्ययों की गणना निम्न तालिका में की गई है :

तालिका : 42

स. क्रं	वोल्टेज	2013–14			2014–15			2015–16		
		मात्रा	मानदण्ड	राशि	मात्रा	मानदण्ड	राशि	मात्रा	मानदण्ड	राशि
		(सर्किट कि.मी. में)	प्रति 100 कि.मी. में	(3x4)/100	सर्किट कि.मी. में)	प्रति 100 कि.मी. में	(6x7)/100	सर्किट कि.मी. में)	प्रति 100 कि.मी. में	(9x10)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400 केवी तन्तुपथ	2887	33.6	970	2983	36.2	1080	3164	39.1	1237
2	220 केवी तन्तुपथ	11406	27.0	3080	11510	29.2	3361	11613	31.5	3658
3	132 केवी तन्तुपथ (66 केवी को सम्मिलित कर)	14543	25.4	3694	15041	27.4	4121	15364	29.6	4548
ए	**योग**	**28836**	**-**	**7744**	**29534**	**-**	**8562**	**30141**	**-**	**9443**
4	400 केवी बे	89	15.5	1380	91	16.7	1520	98	18.0	1764
5	220 केवी बे	497	11.5	5716	509	12.5	6363	525	13.5	7088
6	132 केवी बे (66 केवी को	1556	10.9	16960	1602	11.8	18904	1631	12.7	20714

	सम्मिलित कर)									
बी	**योग**	**2142**	**-**	**24056**	**2202**	**-**	**26787**	**2254**	**-**	**29566**
	महायोग (ए+बी)	**-**	**-**	**-**	**31800**	**-**	**-**	**35349**	**-**	**39009**

टीप : आंकड़ों को वर्तमान विश्लेषण हेतु पूर्णांक किया गया है। वास्तविक आंकड़ों पर सत्यापन के समय विचार किया जाएगा।

3.44 इस आदेश के अन्तर्गत संचालन एवं संधारण व्ययों के लिये वित्तीय वर्ष 2013–14, वित्तीय वर्ष 2014–15 तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु क्रमशः रू. 318.00 करोड़, रू. 353.49 करोड़ तथा रू. 390.09 करोड़ की राशि अनुज्ञेय की गई है। पारेषण प्रणाली नेटवर्क हेतु वास्तविक वृद्धि पर तत्संबंधी वर्ष में सत्यापन प्रक्रिया के दौरान युक्तियुक्त जांच उपरान्त विचार किया जाएगा।

सेवान्त प्रसुविधा व्यय (Terminal Benefit Expenses)

याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण (Petitioner's Submissions)

याचिकाकर्ता द्वारा मोटे तौर पर निम्नानुसार निवेदन किया गया है :

3.45 *आयोग द्वारा मप्रविनिआ (मण्डल तथा उत्तराधिकारी इकाईयों के कार्मिकों तथा सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों की स्वीकृति हेतु निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2012 (जी–38, वर्ष 2012) ने दिनांक 20 अप्रैल, 2012 को मण्डल की विभिन्न विघटित इकाईयों के विभिन्न श्रेणियों के पेंशनभोगियों की पेंशन तथा उपदान वार्षिक राजस्व आवश्यकता के माध्यम से निधीयन के बारे में निर्दिष्ट किये जाने बाबत अधिसूचित किया गया। तद्नुसार, याचिकाकर्ता (एमपीपीटीसीएल) को अपनी सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में निम्न श्रेणियों के बारे में प्रावधान करने होते हैं :*

i. ऐसे पेंशनभोगियों हेतु जो मप्रराविमं की सेवाओं से 1.6.2005 तक सेवा निवृत्त हुए हैं, पेंशन दायित्व एमपीपीटीसीएल (याचिकाकर्ता) की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का भाग होंगे।

ii. ऐसे पेंशनभोगियों हेतु जो दिनांक 1.6.2005 के बाद सेवा निवृत्त हुए हैं, मण्डल में उनकी सेवाओं से तत्संबंधी दायित्व (अर्थात दिनांक 1.6.2005 तक) का योगदान एमपीपीटीसीएल द्वारा किया जाएगा।

iii. एमपीपीटीसीएल तथा मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) के पेंशनभोगियों बाबत उपरोक्त सरल क्रमांक (ii) के विरूद्ध शेष दायित्व, ऐसे पेंशनभोगियों के संबंध में जो दिनांक 1.6.2005 के बाद सेवा निवृत्त होते हैं।

vi. एमपीपीटीसीएल, एमपीपीएमसीएल के कर्मचारियों की भविष्यगामी सेवाओं हेतु प्रावधान करना।

v. पेंशन एण्ड टर्मिनल बेनीफिट ट्रस्ट फण्ड हेतु किये जाने वाले अंशदान हेतु दिनांक 31.5.2005 तक प्रदाय की गई सेवाओं के बारे में, जीवनांकिक विश्लेषण के आधार पर करना।

3.46 *वित्तीय वर्ष 2012–13 तक समस्त कम्पनियों की चालू पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं को, अर्थात् मप्रराविमं की विघटित इकाईयों के लिये, इन्हें एमपीपीटीसीएल की वार्षिक राजस्व आवश्यकता से अनुज्ञेय किया गया था। वित्तीय वर्ष 2011–12 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार व्ययों का विवरण निम्नानुसार है :*

i. नगद – रू. 651.94 करोड़
ii. प्रावधान – रू. 49.50 करोड़ (केवल एमपीपीटीसीएल हेतु)

3.47 *अन्तिम जीवनांकिक विश्लेषण (Acturial Analysis) दिनांक 31.3.2009 की स्थिति में निष्पादित किया गया था तथा इसका प्रतिवेदन आयोग के समक्ष 5 मार्च, 2010 को प्रस्तुत किया गया था। पूर्व वर्षों के दौरान जीवनांकिक विश्लेषण के प्रक्षेपणों की तुलना में वास्तविक पेंशन निर्गमन (Outgo) अत्यधिक रहे हैं। तथापि, सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों के द्विभाजन (bifurcation) तथा आकलन (assessment) हेतु निर्धारित अनुपात तथा प्रतिशत का उपयोग किया गया है।*

सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों के प्राक्कलन हेतु मापदण्ड तथा अवधारणाएं (Criteria and Assumptions for Estimation of Terminal Benefit Liabilities)

3.48 *सेवान्त प्रसुविधाओं के प्राक्कलन में निम्न अवधारणाएं की गई हैं :*

i. आंकड़ों का प्राक्कलन समस्त कम्पनियों से प्राप्त माह अप्रैल 2012 से माह दिसम्बर 2012 तक पेंशन तथा उपदान की मद में की गई मांग (requisition) पर आधारित है।

ii. दिनांक 31.5.2005 से पूर्व पेंशनभोगियों की संख्या 17151 (पेंशनभोगी +परिवार पेंशनभोगी) है जबकि दिनांक 31.5.2005 के उपरान्त यह संख्या 15514 है। ये आंकड़ें माह दिसम्बर 2012 हेतु समस्त कम्पनियों से उनकी मासिक आवश्यकताओं के संबंध में प्राप्त किये गये हैं। भविष्यगामी वर्षों के लिये निर्गमनों (Exits) की संख्या जीवनांकिक प्रतिवेदन–वर्ष 2009 से ली गयी है।

iii. निश्चित आंकड़ों के अभाव में, दिनांक 31.5.2005 तक, पेंशनभोगियों के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु प्रति वर्ष औसत पेंशन का प्राक्कलन वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु प्रति वर्ष रू. 13,36,119/– किया गया है। इस हेतु औसत प्राक्कलन वित्तीय वर्ष 2005–06 के वास्तविक पेंशन निर्गमन के आधार पर किया गया है, जैसा कि इसे उत्तराधिकारी, कम्पनियों द्वारा सूचित किया गया है।

iv. दिनांक 31.5.2005 तक की पेंशन का आकलन दिनांक 31.5.2005 को पेंशनभोगियों की संख्या की औसत पेंशन राशि के गुणनफल के आधार पर किया गया है।

v. औसत सेवा की अवधि का अवधारण जीवनांकिक प्रतिवेदन, वर्ष 2009 (Actuary Report-2009) के आधार पर मप्रराविमं सेवा तथा कम्पनी सेवा के कारण भुगतान निर्गमन के प्राक्कलन हेतु की गई है।

vi. प्रति वर्ष निर्गमन संख्या (exits) जीवनांकिक प्रतिवेदन वर्ष 2009 से ली गयी है।

vii. मंहगाई भत्ते की भारित औसत वृद्धि दर को 10.50 प्रतिशत प्रति वर्ष लिया गया है। मंहगाई भत्ते में वृद्धि वर्तमान छमाही रूझान के आधार पर 7 प्रतिशत की दर से प्राक्कलित की गयी है। अतएव, मंहगाई भत्ते की भारित औसत दर का प्राक्कलन किया गया है। इसके लिये सूत्र {(7x6+14x6)/12} का प्रयोग किया गया है।

viii. पेंशन राशि में पेंशन तथा परिवार पेंशन दोनों को शामिल किया गया है।

ix. तत्संबंधी वर्षों के लिये उपदान (Gratuity) की गणना प्रति वर्ष निर्गमन संख्या के आधार पर (जीवनांकिक प्रतिवेदन पर आधारित) की गयी है तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु प्राक्कलित निर्गमन भुगतान (Pay out) यथोचित रूप से 10.5 प्रतिशत, प्रति वर्ष की दर से अर्थात 6 प्रतिशत प्रति वर्ष संचयी वृद्धि की दर से मंहगाई भत्ते में वृद्धि हेतु लेखांकित किया गया है। 6 प्रतिशत की संचयी वृद्धि जीवनांकिक प्रतिवेदन, वर्ष 2009 द्वारा वेतन में वृद्धि में किये गये अनुमान से रेखांकित है।

तालिका 43 : दिनांक 31.5.2005 तक तथा तत्पश्चात् सेवानिवृत पेंशनभोगी संबंधी दायित्व

(राशि करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2015–16
1	दिनांक 31.5.2005 तक सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों की अनुमानित पेंशन राशि	248.16	262.86	277.56
2	दिनांक 1.6.2005 के बाद सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों हेतु पेंशन अंशदान की अनुमानित राशि	261.94	318.78	377.97
3	एमपीपीटीसीएल तथा एमपीपीएमसीएल हेतु पेंशन दायित्व की अनुमानित राशि	112.78	142.63	175.86
	कुल पेंशन राशि	**622.88**	**724.27**	**831.39**
4	अन्य कम्पनियों के पेंशनभोगियों के दिनांक 31.5.2005 तक के उपदान संबंधी दायित्व	107.31	126.64	134.04
5	एमपीपीटीसीएल तथा एमपीपीएमसीएल के उपदान संबंधी दायित्व	30.67	35.96	35.44
	कुल उपदान राशि	**137.98**	**162.60**	**169.48**
	कुल पेंशन राशि तथा उपदान राशि	**760.86**	**886.87**	**1000.87**

कार्यरत कर्मचारियों के बारे में प्रावधान (Provisioning for Working Employees)

3.49 जीवनांकिक विश्लेषण–वर्ष 2009 (Acturial Analysis-2009) में प्रत्येक कम्पनी हेतु प्रत्याशित पेंशन तथा उपदान अंशदान हेतु वेतन के प्रतिशत का उल्लेख किया गया है। इसकी गणना एमपीपीटीसीएल के कर्मचारियों के लिये एमपीपीएमसीएल को सम्मिलित करते हुए निम्नानुसार की गई है :

तालिका : 44 (राशि करोड़ रूपये में)

वित्तीय वर्ष	कुल कर्मचारी संख्या (एमपीपीटीसीएल +एमपीपीएमसीएल)	वेतन	सेवा लागत		प्रारंभिक शेष	ब्याज लागत 7 प्रतिशत की दर से	प्रावधान
			पेंशन	उपदान			
2013-14	5031	197.46	34.26	7.54	403.95	28.28	70.08
2014-15	4612	205.45	35.65	7.85	474.03	33.18	76.68
2015-16	4149	209.77	36.40	8.01	550.71	38.55	82.96

न्यास निधि हेतु अंशदान (Contribution to Trust Fund)

3.50 मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा समय–समय पर किये गये जीवनांकिक विश्लेषण के आधार पर आयोग द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार पेंशन तथा टर्मिनल बेनीफिट ट्रस्ट फण्ड हेतु मण्डल तथा इसकी उत्तराधिकारी इकाईयों के संबंध में दिनांक 31.5.2005 तक पिछली समस्त सेवाओं बाबत, दोनों सेवानिवृत्त तथा सेवारत कर्मचारियों को अंशदान की गणना किया जाना प्रस्तावित है। आयोग द्वारा सुसंगत टैरिफ आदेश में वित्तीय भार (financial implication) के विस्तृत आकलन के आधार पर इसके पारेषण प्रभारों तथा उपभोक्ताओं द्वारा देय खुदरा विद्युत–दर (Retail Tariff) पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार किया जाएगा।

3.51 आयोग के निर्देशानुसार, पिछला जीवनांकिक विश्लेषण दिनांक 31.3.2009 की स्थिति में मार्च, 2010 में निष्पादित किया गया था। दिनांक 31.3.2009 की स्थिति में जीवनांकिक दायित्वों का उल्लेख दिनांक 1.6.2005 की अवधि तक रू. 9866.76 करोड़ तथा दिनांक 1.6.2005 के उपरान्त रू. 1736.78 करोड़ किया गया था जिसके अनुसार यह योग रू. 11603.54 करोड़ हो गया है। इस विश्लेषण में 10,15 तथा 20 वर्षों के लिये कम्पनीवार अंशदान दर प्रति वर्ष का एक विवरण–पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। इसे निम्न तालिका में संक्षेपबद्ध किया गया है :

तालिका 45 : (राशि करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	विवरण	दस वर्षीय अवधि हेतु	पन्द्रह वर्षीय अवधि हेतु	बीस वर्षीय अवधि हेतु
1	दिनांक 1.6.2005 तक के दायित्वों हेतु	1404.80	1083.31	931.34
2	दिनांक 1.6.2005 के बाद के दायित्वों हेतु	247.31	190.70	163.96
3	**सकल योग**	**1652.11**	**1274.01**	**1095.30**

उपरोक्त आंकड़ों में सेवा निवृत्ति उपरान्त अवकाश नगदीकरण की राशि को भी शामिल किया गया है।

3.52 निवेदन किया गया है कि दिनांक 31.3.2009 की स्थिति में जीवनांकिक विश्लेषण में किया गया आकलन उल्लेखनीय रूप से अलग है तथा एक अन्य जीवनांकिक विश्लेषण किया जाना आवश्यक हो गया है। इसके अतिरिक्त, पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा विनियम [पैरा–3(5)] में आयोग द्वारा खुदरा विद्युत–दर/पारेषण प्रभारों के भार पर निर्भर अनुमति (allowances) का उल्लेख भी किया गया है। ऐसे परिदृश्य में, वास्तविक आकलन अधिक सुसंगत प्रतीत नहीं होता तथा आयोग को इस पर विचार करते हुए इस बारे में निर्णय लेना होगा।

3.53 *तथापि, प्रत्येक कम्पनी के बारे में एमपीपीटीसीएल (याचिकाकर्ता) द्वारा 15 तथा 20 वर्षों के दौरान निधि को विकसित किये जाने के बारे में प्रत्येक कम्पनी के अंशदान से संबंधित विवरण–पत्र तैयार कर किया गया है। तद्नुसार, बीस वर्षों की अवधि के बारे में अंशदान के बारे में अंशदान को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :*

तालिका 46 : ***(राशि करोड़ रूपये में)***

सरल क्रमांक	*विवरण*	*वित्तीय वर्ष 2013–14*	*वित्तीय वर्ष 2014–15*	*वित्तीय वर्ष 2015–16*
1	*उपदान की अंशदान राशि*	*125.63*	*125.63*	*125.63*
2	*पेंशन की अंशदान राशि*	*783.99*	*783.99*	*783.99*
3	***कुल अंशदान***	***909.62***	***909.62***	***909.62***

सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों की दावा राशि (Total Terminal Benefit Liabilities Claimed)

3.54 *उपरोक्त परिच्छेदो में वर्णित दावों को निम्न तालिका में सारबद्ध किया गया है :*

तालिका 47 : ***(राशि करोड़ रूपये में)***

सरल क्रमांक	*विवरण*	*वित्तीय वर्ष 2013–14*	*वित्तीय वर्ष 2014–15*	*वित्तीय वर्ष 2015–16*
1	*चालू सेवान्त सुविधा दायित्व*	*760.86*	*886.87*	*1000.87*
2	*कार्यरत कर्मचारियों से संबंधित प्रावधान*	*70.08*	*76.68*	*82.96*
3	*न्यास निधि के विकास हेतु अंशदान*	*909.62*	*909.62*	*909.62*
	योग	***1740.56***	***1873.17***	***1993.45***

3.55 *अन्य कम्पनियों, अर्थात् जनरेशन कम्पनी तथा विद्युत वितरण कम्पनियों को अपनी वार्षिक/सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) में मुख्य रूप से ऐसे पेंशनभोगियों के संबंध में जो 31.5.2005 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, उनकी कम्पनी में सेवाओं से तत्संबंधी तथा उनके कार्यरत कर्मचारियों के प्रावधान से संबंधित प्रावधान करने की आवश्यकता है।*

विनियम संबंधी प्रावधान (Provisions of Regulations)

3.56 आयोग द्वारा मप्रविनिआ (मण्डल तथा उत्तराधिकारी इकाईयों के कार्मिकों को पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों की स्वीकृति हेतु निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2012 *(जी–38, वर्ष 2012)* अधिसूचित किये गये हैं। विनियमों से संबंधित कुछ सुसंबद्ध प्रावधान निम्नानुसार उद्धरित किये जा रहे हैं :

(अ) विनियम 3(1) तथा (2) (i), (ii) तथा (iii)

(1) मण्डल के विद्यमान पेंशनभोगियों तथा इसकी उत्तराधिकारी इकाईयों के पेंशनभोगियों को सम्मिलित करते हुए, कार्मिकों के संबंध में पेंशन तथा अन्य सेवान्त प्रसविधाओं के निधीयन की स्वीकृति इन विनियमों में निर्दिष्ट की गई विधि के अनुसार आयोग द्वारा उत्तराधिकारी इकाईयों के संबंध में समय–समय पर अवधारित टैरिफ के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

(2) मण्डल तथा इसकी उत्तराधिकारी इकाईयों के पेंशनभोगियों तथा कार्मिकों के संबंध में पेंशन तथा अन्य सेवान्त प्रसुविधाओं के बारे में दायित्व में निम्न शामिल होंगे :

(i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान विनियम 3(8) के उपबंध के अध्यधीन पेंशनभोगियों को सम्मिलित करते हुए समस्त पेंशनभोगियों को भुगतान किये जाने हेतु रोकड़ बाह्य प्रवाह (Cash outflow);

(ii) मण्डल तथा इसकी उत्तराधिकारी इकाईयों के कार्मिकों के संबंध में दिनांक 31.5.2005 तक, दोनों सेवानिवृत्त तथा सेवारत कार्मिकों के संबंध में, उनकी समस्त भूतकालिक सेवाओं के बारे में पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा न्यास कोष (Pension and Terminal Benefit Trust Fund) हेतु किये जाने वाले अंशदान जो मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा आयोग के निर्देशों के अनुसार समय–समय पर जीवनांकिक (acturial analysis) के आधार पर किये गये हों, तथा

(iii) दिनांक 1.6.2005 के बाद, वर्ष दर वर्ष आधार पर, मण्डल तथा इसकी उत्तराधिकारी इकाईयों के सेवारत कार्मिकों की चालू सेवाओं के बारे में किये गये अंशदान जो मध्यप्रदेश ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड इस आयोग के निर्देशों के अनुसार समय–समय पर जीवनांकिक विश्लेषण (acturial analysis) के आधार पर किये गये हों।

(ब) विनियम 3(4) के द्वितीय परन्तुक में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

''बशर्ते यह भी कि उपरोक्त उप–परिच्छेद 1 तथा 2 में उल्लेखित मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी तथा अन्य उत्तराधिकारी इकाईयों के मध्य दायित्वों का विभाजन मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी द्वारा किये गये जीवनांकिक विश्लेषण के आधार पर किया जाएगा।''

(स) जहां तक उप कण्डिका 2 (ii) तथा (iii) में अंशदान संबंधी दायित्वों का संबंध है, विनियम (5) तथा (6) में प्रावधान किया गया है कि उपरोक्त कथित दायित्व या तो एमपीपीटीसीएल या फिर तत्संबंधी उत्त्राधिकारी इकाईयों के टैरिफ में अनुज्ञेय किये जाएंगे, जैसा कि प्रकरण में लागू हो, सुसंबद्ध वर्ष के दौरान, उक्त सीमा के अन्तर्गत, *जैसा कि आयोग द्वारा सुसंबद्ध टैरिफ आदेश में, वित्तीय भार (Financial Implication) के विस्तृत आकलन पर आधारित होगा।*

(द) विनियम (4) (1) तथा 4(2) में प्रावधान किया गया है कि

''समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency)

(1) *इन विनियमों के अन्तर्गत पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा न्यास कोष के अंशदान के प्रति समस्त उद्देश्यों तथा प्रयोजन से इसके क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड समन्वयन अभिकरण होगा।*

(2) *मध्य प्रदेश ट्रांसमिशन कम्पनी अन्य उत्तराधिकारी इकाईयों के प्रतिनिधियों तथा कार्मिकों के साथ पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं हेतु कोष के प्रबन्धन तथा संचालन से संबंधित समस्त विषयों के बारे में ऐसे कोष हेतु शासित प्रयोज्य विधि के अनुसार पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं हेतु समन्वयन करेगी।''*

आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

3.57 आयोग के पत्र क्रमांक 382 दिनांक 11.2.2013 द्वारा याचिकाकर्ता को निम्न पृच्छाऐं प्रेषित की गई थीं :

(i) ''सेवान्त प्रसुविधा व्ययों के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा पैरा 6.4 (iii) में कहा गया है कि दिनांक 31 मई, 2005 तक पेंशनभोगियों हेतु औसत पेंशन की गणना रू. 13,36,119/– प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष प्राक्कलित की गई है जिसका तात्पर्य रू. 1.11 लाख प्रति व्यक्ति प्रति माह से है। यह गणना त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है। एमपीपीटीसीएल द्वारा आंकड़ों का सत्यापन किया जाय तथा इसे पुनः औचित्य दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाए।''

(ii) ''याचिकाकता ने कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में प्रावधान तथा उपदान तथा पेंशन के संबंध में राशि का अंशदान वर्ष दर वर्ष आधार पर आगामी 15 वर्षों तथा 20 वर्षों के लिये याचिका में (परिशिष्ट–8) टर्मिनल बेनीफिट फण्ड की स्थापना हेतु दावा किया है। याचिकाकर्ता ने सम्पूर्ण सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों का दावा भी उपरोक्त दावे को सम्मिलित करते हुए किया गया है। दिनांक 20 अप्रैल, 2012 को अधिसूचित मप्रविनिआ (मण्डल तथा उत्तराधिकारी इकाईयों के कार्मिकों को पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों की स्वीकृति हेतु निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2012 (जी–38, वर्ष 2012) को दृष्टिगत रखते हुए एमपीपीटीसीएल को अपने दावे को प्रमाणित किये जाने हेतु निर्देश दिये जाते हैं।''

(iii) ''याचिका के पैरा 6.4 (vi) में, प्रति वर्ष निर्गम (Exits) वर्ष 2009 के जीवनांकिक प्रतिवेदन से लिये गये हैं। तथापि पिछले एक वर्ष के दौरान, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु अधिकांश कम्पनियों में 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। याचिकाकर्ता द्वारा इस बारे में स्पष्ट किया जाए कि सेवान्त प्रसुविधाओं का प्रक्षेपण करते समय सेवानिवृत्ति के उपरोक्त उल्लेखित परिवर्तन का लेख्यांकन किस प्रकार किया गया है।''

3.58 एमपीपीटीसीएल ने प्रत्युत्तर में अपने पत्र क्रमांक 1326 दिनांक 20.2.2013 द्वारा निम्नानुसार निवेदन किया है :

(i) ''जैसा कि याचिका के पैरा 6.5 में उल्लेख किया गया है, औसत पेंशन की गणना याचिका के परिशिष्ट–5 में दर्शाई गई है जिसे रू. 1,36,119/– प्रति वर्ष प्रति पेंशनभोगी उल्लेखित किया गया है। पैरा 6.4 (iii) की विषयवस्तु में, अंक 3 के दोहराये जाने की टंकण त्रुटि के कारण, यह राशि 1,336,119 दर्शाई गई है।

अतएव औसत पेंशन प्रति पेंशनभोगी प्रति वर्ष – रू. 1,36,119
औसत पेंशन प्रति पेंशनभोगी प्रति माह – रू. 11,343
जो कि काफी युक्तिसंगत है।

ये गणनाएं केवल रू, 1,36,119 प्रति वर्ष के सही आंकड़े पर आधारित हैं। अतएव दावे के बारे में कोई परिवर्तन किया जाना आवश्यक नहीं है।''

(ii) याचिकाकर्ता ने सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों का दावा 20 अप्रैल, 2012 को अधिसूचित मप्रविनिआ (मण्डल तथा उत्तराधिकारी इकाईयों के कार्मिकों को पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों की स्वीकृति हेतु निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2012 (जी–38 वर्ष 2012) के अनुसार किया है। याचिकाकर्ता ने केवल उन्हीं दायित्वों का ही दावा किया है जिनका दायित्व ट्रांसमिशन कम्पनी को सौंपा गया है तथा अन्य कम्पनियों के दायित्वों का दावा इसमें नहीं किया गया है। इसके स्पष्टीकरण के बारे में पैरा 7.0 में विशेष अभ्युक्ति दी गई है जिसे यहां आयोग के त्वरित संदर्भ हेतु यहां उद्धरित किया जा रहा है :

''7.0 अभ्युक्ति

अन्य कम्पनियां, अर्थात् जनरेशन कम्पनी तथा विद्युत वितरण कम्पनियों से इन दायित्वों का प्रावधान उनकी वार्षिक/सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के माध्यम से किये जाने की अपेक्षा की जाती है, मुख्यतः दिनांक 31.5.2005 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों से न्यास में अंशदान के बारे में जो उनके द्वारा कम्पनी को प्रदाय की गई सेवाओं तथा कार्यरत कर्मचारियों से संबंधित प्रावधान से तत्संबंधी हैं।

तथापि, प्रस्तुत किये गये दावे विनियमों के अनुसार हैं जैसा कि इन्हें निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है :

तालिका : 48

सरल क्रमांक	श्रेणी	संदर्भ विनियम पैरा	प्रावधान	बहुवर्षीय टैरिफ याचिका	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु (राशि करोड़ रूपये में)
1	दिनांक 1.6.2005 तक वर्तमान सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों के लिये नगद बाह्य प्रवाह (Cash outflow)	**3** (2) (i) तथा **3** (3)	इसे एमपीपीटीसीएल के टैरिफ के माध्यम से अनुज्ञेय किया जाएगा	पैरा 6.6 की तालिका क्रमांक 1 तथा क्रमांक 4	248.16 107.31
2	वे पेंशनभोगी जो 1.6.2005 के उपरांत सेवानिवृत्त हुए हैं				
(ए)	दिनांक 1.6.2005 तक की सेवाओं के तत्संबंधी	**3** (2) (i) तथा **3** (4)	इसे एमपीपीटीसीएल के टैरिफ के माध्यम से अनुज्ञेय किया जाएगा	पैरा 6.6 की तालिका क्रमांक 2	261.94
(बी)	दिनांक 1.6.2005 के उपरान्त की सेवाओं के तत्संबंधी	**3** (2) (i) तथा **3** (4)	इसे तत्संबंधी उत्तराधिकारी इकाईयों द्वारा टैरिफ के माध्यम से अनुज्ञेय किया जाएगा	जनको तथा विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु दावा नहीं किया गया। इसका दावा कम्पनियों द्वारा स्वयं किया जाएगा।	निरंक
(सी)	उपरोक्त श्रेणी 2 (बी) हेतु दावा परन्तु एमपीपीटीसीएल	**3** (2) (i) तथा **3** (4)	इसी तत्संबंधी उत्तराधिकारी इकाईयों द्वारा टैरिफ के	पैरा 6.6 तालिका क्रं 3	112.78

सरल क्रमांक	श्रेणी	संदर्भ विनियम पैरा	प्रावधान	बहुवर्षीय टैरिफ याचिका	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु (राशि करोड़ रूपये में)
	तथा एमपीपीएमसीएल हेतु		माध्यम से अनुज्ञेय किया जाएगा। एमपीपीएमसीएल के दायित्व भी एमपीपीटीसीएल को सौंपे गये हैं	तालिका क्रं 5	30.67
				एमपीपीटीसीएल से संबंधित कुल चालू दावा	**760.86**
3	भविष्यगामी सेवाओं हेतु कार्यरत कर्मचारियों हेतु प्रावधान				
(ए)	एमपीपीटीसीएल तथा एमपीपीएमसीएल के कर्मचारियों हेतु	**3** (2) (iii) तथा **3** (6)	इसे तत्संबंधी उत्तराधिकारी इकाईयों के लिये आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार निर्धारित की गई सीमाओं के अंतर्गत अनुज्ञेय किया जाएगा।	पैरा 6.7 तालिका	70.08
(बी)	जनको तथा विद्युत वितरण कम्पनियों के कर्मचारियों के लिये	**3** (2) (iii) तथा **3** (6)	इसे तत्संबंधी उत्तराधिकारी इकाईयों के लिये आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार निर्धारित की गई सीमाओं के अंतर्गत अनुज्ञेय किया जाएगा।	दावा नहीं किया गया। इसका दावा जनको तथा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा स्वयं किया जाएगा।	निरंक
4	दिनांक 31.5.2005 तक की सेवाओं के लिये मण्डल के कर्मचारियों तथा इसकी उत्तराधिकारी कम्पनियों के सेवानिवृत्त तथा सेवारत कर्मचारियों के लिये उनकी पूर्व सेवाओं के संबंध में पेंशन तथा टर्मिनल बेनीफिट ट्रस्ट हेतु किया जाने वाला अंशदान	**3** (2) (ii) तथा **3** (5)	इसे एमपीपीटीसीएल के टैरिफ में सुसंबद्ध वर्ष के दौरान आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार निर्धारित की गई सीमा के अध्यधीन अनुज्ञेय किया जाएगा।	पैरा 6.8	909.62
5				**महायोग**	**1740.56**

अभ्युक्ति : वित्तीय वर्ष 2014–15 तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु राशि याचिका में दर्शाई गई है। अतएव, एमपीपीटीसीएल की याचिका संबंधी दावे सेवान्त प्रसुविधा विनियमों के अनुसार हैं :

(iii) इस संबंध में निवेदन किया गया है कि निर्गम संख्या (number of exit) (जिसे जीवनांकिक प्रतिवेदन–2009 से लिया गया है) की गणना जीवनांकिक द्वारा उसे प्रदान किये गये कर्मचारियों (मप्रराविमं तथा उत्तराधिकारी कम्पनियों के) विवरणों के आधार पर किया गया है। इसके अतिरिक्त, उसके द्वारा निर्गमनों की संख्या की गणना में निम्न अवधारणाएं भी की गई है :

(अ) ***मृत्युदर (Mortality)*** *: सेवा के दौरान मृत्यु के कारण किसी दायित्व की गणना हेतु जीवन बीमा निगम की एलआईसी (1994–96) तालिका का उपयोग गया किया है।*

(ब) ***अपसरण दर (Attrition Rate)*** *: अपसरण दर सेवानिवृत्ति तथा मृत्यु या निशक्तता (disablement) को छोड़कर कर्मचारी अदल–बदल (emloyee turnover) को प्रदर्शित करती है। इसके मूल्यांकन के प्रयोजन से 0.25 प्रतिशत प्रति वर्ष की अपसरण दर मानी गयी है।*

वर्तमान में समस्त उत्तराधिकारी कम्पनियों के कर्मचारियों के विवरण उपलब्ध नहीं हैं। निवेदन किया गया कि निर्गम संख्या (exit rate) की गणना उपरोक्त उल्लेखित अवधारण पर विचार किये जाने पर जीवनांकिक विश्लेषण के उपरान्त उपलब्ध हो पायेगी।

जीवनांकिक विश्लेषण के निष्पादन हेतु जीवनांकिक (Actuary) की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा वांछित जानकारी नवीन जीवनांकिक प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर उपलब्ध कराई जाएगी।

अतएव विचारार्थ निवेदन किया गया कि 'जीवनांकिक प्रतिवेदन, वर्ष 2009' के आधार पर निर्गम संख्या (Exits) पर विचार किया जाए। नवीन जीवनांकिक विश्लेषण के उपरान्त पुनरीक्षित आंकड़े उपलब्ध होंगे जिन पर इन वर्षों के 'सत्यापन' अभ्यास के दौरान विचार किया जा सकता है।

3.59 मप्रविनिआ (मण्डल तथा उत्तराधिकारी इकाईयों के कार्मिकों को पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों की स्वीकृति हेतु निबन्धन तथा शर्तें) *विनियम, 2012 के* उपबन्धों के अनुसार निम्न बातें सामने आई हैं :

(अ) एमपीपीटीसीएल द्वारा विनियम 3(2)(ii) तथा (iii) के अनुसार सेवान्त प्रसुविधाओं के अंशदान हेतु जीवनांकिक विश्लेषण समय–समय पर आयोग के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

(ब) एमपीपीटीसीएल विनियमों के अन्तर्गत पेंशन तथा टर्मिनल बेनीफिट्स ट्रस्ट फंड्स के क्रियान्वयन के प्रयोजन तथा उद्देश्य से समन्वयन अभिकरण होगा।

(स) एमपीपीटीसीएल को अन्य उत्तराधिकारी इकाईयों के प्रतिनिधियों तथा कर्मियों के साथ पेंशन एंड टर्मिनल बेनीफिट फण्ड्स के प्रबन्धन तथा नियंत्रण से संबंधित सभी मामलों में समन्वयन करना होगा।

(द) ऐसे कार्मिकों के बारे में जो दिनांक 1 जून 2005 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, के संबंध में विनियम 3(2)(i) में संदिर्भत किये गये दायित्वों को ऐसी उत्तराधिकारी इकईयों की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) के माध्यम से उनके द्वारा 1 जून 2005 के उपरान्त प्रदान की गई सेवाओं के बारे में अनुज्ञेय किया जाएगा।

(ई) एमपीपीटीसीएल तथा अन्य उत्तराधिकारी इकाईयों के मध्य दायित्वों का विभाजन एमपीपीटीसीएल द्वारा निष्पादित किये गये जीवनांकिक विश्लेषण द्वारा अवधारित आधार पर किया जाएगा।

3.60 इसके अलावा, एमपीपीटीसीएल द्वारा अपने अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण में सेवान्त प्रसुविधा दावे के बारे में निम्न स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत किया गया :

(अ) वर्तमान में समस्त उत्तराधिकारी कम्पनियों के कर्मचारियों से संबंधित विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

(ब) मृत्यु दर तथा अपसरण दर (Attrition Rate) जैसी अवधारणाओं पर विचारोपरान्त निर्गम बिन्दुओं की संख्या की गणना जीवनांकिक विश्लेषण के उपरान्त उपलब्ध कराई जाएगी।

(स) जीवनांकिक विश्लेषण के निष्पादन के बारे में जीवनांकिक (Actuary) की नियुक्ति का प्रकरण वर्तमान में प्रक्रियाधीन है तथा वांछित जानकारी नवीन जीवनांकिक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उपलब्ध करायी जाएगी।

(द) विचारार्थ यह निवेदन भी किया गया कि ''जीवनांकिक प्रतिवेदन, वर्ष 2009'' के अनुसार निर्गम संख्या पर विचार किया जाए।

3.61 आयोग द्वारा अभ्युक्ति की गई कि उपरोक्त विषय का संव्यवहार मप्रविनिआ (मण्डल तथा उत्तराधिकारी इकाईयों के कार्मिकों को पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों की स्वीकृति हेतु निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2012 के विभिन्न उपबन्धों के अनुसार किये जाने की आवश्यकता है। कुछ सुसंबद्ध प्रावधानों का उल्लेख उपरोक्त **पैरा 3.59** में किया गया है।

3.62 जहां तक मण्डल तथा इसकी उत्तराधिकारी इकाईयों के कमियों को देय पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों हेतु अंशदान के प्रावधान का संबंध है, यह प्रावधान उचित जीवनांकिक विश्लेषण के बाद ही किया जा सकता है जिसके लिये शीघ्र कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। तथापि, यह अभ्यास ट्रांसको द्वारा आयोग के निर्देशानुसार निष्पादित किये जाने वाला पृथक अभ्यास होगा। आयोग के विवेकानुसार, उपरोक्त संदर्भित विनियम के अनुसार इस अभ्यास के परिणामों को पारेषण टैरिफ आदेशों में प्रतिबिंबित किया जाएगा।

3.63 उपरोक्त चर्चा को दृष्टिगत रखते हुए, आयोग ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये प्रावधिक आधार पर 'देयतानुसार भुगतान' (Pay as you go)' के सिद्धान्त के आधार पर रू. 677 करोड़ की सीमा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये खुदरा टैरिफ आदेश में दिनांक 23 मार्च, 2013 के अनुसार सेवान्त प्रसुविधाएं तथा पेंशन व्ययों पर विचार किया है। एमपीपीटीसीएल द्वारा अपने अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण में **पैरा 3.60** में दिये गये स्पष्टीकरण को संज्ञान में लेकर आयोग द्वारा नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष में इसके सत्यापन के अध्यधीन रू. 677 करोड़ की राशि पर विचार प्रत्येक वर्ष के दौरान वास्तविक आंकड़े उपलब्ध कराये जाने पर किया गया है।

अवमूल्यन/अवक्षयण (Depreciation)

याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण (Petitioner's Submission)

याचिकाकर्ता ने मोटे तौर पर निम्नानुसार निवेदन किया है :

प्रारंभिक तुलन–पत्र (Opening Balance Sheet)

3.64 *''मध्य प्रदेश सरकार ने अन्तिम प्रारंभिक तुलन–पत्र दिनांक 31.5.2005 की स्थिति में दिनांक 12 जून, 2008 को दाखिल किया है। अन्तरित स्थाई परिसम्पत्तियां निम्नानुसार दर्शाई गई हैं :*

(i) प्रारंभिक सकल खण्ड (Opening Gross Block) – रू. 2932.75 करोड़

(ii) संचित अवमूल्यन (Accumulated Depreciation) – रू. 1205.95 करोड़

(iii) शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियां (Net Fixed Assets) – रू. 1726.81 करोड़

3.65 *याचिकाकर्ता को वित्तीय वर्ष 2009–10 तक के वर्षों के सत्यापन अन्तिम प्रारंभिक तुलन–पत्र के आधार पर अनुज्ञेय किये गये हैं। संचित अवमूल्यन के संबंध में प्रारंभिक सकल खण्ड, दिनांक 31.3.2013 तक की वस्तुस्थिति निम्न तालिका में प्रदर्शित की गई है :*

तालिका : 49 *(राशि करोड़ रूपये में)*

सरल क्रमांक	*दिनांक की स्थिति में*	*सकल स्थाई परिसम्पत्तियां*	*संचित अवमूल्यन*	*शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियां*
1	*31-05-2005*	*2932.75*	*1205.95*	*1726.81*
2	*31-03-2006*	*3092.46*	*1276.85*	*1815.61*
3	*31-03-2007*	*3341.54*	*1365.91*	*1975.63*
4	*31-03-2008*	*3575.98*	*1462.71*	*2113.27*
5	*31-03-2009*	*3954.12*	*1559.44*	*2394.68*
6	*31.03.2010*	*4544.60*	*1728.20*	*2816.40*
7	*31.03.2011*	*5045.91*	*1929.61*	*3116.31*
8	*31.03.2012*	*5309.90*	*2147.00*	*3162.89*
9	*31.03.2013*	*5799.87*	*2383.34*	*3416.53*

3.66 *दिनांक 31.3.2012 तक के सरल क्रमांक 8 तक के आंकड़े 'सत्यापन आदेश/याचिका के अनुसार है जबकि सरल क्रमांक 9, अर्थात् दिनांक 31.3.2013 हेतु प्रक्षेपण वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान परिसम्पत्ति में वृद्धि की आकलित प्रगति के अनुसार किये गये हैं।*

अवमूल्यन दावे से संबंधित विनियम (Regulations on Depreciation Claim)

3.67 *दिनांक 31.3.2009 तक अवमूल्यन संबंधी विनियम में अवमूल्यन दावे के बारे में वस्तु के 90 प्रतिशत पुस्तक मूल्य (Book Value) को सरल रेखा विधि (Straight Line Method) के अनुसार माने जाने का प्रावधान किया गया था।*

3.68 *दिनांक 1.4.2009 के उपरान्त, विनियमों में अनुज्ञप्तिधारी को अपने ऋणों की अदायगी को सामर्थ्य प्रदान करने हेतु प्रथम बारह वर्षों के दौरान अवमूल्यन की आवर्धित दर का प्रावधान किया गया है। तत्पश्चात्, अवमूल्यन की दर परिसम्पत्ति तथा उसके अवशेष जीवनकाल (residual life) के अवशेष मूल्य के अनुसार कम हो जाते हैं।*

3.69 *वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 की वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिये भी इसी क्रियाविधि को निर्दिष्ट किया गया है। इस बारे में विनियमों के विशिष्ट पैरा 25.1 (ई) तथा (एफ) को नीचे उद्धरित किया जा रहा है :*

*''25.1 (ई) अवमूल्यन की गणना प्रति वर्ष सरल रेखा विधि (Straight Line Method) के आधार पर तथा पारेषण प्रणाली की परिसम्पत्तियों हेतु **परिशिष्ट–2** में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार की जाएगी :*

परन्तु वर्ष के 31 मार्च की स्थिति में अवशेष अवमूल्यन–योग्य मूल्य को वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के 12 वर्षों की अवधि के उपरान्त परिसम्पत्तियों के अवशेष उपयोगी जीवनकाल के अन्तर्गत प्रसारित कर दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि परिसम्पत्ति के सृजन हेतु उपभोक्ता का अंशदान अथवा पूंजीगत सहायतानुदान/ अनुदान आदि को लेखांकन नियम, जो समय–समय पर अधिसूचित कर लागू किये जाएंगे, के अनुसार संव्यवहारित किया जाएगा।

25.1 (एफ) विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरणों में, दिनांक 1.4.2013 की स्थिति में अवशेष अवमूल्यन मूल्य की गणना आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2013 तक स्वीकार की गई परिसम्पत्तियों के सकल अवमूल्यन योग्य मूल्य में अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम राशि को सम्मिलित कर, में से संचयी अवमूल्यन को घटाकर की जाएगी। अवमूल्यन दर को परिशिष्ट–2 में विनिर्दिष्ट दर पर प्रभारित किया जाना जारी रखा जाएगा जब तक संचयी अवमूल्यन 70 प्रतिशत तक पहुंच नहीं जाता। तत्पश्चात्, अवशेष अवमूल्यन योग्य मूल्य को परिसम्पत्ति के अवशेष जीवनकाल के अंतर्गत प्रसारित कर दिया जाएगा ताकि अधिकतम अवमूल्यन की 90 प्रतिशत से अधिक बढ़ोत्तरी न हो।

3.70 *विनियमों के परिशिष्ट–दो में परिसम्पत्तियों की विभिन्न श्रेणियों के लिये अवमूल्यन दरों का प्रावधान किया गया है।*

अवमूल्यन की गणना हेतु परिसम्पत्ति आंकड़ा आधार (Asset Data Base for Working Out Depreciation)

3.71 *याचिकाकर्ता ने किसी विशिष्ट वर्ष के लिये अवमूल्यन की गणना हेतु परिसम्पत्ति आंकड़ा आधार लागू किया है। आंकड़ा आधार की मुख्य विशिष्टताएं निम्नानुसार हैं :*

(i) यह आंकड़ा आधार दिनांक 12 जून 2008 को अधिसूचित अन्तिम प्रारंभिक तुलन–पत्र आंकड़ों के अनुसार दिनांक 31.5.2005 की स्थिति में है।

(ii) अनुवर्ती वर्षों के दौरान पूंजीकृत किये गये कार्य के लिये आंकड़ा आधार में दिनांक 31.3.2012 तक इनकी प्रविष्टि की गई है।

(iii) दिनांक 31.5.2005 के बाद अवमूल्य दरें मप्रविनिआ के समय–समय पर प्रयोज्य विनियमों के अनुसार ली गई हैं।

(iv) अवमूल्यन कार्यकारी सूत्र अवमूल्यन की सरल रेखा विधि (Straight Line Method) के अनुसार है।

(v) अवमूल्यन का मूल्य प्रारंभिक सकल खण्ड के 90 प्रतिशत पहुंच जाने पर आगे के लिये वृद्धि स्वतः समाप्त हो जाती है। अवशेष 10 प्रतिशत को उपादेय मूल्य (Scrap Value) माना जाता है।

अवमूल्यन मॉडल सॉफ्टवेयर को अद्यतन किये जाने संबंधी (Updation in the Depreciation Model Software)

3.72 *प्रावधिक अवमूल्यन आंकड़ा आधार को उपरोक्त उल्लेखित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार संशोधित किया गया है :*

*(i) दिनांक 1.4.2009 को अथवा उसके तत्पश्चात् सृजित की गई परिसम्पत्तियों के प्रकरण में, विनियमों के **परिशिष्ट–2** के अनुसार अवमूल्यन दरें वर्ष के 31 मार्च तक जो बारह वर्षों के कार्यकाल के बाद समाप्त होगी, जारी रहेंगी। तत्पश्चात् यह दर अपने आप से 90 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत अवशेष अवमूल्यन हेतु परिसम्पत्तियों के अवशेष जीवनकाल हेतु विभाजित हो जाती है।*

*(ii) दिनांक 1.4.2009 से पूर्व क्रियाशील की गई परिसम्पत्तियों के प्रकरण में, दिनांक 1.4.2009 से प्रभावी अवमूल्यन को विनियमों के **परिशिष्ट–2** में उल्लेखित दरों पर पुस्तांकित (booking) किया जायेगा, जब तक यह अवमूल्यन अंकित मूल्य (Book Value) के 70 प्रतिशत तक पहुंच नहीं जाता। तत्पश्चात्, अवमूल्यन की दर अपने आप से अवशेष मूल्य के 20 प्रतिशत (90 प्रतिशत–70 प्रतिशत) के बराबर, परिसम्पत्तियों के अवशेष जीवनकाल के दौरान विभाजन से प्राप्त मूल्य के बराबर नहीं पहुंच जाती।*

(iii) समस्त परिसम्पत्तियो को अंकित मूल्य (book value) के अधिकतम 90% तक अवमूल्यित किया गया है। तत्पश्चात, किसी प्रकार का अवमूल्यन प्रभारित नहीं किया गया है।

(iv) दिनांक 12 जून 2008 का अधिसूचित प्रारंभिक तुलन–पत्र में अंकित रू. 2932.75 करोड़ के सकल खण्ड जिसकी वित्तीय व्यवस्था उपभोक्ताओ से प्राप्त अंशदान के माध्यम से की गई थी, में से किसी परिसम्पत्ति मूल्य को अन्तरित नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2005–06 से वित्तीय वर्ष 2009–10 तक पूंजीकृत की गई परिसम्पत्ति में से कोई भी कार्य निधीयन किये गये उपभोक्ता अंशदान के माध्यम से पूंजीकृत नहीं किये गये हैं। अतएव, एमपीपीटीसीएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 तक अंशदान संबंधी कार्यो (contributory works) के विरूद्ध कोई अवमूल्यन प्रभारित नहीं किया गया है।

चालू विनियमों के कारण इन्हें अद्यतन किये जाने बाबत (Updation in view of current Regulations)

3.73 चूंकि वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 की नियन्त्रण अवधि हेतु दिनांक 14.12.2012 को अधिसूचित विनियम पिछली नियन्त्रण अवधि के अनुरूप ही क्रियाविधि अपनाए जाने का उल्लेख करते हैं, अतएव अवमूल्यन मॉडल के सॉफ्टवेयर में कोई परिवर्तन किया जाना अपेक्षित नहीं है।

नियन्त्रण अवधि हेतु अवमूल्यन (Depreciation for control period)

3.74 वित्तीय वर्ष 2011–2012 तक के सकल खण्ड (Gross Block), अवमूल्यन (Depreciation) तथा शुद्ध खण्ड (Net Block) के आंकड़े वित्तीय वर्ष 2011–12 की सत्यापन याचिका से आगे (brought forward) लाये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2012–13 के आंकड़ों का आकलन वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्रत्याशित प्रगति के आधार पर परिवर्धित की जाने वाली परिसम्पत्तियों के आकलन के अनुसार किया गया है :

3.75 नियन्त्रण अवधि हेतु परिसम्पत्ति में वृद्धि पारेषण योजना (Transmission Plan) की तालिका 4.4 से ली गई है। नियन्त्रण अवधि के लिये श्रेणीवार विवरण–प्रपत्र (format) TUT-7 तथा TUT-8 में दिये गये हैं। इसे निम्न तालिका में सारबद्ध किया गया है।

तालिका : 50 (राशि करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	वर्ष	सकल स्थाई परिसम्पत्तियां			अवमूल्यन हेतु प्रावधान			शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियां	
		वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के अन्त मे	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के अन्त मे	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के अन्त मे
1	2013-14	5799.87	754.88	6554.75	2383.34	270.71	2654.05	3416.53	3900.70
2	2014-15	6554.75	994.56	7549.31	2654.05	311.79	2965.83	3900.70	4583.48
3	2015-16	7549.31	847.18	8396.50	2965.83	346.78	3312.61	4583.48	5083.89

3.76 याचिकाकर्ता द्वारा नियन्त्रण अवधि हेतु निम्न अवमूल्यन का दावा किया गया है

1. वित्तीय वर्ष 2013–14 रू 270.71 करोड़
2. वित्तीय वर्ष 2014–15 रू 311.79 करोड़
3. वित्तीय वर्ष 2015–16 रू 346.78 करोड़''

विनियम संबंधी प्रावधान (Provisions of Regulations)

3.77 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2012 {जी–28(II), वर्ष 2012} के विनियम 25 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

''25.1 टैरिफ के प्रयोजन हेतु, अवमूल्यन की गणना निम्न विधि द्वारा की जाएगी :

(ए) अवमूल्यन के प्रयोजन हेतु आधार मूल्य परिसम्पत्तियों की पूंजीगत लागत होगी जैसा कि आयोग द्वारा इसे अनुज्ञेय किया जाए।

(बी) अनुमोदित/स्वीकृत लागत में विदेशी मुद्रा का निधीयन (फंडिंग) सम्मिलित किया जाएगा जिसे वास्तविक तिथि को प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा पर प्रचलित विनियम दर पर समतुल्य रूपयों में परिवर्तित किया जाएगा।

(सी) परसम्पत्ति का उपादेय मूल्य (Salvage Value) 10 प्रतिशत माना जाएगा तथा अवमूल्यन को परिसम्पत्ति की पूंजीगत लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक अनुज्ञेय किया जाएगा।

(डी) पट्टे पर ली गई भूमि के अतिरिक्त किसी भी भूमि को अवमूल्यन–योग्य परिसम्पत्ति नहीं माना जाएगा तथा परिसम्पत्ति के अवमूल्यन–योग्य मूल्य की गणना करते समय इसकी लागत को पूंजीगत लागत में से कम कर दिया जाएगा।

*(ई) अवमूल्यन की गणना प्रतिवर्ष सरल रेखा विधि (Straight Line method) के आधार पर तथा पारेषण प्रणाली की परिसम्पत्तियों हेतु **परिशिष्ट–2** में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार की जाएगी।*

परन्तु वर्ष के 31 मार्च की स्थिति में अवशेष अवमूल्यन–योग्य मूल्य को वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के 12 वर्षों की अवधि के उपरान्त परिसम्पत्तियों के अवशेष उपयोगी जीवन काल के अन्तर्गत प्रसारित कर दिया जाएगा।

परन्तु यह भी कि परिसम्पत्ति के सृजन हेतु उपभोक्ता का अंशदान अथवा पूंजीगत सहायतानुदान/अनुदान आदि को लेखांकन नियम, जो समय–समय पर अधिसूचित कर लागू किये जाएंगे, के अनुसार संव्यवहारित किया जाएगा।

(एफ) विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरणों में, दिनांक 1.4.2013 की स्थिति में अवशेष अवमूल्यन मूल्य की गणना आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2013 तक स्वीकार की गई परिसम्पत्तियों के सकल अवमूल्यन–योग्य मूल्य में अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम राशि को सम्मिलित कर, में से संचयी अवमूल्यन को घटाकर की जाएगी। अवमूल्यन–दर को परिशिष्ट–2 में विनिर्दिष्ट दर पर प्रभारित किया जाना जारी रखा जाएगा जब तक संचयी अवमूल्यन 70 प्रतिशत तक पहुंच नहीं जाता। तत्पश्चात् अवशेष अवमूल्यन योग्य मूल्य को परिसम्पत्ति के अवशेष जीवनकाल के अंतर्गत प्रसारित कर दिया जाएगा ताकि अधिकतम अवमूल्यन की 90 प्रतिशत से अधिक बढ़ोत्तरी न हो।

(जी) अवमूल्यन वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से प्रभारणीय होगा। परिसम्पत्ति के वाणिज्यिक प्रचालन वर्ष के किसी अंश हेतु अवमूल्यन को आनुपातिक–दर (Prorata) पर प्रभारित किया जाएगा।

आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

3.78 याचिका का प्राथमिक परीक्षण किये जाने पर याचिकाकर्ता को आयोग की निम्न अभ्युक्ति के बारे में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया :

"याचिका के पैरा 7.1 में दिनांक 31.3.2012 की स्थिति में सकल स्थाई सम्पत्ति (GFA) के बारे में रू. 5309.90 करोड़ का उल्लेख किया गया है जबकि अंकेक्षित तुलन–पत्र में सकल स्थाई सम्पत्ति का उल्लेख रू. 5256.71 करोड़ किया गया है। विसंगति के सबंध में याचिकाकर्ता द्वारा स्पस्टीकरण प्रस्तुत किया जाए या इसमें सुधार किया जाए।"

3.79 एमपीपीटीसीएल ने पत्र क्रमांक 1326 दिनांक 20.2.2013 द्वारा निम्न प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया :

''टैरिफ याचिका में प्रतिवेदित आंकड़ों में कोई विसंगति नहीं है। टैरिफ याचिका में, विनियमों के अनुसार, सकल स्थाई परिसम्पत्ति में उपभोक्ता के अंशदान द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को शामिल किया गया है जबकि उन पर अर्जित किये अवमूल्यन को तत्पश्चात् कुल अवमूल्यन दावे में से धटा दिया गया है। लेखों के नवीन प्रपत्र (टीप–12) में इन्हें पृथक–पृथक दर्शाया गया है। इसके मिलान को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है :

तालिका : 51

(i)	*टीप 12 में दर्शायी गई सकल स्थाई परिसम्पत्ति*	रू. ***5256.71*** *करोड़*
(ii)	*उपभोक्ता अंशदान के विरूद्ध सृजित की गई परिसम्पत्तियां*	*+ रू. 47.88 करोड़*
(iii)	*उपभोक्ता अंशदान के विरूद्ध सृजित की गई परिसम्पत्तियां (विलंबित आय के विरूद्ध)*	*+रू. 5.30 करोड़*
	योग	रू. ***5309.89*** *करोड़*
		= रू. ***5309.90*** *करोड़*

उपरोक्त आंकड़ा रू. 5309.90 करोड़, याचिका में पैरा 7.1 में दर्शाई गई तालिका का आंकड़ा है।''

3.80 याचिकाकर्ता के स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, पूंजीगत लागत (capital cost) तथा पूंजीगत सरंचना (Capital Structure) का अवधारण दिनांक 31.3.2012 की स्थिति में रू 5309.90 करोड़ के स्थान पर रू 5256.71 करोड़ सकल स्थाई सम्पत्ति (उपभोक्ता अंशदान के शुद्ध के रूप में) पर विचार करते हुए किया गया है जैसा कि इसका उल्लेख याचिकाकर्ता द्वारा अवमूल्यन की गणना संबधी तालिका में किया है। याचिकाकर्ता ने नियन्त्रण अवधि हेतु अवमूल्यन दावे को निम्न तालिका में सारबद्ध किया है :

तालिका : 52 *(राशि करोड़ रूपये में)*

स. क्र.	*वर्ष*	*सकल स्थाई परिसम्पत्तियां*			*अवमूल्यन हेतु प्रावधान*			*शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियां*	
		वर्ष के प्रारंभ में	*वर्ष के दौरान वृद्धि*	*वर्ष के अन्त मे*	*वर्ष के प्रारंभ में*	*वर्ष के दौरान वृद्धि*	*वर्ष के अन्त मे*	*वर्ष के प्रारंभ में*	*वर्ष के अन्त मे*
1	**2013-14**	5799.87	754.88	6554.75	2383.34	270.71	2654.05	3416.53	3900.7
2	**2014-15**	6554.75	994.56	7549.31	2654.05	311.79	2965.83	3900.7	4583.48
3	**2015-16**	7549.31	847.18	8396.5	2965.83	346.78	3312.61	4583.48	5083.89

3.81 अवमूल्यन के दावे संबंध में, एमपीपीटीसीएल ने दिनांक 31.3.3012 की स्थिति में सकल स्थाई सम्पत्ति को रू 5309.90 करोड़ माना है। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2011–12 के अंकेक्षित लेखों की टीप–12 के अवलोकन पर पाया है कि दिनांक 31.3.2012 की स्थिति में कुल स्थाई परिसम्पत्तियां रू. 5256.71 करोड़ हैं। यह भी पाया गया है कि उपभोक्ता अंशदान के विरूद्ध सृजित परिसंपत्तियां बढ़कर रू. 47.88 करोड़ हो गई हैं तथा यह भी कि विद्यमान परिसम्पत्तियों के विरूद्ध उपभोक्ता अंशदान भी रू 5.30 करोड़ दर्शाया गया है।

3.82 विषय वस्तु से संबंधित अनुसूची टीयूटी–7 में नियन्त्रण अवधि के दौरान उपभोक्ता अंशदान को रू 47.89 करोड़ की स्थिर (Constant) राशि दर्शाया गया है तथा उपभोक्ता अंशदान के कारण अवमूल्यन में वृद्धि को रू 2.02 करोड़ वार्षिक प्राक्कलित किया गया है। तथापि, पिछले रूझान यह प्रदर्शित करते हैं कि उपभोक्ता अंशदान के विरूद्ध सृजित परिसम्पत्तियों का मूल्य 'शून्य' था जो अब दिनांक 31.3.2011 की स्थिति में बढ़कर रू 19.10 करोड़ तथा दिनांक 31.3.2012 की स्थिति में बढ़कर रू 47.88 करोड़ हो गया है। ऐसे में उपभोक्ता अंशदान के रूझान को रेखाबद्ध (linear) नहीं पाया गया है। अतएव, उपभोक्ता अंशदान के कारण प्रक्षेपणों तथा तत्संबंधी अवमूल्यन पर विचार सुसंगत रूप से तत्संबंधी वर्षों के सत्यापन अभ्यास के दौरान किया जाएगा।

3.83 यह पाया गया कि एमपीपीटीसीएल ने अवमूल्यन का दावा प्रस्तावित पूंजीगत लागत पर औसत सकल स्थाई परिसम्पत्ति पर किया गया है। आयोग ने सकल स्थाई परिसम्पत्ति में परिवर्धन की गणना इस आदेश के पिछले परिच्छेदों में चर्चित कारणों के अनुसार रू. 434.20 करोड़ की है। अतएव याचिका में दावा की गई सकल स्थाई परिसम्पत्ति तथा जैसा कि आयोग द्वारा इस याचिका के अन्तर्गत विचार किया गया, में अन्तर है। ऐसा करते समय नियन्त्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु इस याचिका में दावा किये गये औसत अवमूल्यन दर की याचिकाकर्ता द्वारा की गई अवधारणा के आधार पर गणना की गई है, जैसा कि इसे निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है :

तालिका : 53 अवमूल्यन प्रतिशत की गणना

सरल क्रमांक	वर्ष	औसत सकल स्थाई परिसम्पत्ति	एमपीपीटीसीएल द्वारा दावा किया गया अवमूल्यन	अवमूल्यन औसत सकल स्थाई परिसम्पत्ति के प्रतिशत के रूप में
1	वित्तीय वर्ष 2013–14	6177.31	270.71	4.38%
2	वित्तीय वर्ष 2014–15	7052.03	311.79	4.42%
3	वित्तीय वर्ष 2015–16	7972.91	346.78	4.35%

3.84 तद्नुसार, आयोग द्वारा उपरोक्त उल्लेखित प्रतिशत दरों पर विचार किया है तथा अवमूल्यन को निम्न तालिका के अनुसार अनुज्ञेय किया है :

तालिका : 54 अवमूल्यन की गणना

सरल क्रमांक	वर्ष	प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियां	औसत सकल स्थाई परिसम्पत्तियां	अंतिम औसत सकल स्थाई परिसम्पत्तियां	अवमूल्यन	अवमूल्यन औसत सकल स्थाई परिसम्पत्ति के प्रतिशत के रूप में
1	वित्तीय वर्ष 2013–14	5746.69	5963.79	6180.89	261.35	4.38%
2	वित्तीय वर्ष 2014–15	6180.89	6397.99	6615.09	282.87	4.42%
3	वित्तीय वर्ष 2015–16	6615.09	6832.19	7049.29	297.16	4.35%

3.85 तदनुसार, इस आदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 तथा 2015–16 हेतु अवमूल्यन को क्रमशः रू 261.35 करोड़, रू 282.87 करोड़, तथा रू 297.16 करोड़, सत्यापन के अध्यधीन अनुज्ञेय किया गया है। याचिकाकर्ता को परिसम्पत्ति पंजियों (Asset Registers) का मिलान पूर्ण करने तथा अन्तिम परिसम्पत्तियां प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाते हैं, अर्थात, अवमूल्यन पंजी द्वारा स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए कि तत्संबधी वर्षों में अवमूल्यन के सत्यापन का दावा करते समय वे विनियमों का परिपालन करते हैं।

ब्याज तथा वित्त प्रभार (Interest & Finance Charges)

याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण (Petitioner's submission)

याचिकाकर्ता द्वारा मोटे तौर पर निम्नानुसार निवेदन किया गया :

3.86 *''मप्र शासन द्वारा अन्तिम प्रारंभिक तुलन–पत्र दिनांक 12 जून, 2008 को अधिसूचित किया है जैसा कि इसका उल्लेख याचिका के **अध्याय–1** में किया गया है। तुलन–पत्र में रू. 1313.21 करोड़ के ऋण दायित्वों का उल्लेख किया गया है तथा रू 5.53 करोड़ के दायित्व का उल्लेख फुट–नोट में एमपी पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड़ से ऋण के रूप में किया गया है जिसके अनुसार कुल ऋण राशि रू 1318.74 करोड़ हो गई है। इसके विवरण निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :*

तालिका : 55 दिनांक 31.5.2005 की स्थिति में (राशि लाख रूपये में)

सरल क्रमांक	*विवरण*	*वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष*			
		अदेय मूलधन राशि	*देय मूलधन राशि*	*ब्याज*	*योग*
1	*पीएफसी ऋण–अप्रत्याभूत*	*30990.54*	*0.00*	*0.00*	*30990.54*
2	*पीएफसी ऋण–प्रत्याभूत*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
3	*केनरा बैंक से ऋण*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4	*साडा ग्वालियर से ऋण*	*720.00*	*480.00*	*302.80*	*1502.80*
5	*बंधपत्र तथा ऋणपत्र*	*29692.14*	*7655.06*	*11545.70*	*48892.90*
6	*मप्रजनको से ऋण*	*553.00*	*0.00*	*0.00*	*553.00*
7	*प्रत्यक्ष ऋण*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8	*एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से ऋण*	*20844.32*	*0.00*	*0.00*	*20844.32*
9	*नाबार्ड से ऋण*	*7619.10*	*1215.02*	*0.00*	*8834.32*
10	*सामान्य ऋण*	*2876.59*	*214.78*	*0.00*	*3091.37*
11	*बाजार बन्धपत्र*	*15964.95*	*1200.55*	*0.00*	*17165.50*
	योग	***109260.64***	***10765.41***	***11848.50***	***131874.55***

3.87 *अनुवर्ती वर्षों के दौरान नये ऋण भी प्राप्त किये गये हैं तथा इन वर्षों के दौरान इन ऋणों की अदायगी भी की गई है। वर्षवार वृद्धि पूर्व वर्षों की सत्यापन याचिकाओं में दर्शाई गई है। दिनांक 31.3.2012 की स्थिति में बकाया ऋणों की स्थिति वित्तीय वर्ष 2011–12 की सत्यापन याचिकाओं तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार जैसी कि वह अन्तिम रूप से उपलब्ध है, निम्न तालिका में प्रदर्शित की गई है :*

तालिका : 56 दिनांक 31.3.2012 की स्थिति में (राशि लाख रूपये में)

सरल क्रमांक	विवरण	वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष			
		अदेय मूलधन राशि	देय मूलधन राशि	ब्याज	अदेय मूलधन राशि
1	पीएफसी ऋण–अप्रत्याभूत	13186.20	0.00	0.00	13186.20
2	पीएफसी ऋण–प्रत्याभूत	26096.97	0.00	0.00	26096.97
3	केनरा बैंक से ऋण	0.01	0.00	0.00	0.01
4	साडा ग्वालियर से ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00
5	बंधपत्र तथा ऋण–पत्र	0.00	5392.00	2783.81	8175.81
6	मप्रजनको से ऋण	552.69	0.00	0.00	552.69
7	प्रत्यक्ष ऋण	232.75	1396.47	608.29	2237.51
8	एडीबी 1869	30068.11	7219.73	10279.45	47567.29
9	नाबार्ड से ऋण	124.08	9161.08	3627.69	12912.85
10	बाजार बंध–पत्र	1853.45	15312.05	5391.84	22557.34
11	सामान्य ऋण	17623.01	3791.36	1577.89	22992.26
12	मप्र शासन–एडीबी 2323	41882.33	0.00	1808.09	43690.42
13	मप्र शासन–एडीबी 2323	58977.43	0.00	2838.08	61815.51
14	टीएसपी	3080.00	420.00	318.34	3818.34
15	एससीएसपी	4620.00	630.00	476.46	5726.46
योग		**198297.03**	**43322.69**	**29709.94**	**271329.66**

3.88 याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु पारेषण टैरिफ की याचिका दायर करते समय वित्तीय वर्ष 2012–13 में ऋण वृद्धि के प्रक्षेपण प्रस्तुत किये गये थे। यह याचिका 15.2.12 को शुद्धतया आकलन आधार (assessment basis) पर दाखिल की गई थी। चूंकि वर्तमान में मार्च 2013 तक पूर्ण किये जाने वाले कार्यों की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, इन प्रक्षेपणों को संशोधित किया जा चुका है तथा इन्हे परिशिष्ट–IX (वर्ष 2012–13) के रूप में संलग्न किया गया है।

नियन्त्रण अवधि हेतु प्रक्षेपण (Projections for control period)

3.89 नियन्त्रण अवधि के तीन वर्षों के लिये स्त्रोतवार ऋणों को निम्न आधार पर प्रक्षेपित किया गया है:

i. ऋण की प्राप्तियां पारेषण योजना के पैरा 4.4 में दी गई तालिका के अनुसार प्रक्षेपित की गई हैं।

ii. मूलधन की देय अदायगी का आकलन लगभग अदायगी की शर्तो के अनुसार किया गया है।

iii. वास्तविक अदायगी का उल्लेख पूर्ण रूप से पावर फायनेंस कार्पोरेशन जैसी वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किये गये ऋणों के संबंध में किया गया है। चूंकि विद्युत वितरण कम्पनियां पारेषण प्रभारों के देयकों का पूर्ण भुगतान नहीं कर रही हैं, कतिपय राज्य शासन ऋणों के संबंध में चूक को वित्तीय संरोधों (Financial Constraints) की प्रत्याशा में दर्शाया गया है।

(iv) देय ब्याज की गणना ब्याज दर के रूप में सामान्य रूप से की गई है।

3.90 उपरोक्त के आधार पर वर्षवार ऋणों के विवरणों का प्रक्षेपण परिशिष्ट–IX के रूप में वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु किया गया है।

भारित औसत ब्याज दर (Weighted Average Rate of Interest)

3.91 तीन वर्षों के लिये भारित ब्याज दर की गणना अदेय मूलधन (Principal Not due)' के आधार पर वर्ष के प्रारंभ में की गई है, जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु दाखिल की गई याचिका से ब्याज दर के अनुप्रयोग द्वारा, अर्थात अन्तिम वास्तविक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है। नवीन ऋणों के प्रकरण में, पीएफसी हेतु ब्याज दर वही ली गई है जैसा कि यह अन्य पीएफसी योजना के लिये प्रयोज्य है। एशियाई विकास बैंक के एडीबी–1869 ऋण हेतु नई दर अपनाई गई है। अपेक्षा की जाती है कि जेआईसीए ऋण कम दरों पर परन्तु केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। उपरिव्यय तथा सट्टे आदि (Overheads and hedging) हेतु निश्चित अतिरिक्त प्रभारों को जोड़कर, जेआईसीए की दर 2.5 प्रतिशत ली गई है जो 'सत्यापन' के अध्यधीन होगी जब वास्तविक दरों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

तालिका : 57 (राशि करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	ऋण योजना का नाम	दर	वित्तीय वर्ष 2013–14		वित्तीय वर्ष 2014–15		वित्तीय वर्ष 2015–16	
			मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज
1	पीएफसी अप्रतिभूत	10.91%	96.84	10.56	58.08	6.34	19.33	2.11
2	पीएफसी प्रतिभूत	12.14%	238.31	28.93	215.64	26.18	192.98	23.43
3	बंधपत्र/ऋणपत्र	12.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	एमपी जनको	9.70%	5.53	0.54	5.53	0.54	5.53	0.54
5	राज्य सरकार से प्रत्यक्ष ऋण	10.50%	2.33	0.24	2.33	0.24	1.13	0.12
6	राज्य सरकार एडीबी–1869	10.62%	285.18	30.29	269.68	28.64	254.18	26.99
7	राज्य सरकार – नाबार्ड	10.50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	राज्य सरकार सामान्य	14.22%	176.23	25.06	123.23	17.52	70.23	9.99
9	राज्य सरकार–बाजार बन्धपत्र	10.93%	17.03	1.86	13.53	1.48	10.53	1.15
10	राज्य सरकार एडीबी–2323	1.84%	454.82	8.37	452.82	8.33	429.33	7.90
11	राज्य सरकार एडीबी–2346	1.84%	607.73	11.18	597.65	10.99	565.15	10.40
12	राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति उपयोजना (Tribal Sub Plan)	14.50%	53.40	7.74	60.00	8.70	66.10	9.58
13	राज्य सरकार अनुसूचित जाति उपयोजना (SC Sub Plan)	14.50%	67.60	9.80	73.00	10.58	77.90	11.30
14	पीएफसी –II नवीन	10.91%	250.00	27.28	470.00	51.28	553.50	60.39
15	ग्राविनि (REC)	10.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	67.70	6.77
16	एडीबी– III	10.62%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10.62
17	जेआईसीए	2.50%	47.10	1.18	291.60	7.29	676.00	16.90
	योग	-	**2302.11**	**163.02**	**2633.11**	**178.11**	**3089.59**	**198.19**
भारित औसत ब्याज दर			$\frac{163.02}{2302.11} \times 100$ = **7.08%**		$\frac{178.11}{2633.11} \times 100$ = **6.76%**		$\frac{198.19}{3089.59} \times 100$ = **6.41%**	

नियंत्रण अवधि के लिये ब्याज की गणना (Interest calculation for Control Period)

3.92 किसी वर्ष के दौरान आयोग द्वारा ब्याज को अदेय मूलधन (Principal Not Due) पर अनुज्ञेय किया जाता है। यथासमय, किसी वर्ष के दौरान मूलधन राशि की अदायगी को उस वर्ष के दौरान अनुज्ञेय अवमूल्यन के बराबर माना जाता है। अंकेक्षित लेखों के अनुसार अन्तिम आंकड़े दिनांक 31.3.2012 तक उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु आंकड़ों को आयोग के आदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु मानते हुए नियंत्रण अवधि के लिये प्रक्षेपणों की गणना निम्न तालिका में की गई है :

तालिका : 58 (राशि करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2012–13*	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2015–16
1	वर्ष के दिनांक एक अप्रैल को अदेय मूलधन की राशि (Principal not due)	1870.02	1976.68	2234.39	2618.80
2	वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया ऋण	342.99	528.42	696.20	593.02
3	मूलधन की अदायगी जिसे उक्त वर्ष के दौरान अवमूल्यन के बराबर माना गया है	236.33	270.71	311.79	347.89
4	वर्ष की दिनांक 31 मार्च को अदेय मूलधन की राशि (1+2–3)	1976.68	2234.39	2618.80	2863.93
5	वर्ष के दौरान औसत अदेय मूलधन की राशि [(1+4) ÷2]	1923.35	2105.54	2426.60	2741.36
6	वर्ष हेतु भारित औसत ब्याज दर	6.47%	7.08%	6.76%	6.41%
7	वर्ष हेतु ब्याज की ग्राह्यता	124.44	149.07	164.04	175.72

(* वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु आदेश दिनांक 17.4.2012 के अनुसार)

निर्माण के दौरान ब्याज (Interest During Construction)

3.93 वित्तीय वर्ष 2011–12 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार, दिनांक 31.3.2012 की स्थिति में अन्तिम निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) की राशि 594.46 करोड़ है। इसे नियंत्रण अवधि के लिये प्रक्षेपित किया गया है जैसा कि इसका उल्लेख निम्न तालिका में किया गया है। चूंकि यह माना गया है कि वांछित ऋण तथा पूंजी की व्यवस्था उक्त वर्ष के दौरान ही की जाती है तथा यह भी कि पूंजीगत परिसम्पत्तियों का अन्तरण नहीं किया जाता, नियंत्रण अवधि के दौरान निर्माण कार्य प्रगति पर स्थिर (constant) प्रतीत होता है।

तालिका : 59 (राशि करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	विवरण	ऋण से निधीयन किया गया	पूंजी से निधीयन किया गया	योग
1	दिनांक 1.4.2012 की स्थिति में निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP)	416.12	178.34	594.46
2	वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्राप्त की गई निधि (आकलित)	410.00	141.20	551.20
3	वित्तीय वर्ष 2012–13 में पूंजीकृत की गई परिसम्पत्तियां (आकलित)	342.98	146.99	489.97
4	दिनांक 1.4.2013 की स्थिति में निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP)	483.14	172.55	655.69
5	वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्राप्त की जाने वाली निधि (प्रक्षेपित)	528.42	226.46	754.88

सरल क्रमांक	विवरण	ऋण से निधीयन किया गया	पूंजी से निधीयन किया गया	योग
6	वित्तीय वर्ष 2013–14 में पूंजीकृत की जाने वाली परिसम्पत्तियां (प्रक्षेपित)	528.42	226.46	754.88
7	दिनांक 1.4.2014 की स्थिति में निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP)	483.14	172.55	655.69
8	वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्राप्त की जाने वाली निधि	696.20	298.36	994.56
9	वित्तीय वर्ष 2014–15 में पूंजीकृत की जाने वाली परिसम्पत्तियां	696.19	298.36	994.55
10	दिनांक 1.4.2015 की स्थिति में निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP)	483.15	172.55	655.69
11	वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्राप्त की जाने वाली निधि	593.02	254.15	847.18
12	वित्तीय वर्ष 2015–16 में पूंजीकृत की जाने वाली परिसम्पत्तियां	593.02	254.16	847.18
13	दिनांक 31.3.2016 की स्थिति में निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP)	483.15	172.55	655.70

निर्माण कार्य प्रगति के अन्तर्गत ऋण की ब्याज दर (Interest Rate for Loan Under CWIP)

3.94 निर्माण कार्य प्रगति पर ऋण का अधिकांश निधीयन चालू वर्ष के दौरान प्राप्त किये गये नये ऋणों से किया जाता है। अतएव, भारित औसत ब्याज दर की गणना निर्माण के दौरान ब्याज (IDC) पर वर्ष के दौरान प्राप्त किये गये ऋणों पर की जाती है। इस की गणना परिशिष्ट–IX तथा उपरोक्त पैरा 8.4 में दर्शाई गई दरों के आधार पर की जाती है, जैसा कि इसे निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

तालिका : 60 (राशि करोड़ रूपये में)

स.क्रं	ऋण योजना	दर	वित्तीय वर्ष 2013–14		वित्तीय वर्ष 2014–15		वित्तीय वर्ष 2015–16	
			ऋण राशि	ब्याज	ऋण राशि	ब्याज	ऋण राशि	ब्याज
1	एडीबी–2323	1.84%	21.50	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2	एडीबी– 2346	1.84%	22.42	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
3	टी.एस.पी.	14.50%	10.00	1.45	10.00	1.45	15.00	2.18
4	एससीएसपी	14.50%	10.00	1.45	10.00	1.45	10.00	1.45
5	पीएफसी–II (नवीन)	10.91%	220.00	24.00	108.50	11.84	50.00	5.45
6	जेआईसीए	2.50%	244.50	6.11	400.00	10.00	300.00	7.50
7	ग्राविनि (REC)	10.00%	0.00	0.00	67.70	6.77	148.02	14.80
8	एडीबी–III	10.62%	0.00	0.00	100.00	10.62	70.00	7.44
9	**योग**	-	**528.42**	**33.81**	**696.20**	**42.13**	**593.02**	**38.82**
10	**भारित औसत ब्याज दर**		33.81 ——— x 100 528.42 **= 6.39%**		42.13 ——— x 100 690.20 **= 6.05%**		38.82 ——— x 100 593.02 **= 6.55%**	
11	निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) के अंतर्गत ऋण वर्ष हेतु औसत		483.14		483.15		483.15	
12	सरल क्रमांक 10 पर उल्लेखित दर पर निर्माण कार्य पर ब्याज		30.87		29.23		31.63	

शुद्ध ब्याज का दावा (Net Interest Claim)

तालिका : 61 *(राशि करोड़ रूपये में)*

सरल क्रमांक	*विवरण*	*वित्तीय वर्ष 2013–14*	*वित्तीय वर्ष 2014–15*	*वित्तीय वर्ष 2015–16*
1	*ब्याज ग्राह्यता*	*149.07*	*164.04*	*175.72*
2	*घटायें–निर्माण कार्य के दौरान ब्याज की राशि*	*(-) 30.87*	*(-) 29.23*	*(-) 31.63*
3	*शुद्ध ब्याज ग्राह्यता (eligibility)*	*118.20*	*134.81*	*144.09*

कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (Interest on Working Capital)

3.95 *तीन वर्षों के कालावधि के लिये मानदण्डीय आधार पर कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की गणना निम्न तालिका में दी गई है :*

तालिका : 62 *(राशि करोड़ रूपये में)*

सरल क्रमांक	*विवरण*	*वित्तीय वर्ष 2013–14*	*वित्तीय वर्ष 2014–15*	*वित्तीय वर्ष 2015–16*
1	*एक माह के प्रचालन तथा संधारण व्यय*	*26.79*	*30.54*	*34.54*
2	*संधारण कलपुर्जे, प्रचालन एवं संधारण व्ययों के 15 प्रतिशत की दर से*	*48.23*	*54.97*	*62.17*
3	*दो माह के पारेषण प्रभारों के बराबर प्राप्तियां*	*482.20*	*529.47*	*575.69*
4	*कुल कार्यकारी पूंजी (1+2+3)*	*557.22*	*614.98*	*672.40*
5	*वर्ष की एक अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक आधार दर +3.5 प्रतिशत (10 प्रतिशत +3.5 प्रतिशत = 13.5 प्रतिशत)*	*13.5%**	*14.0%**	*14.5%**
6	*वर्ष हेतु कार्यकारी पूंजी पर ब्याज*	*75.22*	*86.10*	*97.50*

** अभ्युक्ति – वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु आधार दर 10 प्रतिशत ली गई है। अर्थात्, जैसा कि यह दिनांक 1.4.2012 को उपलब्ध है। अनुवर्ती दो वर्षों के लिए 0.5 प्रतिशत की वृद्धि मानी गई है।*

कुल ब्याज का दावा (Total Interest Claim)

तालिका : 63 *(राशि करोड़ रूपये में)*

सरल क्रमांक	*विवरण*	*वित्तीय वर्ष 2013–14*	*वित्तीय वर्ष 2014–15*	*वित्तीय वर्ष 2015–16*
1	*ऋण पर ब्याज*	*118.20*	*134.81*	*144.09*
2	*कार्यकारी पूंजी पर ब्याज–निर्माण कार्य के दौरान ब्याज (IDC)*	*75.22*	*86.10*	*97.50*
3	*कुल ब्याज*	*193.42*	*220.91*	*241.59*

विनियम संबंधी प्रावधान (Provisions of Regulations)

3.96 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2012 के विनियम 24 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

"24.1 विनियम 20 में दर्शाई गई विधि अनुसार प्राप्त किये गये ऋण पर ब्याज की सकल मानदण्डीय ऋण की गणना किये गये माने जाएंगे।

24.2 दिनांक 1.4.2013 की स्थिति में बकाया मानदण्डीय ऋणों की गणना आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2013 तक सकल मानदण्डीय ऋण में से संचिति (Cumulative) अदायगी को घटाकर की जायेगी।

24.3 टैरिफ अवधि 2013–16 के प्रत्येक वर्ष हेतु अदायगी को उक्त वर्ष हेतु अनुज्ञेय किये गये अवमूल्यन के बराबर माना जाएगा।

24.4 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भले ही कोई भी विलम्बकाल अवधि (Moratorium period) का लाभ लिया गया हो, ऋण की अदायगी को परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से ही माना जाएगा तथा यह वार्षिक अनुज्ञेय किये गये अवमूल्यन के समतुल्य होगा।

24.5 ब्याज की दर ब्याज की भारित औसत दर के बराबर होगी, जिसकी गणना परियोजना हेतु प्रयोज्य प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में वास्तविक ऋण की श्रेणी (Portfolio) के आधार पर की जाएगी :

परन्तु यदि किसी विशिष्ट वर्ष में कोई वास्तविक ऋण न हो परन्तु मानदण्डीय ऋण अभी भी बकाया हो तो ऐसी दशा में अन्तिम उपलब्ध भारित औसत ब्याज दर ही मानी जाएगी :

परन्तु यदि पारेषण प्रणाली में वास्तविक ऋण लंबित न हो तो ऐसी दशा में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की समग्र रूप से भारित ब्याज दर मानी जाएगी।

24.6 ऋण पर ब्याज की गणना वर्ष के मानकीकृत औसत ऋण पर भारित औसत ब्याज दर की प्रयुक्ति द्वारा की जाएगी।

24.7 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऋण की पुनर्वित्त व्यवस्था (Refinance) हेतु समस्त प्रयास करेगा जब तक यह ब्याज पर सकल लाभ में परिणत हो तथा ऐसी दशा में ऐसी पुनर्वित्त व्यवस्था हेतु संबद्ध लागतों को हितग्राहियों द्वारा वहन किया जाएगा तथा इस प्रकार की गई सकल बचत को हितग्राहियों द्वारा तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य 2 : 1 के अनुपात में वितरित किया जाएगा।

24.8 ऋणों की निबंधन तथा शर्तों में किये गये परिवर्तनों को इस प्रकार की गई पुनर्वित्त व्यवस्था की तिथि से दर्शाया जाएगा।

24.9 किसी विवाद की दशा में कोई भी पक्षकार मप्रविनिआ (कार्य संचालन) विनियम, 2004, यथासंशोधित के अनुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा :

परन्तु पारेषण क्रेताओं द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किये गये ब्याज के कारण किसी प्रकार के भुगतान को ऋण की पुनर्वित्त व्यवस्था से उद्भूत किसी विवाद के प्रतितोषण की प्रत्याशा में रोका नहीं जाएगा।

3.97 *मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2012 के विनियम 28 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :*

"28.1 कार्यकारी पूंजी पर ब्याज दर जिसकी गणना विनियमों में आगे दर्शाई गई विधि के अनुसार की जाना है, मानकीकृत आधार पर की जाएगी तथा इसकी गणना भारतीय स्टेट बैंक की सुसंगत वर्ष की 1 अप्रैल को लागू आधार दर में 3.5 प्रतिशत जोड़कर समतुल्य दर पर की जाएगी। कार्यकारी पूंजी पर ब्याज मानकीकृत आधार पर देय होगा, भले ही अनुज्ञप्तिधारी ने किसी बाहरी संस्था से ऋण लिया हो अथवा कार्यकारी पूंजीगत ऋण मानकीकृत आंकड़ों के आधार से अधिक हो गया हो।

3.98 *उपरोक्त विनियमों के विनियम 38 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :*

"38.1 टैरिफ अवधि में प्रत्येक वर्ष हेतु कार्यकारी पूंजी में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(1) संधारण कलपुर्जों (स्पेअर्स) पर, प्रचालन एवं संधारण व्ययों के 15 प्रतिशत की दर से जैसा कि विनियम 37.1 में निर्दिष्ट किया गया है,

(2) लक्ष्य उपलब्धि स्तर (Target Availability Level) के आधार पर की गई गणनानुसार पारेषण प्रभारों के दो माह के बराबर प्राप्ति योग्य सामग्रियों की लागत; तथा

(3) प्रचालन एवं संधारण व्यय, एक माह हेतु।

आयोग का विश्लेषण (Commissions Analysis)

3.99 आयोग के आदेश दिनांक 7.2.2013 द्वारा, याचिकाकर्ता को निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण तथा जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे :

(i) वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु भारित औसत ब्याज दर (weighted average rate of interest) वित्तीय वर्ष 2011–12 में दावा की गई भारित औसत ब्याज दर से अधिक है। प्रत्येक ऋण योजना के संदर्भ में याचिकाकर्ता से इन आंकड़ों में वृद्धि से संबंधित स्पष्टीकरण चाहा गया।

(ii) याचिकाकर्ता से ऋण योजनाओं के संबंध में निबन्धन तथा शर्तों के साथ अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

(iii) तत्संबंधी वर्षों के लिये प्राप्त की गई निधि तथा पूंजीकृत की गई परिसम्पत्तियों का उल्लेख करते समय, याचिका के पैरा 8 में निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) को तालिका में दिनांक 1.4.2013 की स्थिति में दिनांक 1.4.2014 तथा 1.4.2015 हेतु भी स्थिर रखा गया है। उपरोक्त वस्तुस्थिति के दृष्टिगत स्थिर निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) मय तालिका में विभिन्न दर्शाये गये आंकड़ों से इसकी संबद्धता के बारे में स्पष्टीकरण याचिकाकर्ता से चाहा गया।

(iv) याचिका के परिशिष्ट–9 में राज्य सरकार के तथा अन्य ऋणों के बारे में वर्षवार दिये गये विवरणों का मप्रविनिआ (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन एवं शर्तें) विनियम 2012 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में कोई सुसंबद्धता नहीं है चूंकि राशि की अदायगी के बारे में वर्ष हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ तथा अवमूल्यन के बराबर राशि पर विचार करना होगा। अतः अब अन्त में ऋणदातावार ऋण अवशेषों के निष्पादन के बारे में जानकारी याचिकाकर्ता से चाही गई ताकि बहुवर्षीय अवधि के दौरान ब्याज तथा वित्त प्रभारों की गणना उपयुक्त रूप से संभव हो सके।

3.100 प्रत्युत्तर में, एमपीपीटीसीएल द्वारा निम्न जानकारी प्रस्तुत की गई :

(i) ''वर्ष 2012–13 में अधिकांश नवीन ऋणों की प्राप्ति एडीबी–2326 तथा एडीबी–2346 से अपेक्षा की गई थी, जहां ब्याज दरें लगभग 1.5 प्रतिशत हैं। वित्तीय वर्ष 2013–14 में, ये योजनाएं समाप्त हो जाएंगी तथा नवीन ऋण पीएफसी, नवीन एडीबी तथा अनुसूचित जनजाति योजनाओं (Tribal Plans) से नये ऋणों की प्राप्ति अपेक्षित है जिनमें ब्याज दरें अधिक हैं। जेआईसीए से भी क्रमिक रूप से ऋण उपलब्ध होगा जिसमें वित्तीय वर्ष 2014–15 तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये कम ब्याज दरों का प्रावधान रखा गया है। इसके बावजूद, एमपीपीटीसीएल की ब्याज दर काफी कम है। विनियमों में टैरिफ याचिका के संबंध में संभावित (tentative) दरों का प्रावधान किया गया है जो प्राप्त किये गये वास्तविक ऋणों के 'सत्यापन' के अध्यधीन होते हैं।

पुराने ऋणों के अनुबन्ध पूर्व में प्रस्तुत किये जा चुके हैं। नवीन ऋण यथा जेआईसीए तथा पीएफसी–II (नवीन) हेतु अभी तक निष्पादित किये गये अनुबन्धों की प्रतियां संलग्न हैं। नवीन एडीबी हेतु ऋणों को बन्धित (tie-up) किया जाना अभी शेष है जिनकी निबन्धन तथा शर्तें उक्त कार्यवाही के उपरान्त उपलब्ध कराई जाएंगी।

निवेदन है कि जेआईसीए से संबंधित ऋण अनुबन्ध जेआईसीए तथा केन्द्र सरकार के मध्य 0.5 प्रतिशत ब्याज दर का उल्लेख करते हुए निष्पादित किया गया है। यह ऋण केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को तथा राज्य सरकार द्वारा इसे एमपीपीटीसीएल को उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा एमपीपीटीसीएल को देय ऋण की शर्तों को अन्तिम किया जा रहा है। एडीबी ऋणों के बारे में यह पाया गया कि राज्य सरकार इन ऋणों पर किंचित अधिक दर प्रभारित करती है। अतएव, हमारी याचिका में जेआईसीए से संबंधित ब्याज दर का आकलन 2.5 प्रतिशत की दर से किया गया है जो वास्तविक ब्याज दर पर निर्णयोपरांत सत्यापन के अध्यधीन होगा।

इसी प्रकार, नवीन पीएफसी–II नवीन योजना हेतु 10.91 प्रतिशत की ब्याज दर का प्रावधान किया गया है। पीएफसी से प्राप्त पत्र क्रमांक 03 : 22 : एमपीपीटीसीएल : वोल्यूम–I–20603005 दिनांक 30 जनवरी, 2013 द्वारा 12.25 प्रतिशत ब्याज दर सूचित की गई है। यह दर भी नियंत्रण अवधि के दौरान वास्तविक प्रभारित दरों के 'सत्यापन' के अध्यधीन होगी।''

(ii) ''वांछित ऋण तथा पूंजी के संबंध में बंधित किये जाने संबंधी तीव्र समस्या के कारण, ऋण तथा पूंजी की प्राप्ति विशिष्ट मूल्य की परिसम्पत्ति के सृजन हेतु नाममात्र के लिये ही पर्याप्त है। चूंकि चालू परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों में अन्तर का आकलन इस प्रक्रम के अन्तर्गत किया जाना संभव नहीं है, निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) राशि तीन वर्षों के लिये स्थिर रखी गई है। उपरोक्त कारकों में परिवर्तन के बाद सत्यापन अभ्यास के उपरान्त पृथक आंकड़े दर्शाये जा सकेंगे।''

(iii) ''निवेदन है कि परिशिष्ट–9 काफी सुसंगत है क्योंकि स्त्रोतवार वार्षिक लेखे से बकाया ऋणों का मिलान इस परिशिष्ट–9 द्वारा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, भारित औसत ब्याज दर की गणना, इस परिशिष्ट से अदेय मूलधन (Principal not due) के आधार पर की जाती है।

पूर्व में अपनाई जा रही प्रक्रिया से कोई अन्तर नहीं है तथा इस याचिका में भी, वित्तीय संस्था से प्राप्त किये ऋणों की अदायगी निर्धारित किये गये अनुसार की जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार के ऋणों के प्रकरण में, पूर्ण या आंशिक की गई चूक अपेक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध (financial crunch) या फिर विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा पारेषण प्रभार देयकों के आंशिक भुगतान के कारण है।''

3.101 विनियम 24.2 के प्रावधानों के अनुसार, दिनांक 1.4.2013 की स्थिति में बकाया मानदण्डीय ऋण की गणना दिनांक 31.3.2013 तक आयोग द्वारा स्वीकृत संचयी अदायगी, सकल मानदण्डीय ऋण में से घटा कर की जायेगी। अतएव, अदेय मूलधन के आंकड़े जो ऋण पर ब्याज की पात्रता नहीं रखते, को अधिक वास्तविक आंकड़ों की प्राप्ति हेतु या तो वित्तीय वर्ष 2010–11 की स्थिति में पिछले सत्यापन में या फिर वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु एमपीपीटीसीएल के अंकेक्षित लेखों के आंकड़ों के अंतर्गत विचार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु उपरोक्त उल्लेखित अंकेक्षित लेखे आयोग को वित्तीय वर्ष 2012–13 के टैरिफ आदेश जारी होने के बाद उपलब्ध कराये गये हैं। आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु सत्यापन आदेश वित्तीय वर्ष 2012–13 के पारेषण टैरिफ आदेश के बाद जारी किया गया है।

3.102 निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) को वर्तमान स्तर पर कायम रखे जाने के लिये याचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण पर विचार करते हुए, तथा ब्याज दर के अनुप्रयोग द्वारा, जैसा कि इसे ब्याज का दावा किये जाने हेतु दाखिल किया गया है, निर्माण के दौरान ब्याज (IDC) की गणना निम्न तालिका में दर्शायेनुसार की गई है :

तालिका : 64 निर्माण के दौरान ब्याज की गणना **(राशि करोड़ रूपये में)**

सरल क्रमांक	*विवरण*	*वित्तीय वर्ष 2013–14*	*वित्तीय वर्ष 2014–15*	*वित्तीय वर्ष 2015–16*
1	निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) (वित्तीय वर्ष 2011–12 के अंकेक्षित तुलन–पत्र के अनुसार)	594.46	594.46	594.46
2	ऋण से निधीयन किये निर्माण कार्य प्रगति पर (70 प्रतिशत की दर से)	416.12	416.12	416.12
3	ब्याज दर (प्रतिशत में, याचिका में दाखिल किये गये अनुसार)	6.39	6.05	6.55
4	**निर्माण के दौरान ब्याज**	**26.59**	**25.18**	**27.26**

3.103 उपरोक्त चर्चा निम्न आंकड़ों के आधार पर ऋण (अदेय मूलधन) पर ब्याज की गणना इस आदेश के अन्तर्गत निम्नानुसार की गई है :

(i) वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु पारेषण टैरिफ का सत्यापन किये जाने पर इस आदेश के पैरा 4.62 की तालिका 10 के अनुसार दिनांक 31.3.2011 की स्थिति में रू. 1757.56 करोड़ के अदेय मूलधन को आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

(ii) प्रत्येक वर्ष के दौरान ऋण में परिवर्धन पर इस आदेश की तालिका 33 के अनुसार विचार किया गया है।

(iii) वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अवमूल्यन को एमपीपीटीसीएल द्वारा उक्त वर्ष की सत्यापन याचिका के पैरा 8.8 में दाखिल किये गये अनुसार माना गया है (पी–75/12)।

(iv) वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु अवमूल्यन को वित्तीय वर्ष 2012–13 के पारेषण टैरिफ आदेश दिनांक 17.4.2012 के पैरा 2.76 में स्वीकृत किये गये अनुसार माना गया है।

(v) अगली नियंत्रण अवधि के लिये अवमूल्यन को इस आदेश के पिछले परिच्छेदों के अनुसार स्वीकृत किया गया माना गया है।

(vi) भारित औसत ब्याज दर को याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किये गये अनुसार माना गया है।

3.104 तद्नुसार, आगामी नियंत्रण अवधि के लिये ऋण पर ब्याज की गणना निम्न तालिका में की गई है :

तालिका : 65 ब्याज की गणना

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2011–12	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2015–16
1	वर्ष के प्रारंभ में (दिनांक 1.4.2012 को) अदेय मूलधन राशि, वित्तीय वर्ष 2010–11 के सत्यापन आदेश के अनुसार	1757.56	1701.10	1807.76	1850.35	1871.42
2	वर्ष 2010–11 के दौरान ऋण में वृद्धि (इस आदेश की तालिका 33 के अनुसार)	160.93	342.99	303.94	303.94	303.94
3	अदायगी (अवमूल्यन के बराबर)*	217.39	236.33	261.35	282.87	297.16
4	वर्ष के अंत में अदेय मूलधन की राशि (4=1+2–3)	1701.10	1807.76	1850.35	1871.42	1878.20
5	वित्तीय वर्ष हेतु अदेय मूलधन की औसत राशि {5=(1+4)/2}			1829.05	1860.88	1874.81
6	ब्याज दर (प्रतिशत के रूप में, जैसा कि इसे याचिका में दाखिल किया गया है)			7.08	6.76	6.41
7	**ब्याज राशि**	लागू नहीं होता*	लागू नहीं होता*	129.50	125.80	120.18
8	घटायें : निर्माण के दौरान ब्याज (IDC)			26.59	25.18	27.26
9	**अनुज्ञेय किया गया शुद्ध ब्याज (9=7–8)**			**102.91**	**100.62**	**92.92**

(टीप : 1. वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 के आंकड़े केवल प्रपत्र–गणना (Proforma Calculation) प्रयोजन हेतु ही निर्देशक (indicative) है, न कि उक्त वर्षों के दौरान टैरिफ के अनुमोदन हेतु।)

*2. *वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु अवमूल्यन के आंकड़े क्रमशः वित्तीय वर्ष 2011–12 की सत्यापन याचिका तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 के टैरिफ आदेश के अनुसार प्रावधिक माने गये हैं।*

कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (Interest on Working Capital)

3.105 विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की गणना निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार की गई है :

तालिका : 66 कार्यकारी पूंजी पर ब्याज **(राशि करोड़ रूपये में)**

सरल क्रमांक	*विवरण*	*वित्तीय वर्ष 2013–14*	*वित्तीय वर्ष 2014–15*	*वित्तीय वर्ष 2015–16*
i.	प्रचालन तथा संधारण व्यय, एक माह हेतु	26.50	29.46	32.51
ii.	संधारण व्यय, प्रचालन एवं संधारण कलपुर्जों की राशि के 15 प्रतिशत की दर से	47.70	53.02	58.51
iii.	दो माह के पारेषण प्रभारों के बराबर प्राप्तियां	273.75	287.50	299.29
iv.	कुल कार्यकारी पूंजी	347.95	369.98	390.31
v.	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (13.50 प्रतिशत की दर से, दाखिल किये गये अनुसार)	**46.97**	**49.95**	**52.69**

पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity -RoE)

याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण (Petitioner's submission)

याचिकाकर्ता द्वारा मोटे तौर पर निम्नानुसार निवेदन किया गया :

3.106 *''वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अंकेक्षित लेखों के अनुसार धारित पूंजी निम्नानुसार है :*

(i) दिनांक 31.3.2011 को धारित पूंजी – रू. 2154.44 करोड़

(ii) दिनांक 31.3.2012 को धारित पूंजी – रू. 2184.44 करोड़

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा प्रदाय की गई सहायता राशि रू. 191.20 करोड़ में से रू. 141.20 करोड़ की राशि पूंजी (equity) के रूप में प्राप्त होने की अपेक्षा की गई है। नियंत्रण अवधि के लिये पूंजी के अन्तःक्षेपण (infusion) को योजना पर आधारित पैरा 4.4 में तालिका से लिया गया है। तद्नुसार पूंजी में वृद्धि (Equity growth) निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई है :

तालिका : 67 **(राशि करोड़ रूपये में)**

सरल क्रमांक	*विवरण*	*वित्तीय वर्ष 2012–13*	*वित्तीय वर्ष 2013–14*	*वित्तीय वर्ष 2014–15*	*वित्तीय वर्ष 2015–16*
1	*वर्ष के प्रारंभ में पूंजी*	*2184.44*	*2325.64*	*2552.10*	*2850.47*
2	*वर्ष के दौरान प्राप्त की गई पूंजी*	*141.20*	*226.46*	*298.37*	*254.15*
3	*वर्ष के अंत में पूंजी*	*2325.64*	*2552.10*	*2850.47*	*3104.63*

पूर्ण किये गये पूंजीगत निर्माण कार्यों पर लगाई गई पूंजी (Equity Employed on Completed Capital Works)

3.107 *याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2011–12 की सत्यापन याचिका में पूर्ण की गई/पूंजीकृत की गई परिसम्पत्तियों पर लगाई गई पूंजी की गणना दिनांक 31.3.2012 तक की है। इसे इस नियंत्रण अवधि के लिये निम्नानुसार विस्तारित किया गया है :*

तालिका : 68 (राशि करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	*विवरण*	*दिनांक 31.3.12 की स्थिति में*	*दिनांक 31.3.13 की स्थिति में*	*दिनांक 31.3.14 की स्थिति में*	*दिनांक 31.3.15 की स्थिति में*	*दिनांक 31.3.16 की स्थिति में*
1	*धारित की गई कुल पूंजी*	2184.44	2325.64	2552.10	2850.47	3104.63
2	*निर्माण कार्य प्रगति (CWIP) के अन्तर्गत धारित की गई पूंजी*	178.34	172.55	172.55	172.55	172.55
3	*चालू परिसम्पत्तियों के अन्तर्गत अस्थाई रूप से धारित की गई पूंजी*	421.76	421.76	421.76	421.76	421.76
4	*पूर्ण की गई/पूंजीकृत की गई परिसम्पत्तियों पर लगाई गई पूंजी*	1584.34	1731.33	1957.79	2256.15	2510.31

पूंजी के प्रतिलाभ के दावे हेतु दर

(i) आधार दर – 15.5 प्रतिशत
(ii) न्यूनतम वैकल्पिक दर (MAT Rate) – 19.88 प्रतिशत
(iii) सकल दर – 15.50

(1–0.19887)
=19.35 प्रतिशत

तालिका : 69 नियंत्रण अवधि हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ का दावा (राशि करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	*विवरण*	*वित्तीय वर्ष 2013–14*	*वित्तीय वर्ष 2014–15*	*वित्तीय वर्ष 2015–16*
1	*वर्ष के प्रारंभ में पूंजीकृत कार्यों पर लगाई गई पूंजी*	1731.33	1957.79	2256.15
2	*वर्ष के अन्त में पूंजीकृत कार्यों पर लगाई गई पूंजी*	1957.79	2256.15	2510.31
3	*वर्ष के दौरान पूंजीकृत कार्यों पर लगाई गई पूंजी (औसत)*	1844.56	2106.97	2383.23
4	*वर्ष के प्रारंभ में सकल खण्ड*	5799.87	6554.75	7549.31
5	*वर्ष के अंत में सकल खण्ड*	6554.75	7549.31	8396.41
6	*वर्ष हेतु औसत सकल खण्ड*	6177.31	7052.03	7972.86
7	*अर्हकारी पूंजी (सरल क्रं. 6 का 30 प्रतिशत)*	1853.19	2115.61	2391.86
8	*पूंजी पर प्रतिलाभ के दावे के बारे में पूंजी (सरल क्रं. 3 तथा 7 में से जो भी कम हो)*	1844.56	2106.97	2383.23
9	*पूंजी पर प्रतिलाभ की दर*	19.35%	19.35%	19.35%
10	*वर्ष हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ*	356.92	407.69	461.15

कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के बारे में प्रोत्साहन (Incentive for early completion of works)

3.108 विनियमों में प्रावधान किया गया है कि कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने पर अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत पूंजी पर प्रतिलाभ प्रदान किया जाएगा। यह प्रोत्साहन दिनांक 1.4.2009 को या तत्पश्चात् पूर्ण किये गये कार्यों पर लागू होगा। इन्हें दिनांक 1.4.2009 से 31.3.2012 की अवधि के दौरान वास्तविक रूप से पूर्ण किये गये कार्यों के आधार पर तथा तत्पश्चात् आकलन आधार (assessment basis) पर लिया गया है। दिनांक 31.3.2012 तक पूर्ण किये गये ऐसे कार्यो की सूची वित्तीय वर्ष 2011–12 की सत्यापन याचिका के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

तालिका : 70 (राशि करोड़ रूपये में)

		वित्तीय वर्ष				
सरल क्रमांक	विवरण	दिनांक 31.3.12 तक	दिनांक 31.3.13 तक	दिनांक 31.3.14 तक	दिनांक 31.3.15 तक	दिनांक 31.3.16 तक
1	अर्हकारी कार्यों हेतु संचयी जी–प्रपत्र (G-Forms)	171.00	293.50	482.22	730.86	942.65
2	70 : 30 के अनुपात में लगाई गई पूंजी	51.30	88.05	144.66	219.26	282.80
3	0.5 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजी पर प्रतिलाभ	0.26	0.44	0.72	1.10	1.41

तालिका : 71 नियंत्रण अवधि हेतु कुल पूंजी पर प्रतिलाभ (राशि करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2015–16
1	पूंजी पर प्रतिलाभ – सामान्य	356.92	407.70	461.15
2	पूंजी पर प्रतिलाभ पर प्रोत्साहन राशि	0.72	1.10	1.41
3	कुल पूंजी पर प्रतिलाभ राशि	357.64	408.80	462.56

3.109 इस प्रकार तीन वर्षों के लिये पूंजी पर प्रतिलाभ का दावा निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है :

(i) वित्तीय वर्ष 2013–14 – रू. 357.64 करोड़
(ii) वित्तीय वर्ष 2014–15 – रू. 408.80 करोड़
(iii) वित्तीय वर्ष 2015–16 – रू. 462.56 करोड़

विनियम संबंधी प्रावधान (Provisions of Regulations)

3.110 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2012 के विनियम 23 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

"23.1 पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना चुकाई गई पूंजी पर रूपयों के रूप में विनियम 20 के अन्तर्गत अवधारित किये गये अनुसार की जाएगी।

23.2 पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना पूर्व–टैक्स आधार पर 15.5 प्रतिशत की आधार दर पर की जाएगी, जिसे इस विनियम की कण्डिका 23.3 के अनुसार सकलबद्ध (Gross-up) किया जाएगा :

परंतु ऐसी परियोजनाओं के प्रकरणों में, जिन्हें 1 अप्रैल, 2013 को अथवा उसके उपरान्त क्रियाशील (commissioned) किया जाता है, उन पर 0.5 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रतिलाभ अनुज्ञेय किया जावेगा। ये परियोजनाएं परिशिष्ट–1 में दर्शाई गई समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण की जाती हैं :

परंतु यह भी कि 0.5 प्रतिशत का यह अतिरिक्त प्रतिलाभ अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा यदि परियोजना उपरोक्त दर्शाई गई समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण नहीं की जाती, भले ही इसका कोई भी कारण क्यों न हो।

23.3 वर्ष 2012–13 हेतु पूंजी पर प्रतिशत की गणना पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को प्रयोज्य सामान्य कर दर की आधार दर को सकलीकृत करते हुए की जाएगी :

परंतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को प्रयोज्य वास्तविक कर दर के संबंध में पूंजी पर प्रतिलाभ, जो टैरिफ अवधि के दौरान तत्संबंधी वर्ष के सुसंगत वित्त अधिनियमों के उपबंधों से संरेखित हो, का सत्यापन प्रत्येक वर्ष हेतु आगामी टैरिफ अवधि की टैरिफ याचिका के साथ पृथक से किया जाएगा।

23.4 पूंजी पर प्रतिलाभ की दर की गणना को तीन दशमलव बिन्दुओं तक पूर्णांक किया जाएगा तथा इसकी गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$\text{पूंजी पर पूर्व–कर प्रतिलाभ की दर (Rate of Pre-Tax Return on Equity)} = \frac{\text{आधार दर}}{(1-t)}$$

जहां पर 't' इस विनियम की कण्डिका 23.3 के अनुसार प्रयोज्य कर–दर है।

उदाहरण (Illustration) :

(i) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के प्रकरण में, जो न्यूनतम वैकल्पिक कर (Minimum Alternate Tax-MAT) का भुगतान 20.1 प्रतिशत की दर से अधिभार तथा उपकर (Surcharge and Cess) को सम्मिलित करते हुए कर रहा हो :

$$\text{पूंजी पर पूर्व–कर प्रतिलाभ की दर} = \frac{15.50}{(1-0.201)} = 19.38 \text{ प्रतिशत}$$

(ii) ऐसे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के प्रकरण में, जो सामान्य निकाय कर (normal corporate tax) का भुगतान माने गये 33.99 प्रतिशत की दर से अधिभार तथा उपकर को सम्मिलित करते हुए कर रहा हो :

$$\text{पूंजी पर पूर्व–कर प्रतिलाभ की दर} = \frac{15.50}{(1-0.3399)} = 23.481 \text{ प्रतिशत}$$

आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

3.111 याचिका में दावा की गई पूंजी का परीक्षण किये जाने पर यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में पूंजी का भाग अन्तःक्षेपित किये जाने पर (जिसमें से किसी प्रकार की परिसम्पत्ति का सृजन नहीं किया गया तथा आयोग द्वारा कोई प्रतिलाभ अनुज्ञेय नहीं किया गया) का भी लेखांकन नियंत्रण अवधि के प्रारंभ में पूंजी के आधार आंकड़े की गणना हेतु किया गया था। विषयवस्तु संबंधी याचिका को टैरिफ के प्रयोजन से दाखिल किया गया है अतएवं, पूंजी पर प्रतिलाभ के प्रयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 के पिछले सत्यापन आदेश में अनुमोदित किये गये अन्तिम आंकड़ों पर विचार करते हुए लागू आंकड़ों की मांग याचिकाकर्ता से की गई थी।

3.112 प्रत्युत्तर में एमपीपीटीसीएल ने पत्र क्रमांक 1326 दिनांक 20.2.2013 द्वारा निम्नानुसार निवेदन किया:

''बहुवर्षीय टैरिफ याचिका दिनांक 17 जनवरी, 2013 को दाखिल की गई है जबकि वित्तीय वर्ष 2010–11 का सत्यापन आदेश अनुवर्ती तिथि 2 फरवरी, 2013 की जारी किया गया। ऐसे में, बहुवर्षीय टैरिफ याचिका में सत्यापन आदेश को संज्ञान में लिया जाना संभव नहीं था।यह निवेदन भी किया जाता है कि बहुवर्षीय याचिका प्रक्षेपणों पर आधारित है तथा इस बीच अभी दो वित्तीय वर्ष, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 अभी भी शेष है वहीं सत्यापन प्रक्रिया के अन्तर्गत आंकड़ों का प्रमाणीकरण अभी भी किया जाना बाकी है। अतएव वित्तीय वर्ष 2010–11 पर विचार करते हुए, सत्यापन से सही परिदृश्य की प्राप्ति की संभावना नहीं है। तथापि, चाहे गये अनुसार, आंकड़ों को निम्न तालिका में दर्शायेनुसार संशोधित कर लिया गया है :

तालिका : 72 *(राशि करोड़ रूपये में)*

सरल क्रमांक	*विवरण*	*वित्तीय वर्ष 2010–11*	*वित्तीय वर्ष 2011–12*	*वित्तीय वर्ष 2012–13*	*वित्तीय वर्ष 2013–14*	*वित्तीय वर्ष 2014–15*	*वित्तीय वर्ष 2015–16*
1	*वर्ष के प्रारंभ में पूंजीगत निर्माण कार्यों (Capital Works) पर निवेश की गई पूंजी*	*1285.15*	*1429.81*	*1503.70*	*1705.38*	*1931.84*	*2230.21*
2	*वर्ष के दौरान पूंजीगत निर्माण कार्य किये गये अन्तःक्षेपित की गई पूंजी, वर्ष के दौरान परिसम्पत्ति में वृद्धि की दर 30 प्रतिशत मानते हुए (जैसा कि आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है)*	*144.66*	*73.89*	*201.68*	*226.46*	*298.37*	*254.15*
3	*वर्ष के अंत में पूंजीगत निर्माण कार्यों (Capital Works) पर निवेश की गई पूंजी*	*1429.81*	*1503.70*	*1705.38*	*1931.84*	*2230.21*	*2484.36*
4	*पूंजीगत किये गये कार्यों पर लगाई गई औसत पूंजी*	*1357.48*	*1466.76*	*1604.54*	*1818.61*	*2081.02*	*2357.28*
5	*पूंजी पर प्रतिलाभ, एमएटी के साथ सकलीकृत, यदि कोई हो*	*210.41* ***@ 15.5%***	*227.34* ***@ 15.5%***	*248.70* ***@ 15.5%***	*351.90* ***@ 19.35%***	*402.68* ***@ 19.35%***	***456.13*** ***@ 19.35%***

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2010–11	वित्तीय वर्ष 2011–12	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2015–16
6	अभ्युक्ति, अर्थात् आंकड़े का स्त्रोत	वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु सत्यापन आदेश दि. 2 फरवरी, 2013 की तालिका क्रं. 13	वित्तीय वर्ष 2011–12 की सत्यापन याचिका। अन्तःक्षेपित पूंजी को जोड़ी गई परिसम्पत्तियों का 30 प्रतिशत माना गया है, जिसमें उपभोक्ता अंशदान परिसम्पत्ति शामिल नहीं है (पैरा 8.7)	वित्तीय वर्ष 2012–13 का टैरिफ आदेश। अन्तःक्षेपित पूंजी रू. 672.28 को जोड़ी गई परिसम्पत्तियों का 30 प्रतिशत लिया गया है, (आदेश दि. 17 अप्रैल, 2012 के आदेश की तालिका 32 के अनुसार)।	वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 की बहुवर्षीय टैरिफ याचिका। अन्तःक्षेपित पूंजी जोड़ी गई परिसम्पत्तियों का 30 प्रतिशत लिया गया है (पैरा 7.6 की तालिका के अनुसार)।	वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 की बहुवर्षीय टैरिफ याचिका। अन्तःक्षेपित पूंजी जोड़ी गई परिसम्पत्तियों का 30 प्रतिशत लिया गया है (पैरा 7.6 की तालिका के अनुसार)।	वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 की बहुवर्षीय टैरिफ याचिका। अन्तःक्षेपित पूंजी जोड़ी गई परिसम्पत्तियों का 30 प्रतिशत लिया गया है (पैरा 7.6 की तालिका के अनुसार)।

3.113 आयोग द्वारा रू. 1429.81 करोड़ की पूंजी (दिनांक 31.3.2011 की स्थिति में) पर विचार किया गया है जैसा कि इसे वित्तीय वर्ष 2010–11 के पारेषण टैरिफ के सत्यापन पर उसके आदेश दिनांक 4.2.2013 द्वारा पैरा 4.72 की तालिका 13 में स्वीकृत किया गया है। पूंजी में वृद्धि को इस आदेश की तालिका 33 के अनुसार माना गया है।

3.114 कम्पनी ने किसी आयकर का भुगतान नहीं किया है। अतएव, पूंजी प्रतिलाभ 15.5 प्रतिशत की दर से बिना किसी सकलीकरण (grossing up) के अनुज्ञेय किया गया है। वास्तविक स्थिति पर विचार तत्संबंधी वर्ष के सत्यापन अभ्यास के दौरान सुसंगत रूप से किया जाएगा। इस आदेश के अन्तर्गत अनुज्ञेय किया गया पूंजी पर प्रतिलाभ निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका : 73 पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना **(राशि करोड़ रूपये में)**

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2011–12	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2015–16
(i)	वित्तीय वर्ष 2011–12 के प्रारंभ में पूंजी जिसे पूंजीकृत किये गये कार्यों में लगाया गया है (वित्तीय वर्ष 2010–11 के सत्यापन आदेश के पैरा 4.72 के अनुसार)	1429.81	1498.78	1645.77	1776.03	1906.29
(ii)	पूंजी का अंतःक्षेपण (जिसे परिसम्पत्ति के सृजन में उपयोग में लाया गया है) (इस आदेश की तालिका 33 के अनुसार)	68.97	146.99	130.26	130.26	130.26
(iii)	वर्ष के अंत में पूंजीकृत किये गये कार्यो पर लगाई गई औसत पूंजी	1498.78	1645.77	1776.03	1906.29	2036.55

(iv)	पूंजीकृत किये गये कार्यों पर लगाई गई औसत पूंजी			1710.9	1841.16	1971.42
(v)	पूंजी पर प्रतिलाभ 15.5 प्रतिशत आधार दर, चूंकि किसी आयकर का भुगतान नहीं किया गया है।	लागू नहीं होता*	लागू नहीं होता*	**265.19**	**285.38**	**305.57**

*(*टीप : वित्तीय वर्ष 2011–12* तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 के आंकड़े केवल प्रपत्र गणना (Proforma Calculation) हेतु ही निर्देशक है, न कि उक्त वर्षों के दौरान पूंजी पर प्रतिलाभ के अनुमोदन हेतु)

कर, अभिकर तथा शुल्क (Taxes, Duties and Fees)

याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण (Petitioner's Submission)

याचिकाकता ने मोटे तौर पर निम्नानुसार निवेदन किया है :

''वेतन पुनरीक्षण हेतु बकाया राशि –

3.115 *आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2011–12 की नियंत्रण अवधि के लिये प्रचालन तथा संधारण मानदण्ड के बकाया राशि के भारित औसत को शामिल किया गया है जिसे वास्तविक आधार पर सत्यापित किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा इन बकाया राशियों को पांच वर्षों के भीतर वितरित करने की योजना बनाई गई है। अतएव वित्तीय वर्ष 2012–13 तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये भी कुछ बकाया राशियों को जारी किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2012–13 की राशि का दावा वित्तीय वर्ष 2012–13 के सत्यापन के दौरान किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु बकाया राशियों के दावे को शामिल किया जा रहा है जिसमें वित्तीय वर्ष 2014–15 तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 की कुछ राशि को छोड़ा जा रहा है।*

तालिका : 74

i.	*लेखों में बकाया राशियों के लिये किया गया प्रावधान*	*रू. 80.36 करोड़*
ii.	*भुगतान की गई वास्तविक बकाया राशि* *ए. वित्तीय वर्ष 2009–10 – रू. 9.12 करोड़* *बी. वित्तीय वर्ष 2010–11 – रू. 19.98 करोड़* *सी. वित्तीय वर्ष 2011–12 – रू. 15.52 करोड़* *डी. वित्तीय वर्ष 2012–13 – रू. 18.50 करोड़*	*रू. 63.12 करोड़*
	भुगतान की जाने वाली बकाया अवशेष राशि	*रू.* ***17.24*** *करोड़*

इस राशि का भुगतान निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है :

वित्तीय वर्ष 2013–14 – रू. 15.24 करोड़
वित्तीय वर्ष 2014–15 – रू. 1.00 करोड़
वित्तीय वर्ष 2015–16 – रू. 1.00 करोड़

मप्रविनिआ शुल्क – (MPERC's Fees)

3.116 राज्य की पारेषण प्रणाली द्वारा प्रबंधित की जा रही ऊर्जा 10.82 प्रतिशत की दर से औसत वार्षिक ऊर्जा में वृद्धि प्रदर्शित करती है। इस वृद्धि दर के आधार पर, नियंत्रण अवधि के दौरान प्रबंधित की जाने वाली ऊर्जा का प्रक्षेपण किया गया है। इसके लिये मप्रविनिआ के शुल्क की गणना रू. 200/– प्रति 10 लाख यूनिट की दर से की गई है जिसका भुगतान आगामी वर्षों के लिये प्रतिवर्ष किया जायेगा। इसकी गणना निम्न तालिका में प्रदर्शित की गई है :

तालिका : 75

सरल क्रमांक	वित्तीय वर्ष	प्रबंधित ऊर्जा की मात्रा (मिलियन यूनिट में)	अभ्युक्ति
1	2009–10	34346	वास्तविक आधार पर, 10.82 प्रतिशत की दर से औसत वृद्धि दर्शाते हुए
2	2010–11	37680	
3	2011–12	42175	
4	2012–13	46738	10.82 प्रतिशत वृद्धि दर के अनुसार प्रक्षेपित
5	2013–14	51795	10.82 प्रतिशत वृद्धि दर के अनुसार प्रक्षेपित
6	2014–15	57399	10.82 प्रतिशत वृद्धि दर के अनुसार प्रक्षेपित
7	2015–16	63610	10.82 प्रतिशत वृद्धि दर के अनुसार प्रक्षेपित

नियंत्रण अवधि के लिए मप्रविनिआ शुल्क की गणना निम्नानुसार की गई है :

तालिका : 76

स.क्रं	विवरण	इकाई	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2015–16
1	वर्ष के दौरान प्रबंधित ऊर्जा की मात्रा	मिलियन यूनिट में	51795	57399	63610
2	शुल्क दर	रू./मिलियन यूनिट	200	200	200
3	शुल्क राशि	करोड़ रूपये में	1.04	1.15	1.27

प्रोत्साहन (Incentives)

3.117 विनियमों के अनुसार, प्रोत्साहन को पारेषण प्रणाली की उपलब्धता से संयोजित किया गया है तथा इसकी बिलिंग लक्ष्य तथा पारेषण प्रणाली की उपलब्धता पर निर्भर प्रति माह हितग्राहियों को की जाती है। अतएव, इस याचिका के माध्यम से इसका दावा नहीं किया जा रहा है।

विनियम संबंधी प्रावधान (Provisions of Regulation)

3.118 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2012 के विनियम 30 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

"आय पर कर

30.1 दीर्घ अवधि क्रेताओं से पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के आय–प्रवाहों पर कर की वसूली नहीं की जाएगीः

परन्तु 31 मार्च, 2013 तक की अवधि के विलंबित कर दायित्वों, अतिरिक्त लाभों (Fringe Benefits) को छोड़कर, के क्रियाशील होने पर ये दीर्घ–अवधि क्रेताओं से प्रत्यक्ष रूप से वसूली योग्य होंगे।

3.119 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2012 के विनियम 37 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

''प्रचालन तथा संधारण व्ययों में कर्मियों पर व्यय, मरम्मत एक संधारण (आर एण्ड एम) व्यय और प्रशासनिक तथा सामान्य (ए एण्ड जी) लागत शामिल होंगे। प्रचालन एवं संधारण व्ययों के मानदण्ड पारेषण लाईनों के सर्किट किलोमीटर तथा उपकेन्द्र पर ये 'बे' की संख्या के अनुसार निर्धारित किये गये हैं। इन मानदण्डों में पेंशन, कर्मियों को देय सेवान्त प्रसुविधाएं, कर्मचारियों को भुगतान योग्य प्रोत्साहन तथा बकाया राशि, शासन को देय कर तथा म.प्र. विद्युत नियामक आयोग को देय शुल्क शामिल नहीं है। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी शासन को देय करों की राशि तथा म.प्र. विद्युत नियामक आयोग को भुगतान किये जाने वाले शुल्क तथा कर्मचारियों को भुगतान की गई बकाया राशि का दावा वास्तविक आंकड़ों के आधार पर पृथक से करेगा।''

3.120 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2012 के विनियम 40 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

''किसी पारेषण प्रणाली के प्रकरण में किसी केलेण्डर माह हेतु देय पारेषण प्रभार (प्रोत्साहन को सम्मिलित कर) की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

''परन्तु पारेषण प्रणाली अनुज्ञप्तिधारी, पारेषण प्रभार (प्रोत्साहन को सम्मिलित करते हुए) के एक माह हेतु उसके पारेषण उपलब्धता कारक के प्राक्कलन पर आधारित देयक प्रस्तुत करेगा। इस संबंध में समायोजन यदि कोई हो तो वे एक माह हेतु पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक के आधार पर तैयार किये जाएंगे जिन्हें सुसंगत माह के अंतिम दिवस से 30 दिवस के अंदर राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा सत्यापित किया जाएगा।''

आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

3.121 याचिकाकर्ता द्वारा आयोग का भुगतान किया गया/भुगतान किये जाने वाले आवेदन शुल्क को दाखिल किये गये अनुसार स्वीकार कर लिया गया है। वेतन पुनरीक्षण के संबंध में बकाया राशि को वास्तविक भुगतान किये गये आधार पर तत्संबंधी वर्ष के सत्यापन अभ्यास के दौरान स्वीकार किया जाएगा।

गैर–टैरिफ आय (Non-Tariff Income)

याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण (Petitioner's Submission)

याचिकाकर्ता ने मोटे तौर पर निम्नानुसार निवेदन किया है :

3.122 *याचिकाकर्ता द्वारा पारेषण तथा संबद्ध प्रभारों के अतिरिक्त, निश्चित लघु आय आनुषंगिक आय (incidental income) के रूप में अर्जित की जा रही है। इन्हें सकल वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) से घटाया जाना होगा जिससे शुद्ध वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्राप्त की जा सकेगी।*

सावधि निक्षेप राशियों (Fixed Deposits) के ब्याज से प्राप्त आय के संबंध में एएस–16 का तात्पर्य (Implication of As-16 on Income From Interest on Fixed Deposits)

3.123 *गैर–टैरिफ आय के संबंध में विनियम (कण्डिका 31.1) में प्रावधान किया गया है कि गैर–टैरिफ आय में विभिन्न पूंजी निवेशों, सावधि तथा अन्य निक्षेपों में आय तथा अन्य गैर–टैरिफ आय को शामिल किया जाएगा। अतएव, गैर–टैरिफ आय में ब्याज आय को भी शामिल किया गया है। तथापि, लेखांकन मानक–16 (AS-16) के पैरा 11 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :*

''11 इससे पूर्व कि कुछ या समस्त निधि को अर्हकारी परिसम्पत्ति पर व्यय में उपयोग कर लिया जाए किसी अर्हकारी परिसम्पत्ति के लिये वित्तीय व्यवस्थाओं की परिणिति किसी उद्यम को ऋण की राशि तथा संबद्ध ऋण लागतों पर व्यय करने में हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में अर्हकारी परिसम्पत्ति पर व्यय करने की प्रत्याशा में निधि का निवेश प्रायः अस्थाई रूप से किया जाता है। किसी अवधि के दौरान पूंजीकरण के संबंध में ऋण की लागत के अवधारण हेतु किसी अस्थाई पूंजी निवेश पर, इन ऋणों पर अस्थाई निवेश से अर्जित आय को उपगत की गई (incurred) राशि में से घटा दिया जाता है।''

3.124 *ऐसी परिस्थिति में, लेखांकन मानकों का परिपालन किया जाना अनिवार्य है। अतएव, उपरोक्त प्रावधान को याचिकाकर्ता कम्पनी के लेखों में लागू किया गया है। गैर–टैरिफ आय के उपचार को तद्नुसार प्रक्षेपित किया गया है।*

तालिका : 77 *(राशि करोड़ रूपये में)*

सरल क्रमांक	*विवरण*	*वित्तीय वर्ष 2013–14*	*वित्तीय वर्ष 2014–15*	*वित्तीय वर्ष 2015–16*
1 (i)	*सावधि निक्षेप आदि से ब्याज की प्राप्ति*	*25.00*	*20.00*	*15.00*
(ii)	*घटायें : निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) को आवंटित ब्याज*	*(-) 23.00*	*(-) 19.00*	*(-) 14.00*
(iii)	*शुद्ध ब्याज आय*	*2.00*	*1.00*	*1.00*
2	*खुली पहुंच से आवेदन शुल्क की प्राप्ति*	*0.40*	*0.45*	*0.50*
3	*उपकरणों से संबंधित भाड़ा प्रभार*	*1.00*	*1.10*	*1.20*
4	*परामर्शी सेवा प्रभार*	*2.00*	*2.25*	*2.50*
5	*कर्मचारी–आवास से किराये की प्राप्ति*	*0.25*	*0.25*	*0.25*
6	*दूरभाष प्रभारों की वसूली*	*0.12*	*0.12*	*0.13*
7	*अन्य विविध प्राप्तियां*	*1.20*	*1.30*	*1.40*
	गैर–टैरिफ आय	***6.97***	***6.47***	***6.98***

विनियम संबंधी प्रावधान (Provisions of Regulations)

3.125 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2012 के विनियम 32 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

"32.1 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये उत्पादन कंपनियों तथा अनुज्ञप्तिधारियों को दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004, समय–समय पर यथासंशोधित के अन्तर्गत अन्य आय संबंधी अनुसूची जैसा कि इसका प्रावधान विविध प्रभारों तथा सामान्य प्रभारों की अनुसूची में किया गया है, को'गैर–टैरिफ आय' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। गैर–टैरिफ आय में पूंजी निवेश, सावधि जमा राशि तथा अन्य जमा राशियों एवं अन्य कोई गैर–टैरिफ आय शामिल की जाएगी।

32.2 अन्य व्यवसाय से प्राप्त राजस्व को, अधिनियम की धारा 41 में विनिर्दिष्ट उक्त सीमा तक, जिसे आयोग द्वारा प्राधिकृत किया जाए, को आय माना जाएगा।"

आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

3.126 आयोग ने याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई याचिका पर विचार किया है। अन्य वास्तविक आय पर विचार सुसंगत रूप से अंकेक्षित वित्तीय विवरण–पत्र के अनुसार तत्संबंधी वर्ष की सत्यापन प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा। विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, इस आदेश के अन्तर्गत एमपीपीटीसीएल की निम्न दर्शाई गई आय को गैर–टैरिफ आय माना गया है।

तालिका : 78 गैर–टैरिफ आय **(राशि करोड़ रूपये में)**

सरल क्रमांक	*विवरण*	*वित्तीय वर्ष 2013–14*	*वित्तीय वर्ष 2014–15*	*वित्तीय वर्ष 2015–16*
1	ब्याज से आय	25.00	20.00	15.00
2	खुली पहुंच संबंधी आवेदन शुल्क	0.40	0.45	0.50
3	उपकरणों हेतु भाड़ा प्रभार	1.00	1.10	1.20
4	परामर्शी सेवा प्रभार	2.00	2.25	2.50
5	कर्मचारी आवास किराया	0.25	0.25	0.25
6	दूरभाष प्रभारों की वसूली	0.12	0.12	0.13
7	अन्य विविध प्राप्तियां	1.20	1.30	1.40
	गैर–टैरिफ आय का योग	**29.97**	**25.47**	**20.98**

बहुवर्षीय टैरिफ अवधि हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता (Annual Revenue Requirement for MYT period)

3.127 उपरोक्त विवरण के आधार पर, आयोग ने इस आदेश के अन्तर्गत आगामी नियंत्रण अवधि के लिये वार्षिक राजस्व आवश्यकता निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार अनुमोदित की है :

तालिका : 80 आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (राशि करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता		
		वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2015–16
1	2	3	4	5
1	प्रचालन तथा संधारण व्यय	318.00	353.49	390.09
2	सेवान्त प्रसुविधाएं			
	चालू दायित्वों के विरूद्ध	677.00	677.00	677.00
3	अवमूल्यन	261.35	282.87	297.16
4	ब्याज तथा वित्त प्रभार	102.91	100.62	92.92
5	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	46.97	49.95	52.69
6	पूंजी पर प्रतिलाभ	265.19	285.38	305.57
7	मप्रविनिआ शुल्क	1.04	1.15	1.27
8	**योग**	**1672.46**	**1750.46**	**1816.70**
9	घटायें – गैर टैरिफ आय (–)	-29.97	-25.47	-20.98
10	**शुद्ध वार्षिक राजस्व आवश्यकता**	**1642.49**	**1724.99**	**1795.72**

दीर्घ अवधि लघु अवधि क्रेताओं हेतु पारेषण प्रभार (Transmission Charges for Long Term/Short Term Customers)

3.128 याचिकाकर्ता द्वारा अपने पुनरीक्षित प्रस्तुतिकरण दिनांक 26.3.2013 में निम्नानुसार विवरण दाखिल किये गये हैं :

तालिका : 81

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2015–16
1	वार्षिक स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)	2893.17	3176.83	3454.13
2	पारेषण प्रणाली क्षमता (मेगावाट में)	10530	13015	14540
3	दीर्घ अवधि क्रेताओं हेतु पोरषण प्रभार (रूपये लाख प्रति मेगावाट प्रति वर्ष)	27.48	24.41	23.76
4	दीर्घ अवधि क्रेताओं हेतु पोरषण प्रभार (रूपये प्रति मेगावाट प्रति दिवस)	7527.53	6687.39	6490.72
5	लघु अवधि दरें (उपरोक्त का 25 प्रतिशत) (रूपये प्रति मेगावाट प्रति दिवस)	1881.88	1671.85	1622.68
6	6 घंटे के खण्ड हेतु लघु अवधि दरें (रूपये प्रति मेगावाट)	470.47	417.96	405.67
7	6 घंटे से अधिक तथा 12 घंटे तक के एक खण्ड हेतु लघु अवधि दरें (रूपये प्रति मेगावाट)	940.94	835.92	811.34
8	12 घंटे से अधिक तथा 24 घंटे तक के एक खण्ड हेतु लघु अवधि दरें (रूपये प्रति मेगावाट)	1881.88	1671.85	1622.68
9	वर्ष के दौरान पारेषित किये जाने वाले यूनिटों की अनुमानित संख्या (मिलियन यूनिट में)	56437	62543	69310
10	लघु अवधि खुली पहुंच दरें (रूपये प्रति मेगावाट ऑवर में) सरल क्रमांक 1 से 9 तक) *0.25	128.16	126.99	124.59

आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

3.129 इस आदेश के अन्तर्गत आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता पर आधारित, आयोग द्वारा निम्न पारेषण प्रभार स्वीकृत किये जाते हैं :

तालिका : 82

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2015–16
1	वार्षिक स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)	1642.49	1724.99	1795.72
2	पारेषण प्रणाली क्षमता (मेगावाट में)	10530	13015	14540
3	दीर्घ अवधि क्रेताओं हेतु पोरषण प्रभार (रूपये लाख प्रति मेगावाट प्रति वर्ष में)	15.60	13.25	12.35
4	दीर्घ अवधि क्रेताओं हेतु पोरषण प्रभार (रूपये प्रति मेगावाट प्रति दिवस)	4273.48	3631.19	3374.37
5	लघु अवधि दरें (उपरोक्त का 25 प्रतिशत) (रूपये प्रति मेगावाट प्रति दिवस)	1068.36	907.80	843.59
6	6 घंटे के खण्ड हेतु लघु अवधि दरें (रूपये प्रति मेगावाट)	267.09	226.95	210.90
7	6 घंटे से अधिक तथा 12 घंटे तक के एक खण्ड हेतु अवधि दरें (रूपये प्रति मेगावाट)	534.18	453.90	421.80
8	12 घंटे से अधिक तथा 24 घंटे तक के एक खण्ड हेतु लघु अवधि दरें (रूपये प्रति मेगावाट)	1068.37	907.80	843.59
9	वर्ष के दौरान पारेषित किये जाने वाले यूनिटों की अनुमानित संख्या (मिलियन यूनिट में)	56437	62543	69310
10	लघु अवधि खुली पहुंच दरें (रूपये प्रति मेगावाट ऑवर में) सरल क्रमांक 1 से 9 तक) *0.25	72.76	68.95	64.77

दीर्घ अवधि क्रेताओं को आवंटित वार्षिक स्थाई लागत (Annual Fixed Cost Allocated to the Long Term Customers)

याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण (Petitioner's submission)

3.130 याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के अंतर्गत अपने पुनरीक्षित प्रस्तुतिकरण दिनांक 26.3.2013 द्वारा वार्षिक स्थाई लागत हेतु निम्न आवंटन दाखिल किया है :

तालिका : 83

सरल क्रमांक	क्रेतागण	वित्तीय वर्ष 2013–14		वित्तीय वर्ष 2014–15		वित्तीय वर्ष 2015–16	
		क्षमता (मेगावाट में)	राशि (करोड़ रूपये में)	क्षमता (मेगावाट में)	राशि (करोड़ रूपये में)	क्षमता (मेगावाट में)	राशि (करोड़ रूपये में)
1	मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, जबलपुर	3141.41	863.12	3883.61	947.95	4339.08	1030.79
2	मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, भोपाल	3346.21	919.39	4136.79	1009.75	4621.95	1097.99
3	मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, इंदौर	4030.38	1107.37	4982.61	1216.20	5566.97	1322.49
4	मप्र औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (विशेष आर्थिक परिक्षेत्र) पीथमपुर	12	3.30	12	2.93	12	2.85
	योग	**10530**	**2893.17**	**13015**	**3176.83**	**14540**	**3454.13**

3.131 उपरोक्त आवंटन की पुनर्गणना की गई है तथा इसे वार्षिक स्थाई लागत के आधार पर निम्नानुसार इस आदेश द्वारा अनुमोदित किया गया है :

तालिका : 84

सरल क्रमांक	क्रेतागण	वित्तीय वर्ष 2013–14		वित्तीय वर्ष 2014–15		वित्तीय वर्ष 2015–16	
		क्षमता मेगावाट में	राशि (करोड़ रूपये में)	क्षमता मेगावाट में	राशि (करोड़ रूपये में)	क्षमता मेगावाट में	राशि (करोड़ रूपये में)
1	मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, जबलपुर	3141.41	490.00	3883.61	514.73	4339.08	535.89
2	मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, भोपाल	3346.21	521.95	4136.79	548.28	4621.95	570.82
3	मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, इंदौर	4030.38	628.67	4982.61	660.39	5566.97	687.53
4	मप्र औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (विशेष आर्थिक परिक्षेत्र) पीथमपुर	12	1.87	12	1.59	12	1.48
	योग	**10530**	**1642.49**	**13015**	**1724.99**	**14540**	**1795.72**

132 केवी या इससे अधिक वोल्टेज पर संयोजित गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत आधारित विद्युत उत्पादक इकाईयों हेतु पारेषण प्रभार (Transmission Charges for Non-conventional Energy source based Generating Units Connected on 132 KV or above Voltage)

याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण (Petitioner's submission)

3.132 याचिकाकर्ता द्वारा निम्नानुसार निवेदन किया गया :

"आयोग द्वारा उपरोक्त श्रेणी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु पारेषण प्रभार याचिका क्रमांक 49/2012 के अन्तर्गत अपने आदेश दिनांक 1 सितम्बर, 2012 द्वारा अनुमोदित किये गये हैं। वर्तमान में इस श्रेणी के अन्तर्गत केवल एक ही उपभोक्ता, मेसर्स के एस आईल मिल्स मुरैना द्वारा 16 मेगावाट क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। निम्न आवेदकों से प्राप्त आवेदन वर्तमान में प्रक्रियाधीन है जिसके अनुसार नियंत्रण अवधि के दौरान निम्न अतिरिक्त क्षमता का प्रावधान किया जाना अपेक्षित है :

तालिका : 85

सरल क्रमांक	*विकासक का नाम*	*वित्तीय वर्ष 2013–14*		*वित्तीय 2014–15*		*वित्तीय वर्ष 2015–16*	
		परिवर्धन	*योग*	*परिवर्धन*	*योग*	*परिवर्धन*	*योग*
1	*मेसर्स के एस आईल मिल्स (विद्यमान उपभोक्ता)*	*0*	*16*	*0*	*16*	*0*	*16*
2	*मेसर्स वेस्पन एनर्जी, नीमच*	*25*	*25*	*0*	*25*	*105*	*130*
3	*मेसर्स एक्मे टेली पावर, राजगढ़*	*25*	*25*	*0*	*25*	*0*	*25*

सरल क्रमांक	विकासक का नाम	वित्तीय वर्ष 2013–14		वित्तीय 2014–15		वित्तीय वर्ष 2015–16	
		परिवर्धन	योग	परिवर्धन	योग	परिवर्धन	योग
4	मेसर्स डी जे एनर्जी, जावरा, रतलाम	0	0	100	100	80	180
5	मेसर्स कान्सालिडेटेड एनर्जी, बुरहानपुर	22	22	58	80	0	80
6	मेसस्र एनटीपीसी, राजगढ़	50	50	0	50	0	50
7	मेसर्स एल्फा इन्फ्रा, कुक्षी, धार	20	20	0	20	0	20
	योग	**142**	**158**	**158**	**316**	**185**	**501**

3.133 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु इस श्रेणी के अन्तर्गत पारेषण प्रभारों का अवधारण 'Energy Based Pooled Method' के आधार पर किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा अपने पुनरीक्षण प्रस्तुतिकरण दिनांक 26.3.2013 द्वारा आगामी नियंत्रण अवधि हेतु पारेषण प्रभारों को दाखिल किया गया जिसकी गणना उपरोक्त विधि द्वारा की गई है, जैसा कि इसे निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है :

तालिका : 86

सरल क्रमांक	विवरण	इकाई	वर्ष 2012–13 के आंकड़े	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16
1	टैरिफ के अनुसार वार्षिक स्थाई लागत	करोड़ रूपये में	1526.19	2893.17	3176.83	3454.13
2	पारेषण प्रणाली क्षमता	मेगावाट में	10200.6	10530	13015	14540
3	पारेषण प्रभार प्रति मेगावाट प्रति वर्ष	रूपये लाख/ मेगावाट में	14.96	27.48	24.41	23.76
4	गैर–पारम्परिक ऊर्जा आधारित संयंत्रों की क्षमता	मेगावाट में	16	158	316	501
5	कुल समुच्चय (Pooled) क्षमता	मेगावाट में	10216.6	10792	13462	14978
6	समुच्चय लागत क्षमता में वृद्धि	करोड़ रूपये में	0	0	0	0
7	कुल समुच्चय लागत	करोड़ रूपये में	1526.39	2893.17	3176.83	3454.13
8	पारेषित की जाने वाली प्रत्याशित ऊर्जा	मिलियन यूनिट में	44328	56437	62543	69310
9	गैर–पारम्परिक ऊर्जा आधारित संयंत्र द्वारा उत्पादित ऊर्जा 20 प्रतिशत सीयूएफ पर, मेगावाट क्षमता के साथ	मिलियन यूनिट में	28.03	277	554	878
10	प्रबंधित की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा	मिलियन यूनिट में	44356.03	56714	63097	70188
11	प्रति यूनिट पारेषण प्रभार	रूपये/यूनिट में	0.3441 (अर्थात् 0.34)	0.510 (अर्थात् 0.51)	0.503 (अर्थात् 0.50)	0.492 (अर्थात् 0.49)

आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

3.134 उपरोक्त पारेषण प्रभारों की पुनर्गणना की गई है तथा इन्हें वार्षिक स्थाई लागत के आधार पर निम्न तालिका में दर्शायेनुसार अनुमोदित किया गया है :

तालिका : 86

सरल क्रमांक	विवरण	इकाई	वर्ष 2012–13	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16
1	टैरिफ के अनुसार वार्षिक स्थाई लागत	करोड़ रूपये में	1526.19	1642.49	1724.99	1798.72
2	पारेषण प्रणाली क्षमता	मेगावाट में	10200.6	10530	13015	14540
3	पारेषण प्रभार प्रति मेगावाट प्रति वर्ष	रूपये लाख/ मेगावाट में	14.96	15.60	13.25	12.35
4	गैर–पारम्परिक ऊर्जा आधारित संयंत्रों की क्षमता	मेगावाट में	16	158	316	501
5	कुल समुच्चय (Pooled) क्षमता	मेगावाट में	10216.6	10688	13331	15041
6	समुच्चय लागत क्षमता में वृद्धि	करोड़ रूपये में	0	0	0	0
7	कुल समुच्चय लागत	करोड़ रूपये में	1526.39	1642.49	1724.99	1798.72
8	पारेषित की जाने वाली प्रत्याशित ऊर्जा	मिलियन यूनिट में	44328	56437	62543	69310
9	गैर–पारम्परिक ऊर्जा आधारित संयंत्र द्वारा उत्पादित ऊर्जा 20 प्रतिशत सीयूएफ पर, मेगावाट क्षमता के साथ	मिलियन यूनिट में	28.03	277	554	878
10	प्रबंधित की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा	मिलियन यूनिट में	44356	56714	63097	70188
11	प्रति यूनिट पारेषण प्रभार	रूपये/यूनिट में	0.344	0.290	0.273	0.256
			(अर्थात् 0.34)	(अर्थात् 0.29)	(अर्थात् 0.27)	(अर्थात् 0.26)

3.135 ये प्रभार ऐसे गैर–पारंपरिक ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादक इकाईयों को उनके द्वारा प्रदाय की गई ऊर्जा हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों/एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को छोड़कर लागू होंगे, जिन्हें पारेषण प्रणाली से 132 केवी या इससे वोल्टेज से संयोजित किया गया हो।

3.136 इस प्रकार पारेषण प्रभारों के माध्यम से अर्जित राजस्व का 50 (पचास) प्रतिशत भाग जिसकी वसूली गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत आधारित इकाईयों से की गई हो, का उपयोग दीर्घ–अवधि खुली पहुंच क्रेताओं के पारेषण प्रभारों को कम किये जाने के उद्देश्य से किया जाएगा। अवशेष 50 प्रतिशत राजस्व को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधोसंरचना के विकास हेतु पूंजीगत व्यय किये जाने के उद्देश्य से धारित रखा जाएगा।

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,